लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

[खंड 39 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. ~~XXXIX~~ contains Nos. 21—30]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price · One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी / हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक 26, शुक्रवार, 26 मार्च, 1965 / 5 चैत्र, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
597	अन्तर्राष्ट्रीय भूतत्वीय सम्मेलन	2409–11
598	भारतीय वाणिज्य दूत	2411–14
599	कोयला खानों का विलय	2414–17
600	स्कूटरों का उत्पादन	2417–19
601	लुधियाना में ऊनी धागा कातने के मिल	2419–21
603	कैमरा बनाने का कारखाना	2421–22
607	सीमेण्ट को बोरियों में बन्द करना	2422–24
609	मक्का की खरीद	2424–25
610	स्कूटरों का दिया जाना	2425–27
612	मद्रास में इस्पात पुनर्बेलन एकक	2427–29
613	पक्के कोक का मूल्य	2429–30
615	हैवी इलेक्ट्रिकलस लि० भोपाल	2430–33
616	कागज तथा लुगदी उद्योग	2433–34
608	पन्ना में हीरों का खनन	2434–35

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रश्न संख्या		
595	विदेशों के साथ सहयोग	2435
596	विदेशों में भारतीय उत्पादों का प्रचार	2435–36
602	केन्दीय रेशम अनुसन्धान संस्था, बरहामपुर	2436
604	तृतीय श्रेणी की सेवाओं में भर्ती	2436
605	मेंगनीज़ तथा क्रोमाइट खानों से रायल्टी	2437
606	शंकर शरण न्यायाधिकरण	2437
611	छोटी कार परियोजना	2437–38

अतारांकित प्रश्न संख्या

1591	हथकरघा उद्योगों के राजसहयता	2438
1592	जूतों का उद्योग	2438–39

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 26

Friday, March 26, 1965/Chaitra 5, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.	*Subject*	
597	International Geological Conference	2409-11
598	Indian Trade Consuls	2411-14
599	Amalgamation of Collieries	2414-17
600	Production of Scooters	2417-19
601	Woollen Yarn Spinning Mills, Ludhiana	2419-21
603	Camera Manufacturing Plant	2421-22
607	Packing of Cement	2422-24
609	Purchase of Maize	2424-25
610	Allotment of Scooter	2425-27
612	Steel Rerolling Units in Madras	2427-29
613	Price of Hard Coke	2429-30
615	Heavy Electricals Ltd,. Bhopal	2430-33
616	Paper and Pulp Industries	2433-34
608	Diamond Mining in Panna	2434-35

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
595	Collaboration with foreign countries	2435
596	Publicity of Indian Products Abroad	2435-36
602	Central Sericultural Research Institute Berhampore	2236
604	Recruitment to Class III services	2436
605	Royalties from Manganese and Chromite Mines	2437
606	Sankar Saran Tribunal	2437
611	Small Car Project	2437-38
Unstarred Questions Nos.		
1591	Subsidies to Handloom Industries	2438
1592	Foot wear Industries	2438-39

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1593	डीज़ल इंजन चालित रेल गाड़ियां	2439
1594	रेल के डिब्बों में जुआ	2439–40
1595	स्टेशनों पर विश्राम कमरे	2440
1596	दिल्ली–कालका खण्ड में पीने का पानी	2440
1597	निर्यात	2440–41
1598	अखबारी कागज का आयात	2441
1599	नंगी रेलवे स्टेशन पर घटना	2441–42
1600	ट्युनीशिया से व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल	2442
1601	जगाधारी वर्कशाप का ठेकेदार	2442–43
1602	फरुख नगर में पानी से नमक तैयार करना	2443
1603	रुरकेला में उर्वरक कारखाना	2443–44
1604	सोनीपत–जींद रेलवे लाइन	2444
1605	रबड़ का उत्पादन	2444–46
1606	राजपुरा भटिन्डा सेक्शन में पानी ठंडा करने की मशीनें	2446
1607	वस्तु विक्रय ठेकेदार	2446
1608	लागत लेखा प्रशिक्षण	2446–47
1609	फोटोग्राफी के सामान का आयात	2447
1610	फोटोग्राफी का कागज	2447
1611	बिहार के लिये अलग रेलवे सेवा आयोग	2448
1612	कोयला के लिये माल डिब्बें	2448
1613	बिजली की रेलगाड़ियों में शौचालय और पेशाबघर	2449
1614	अम्बाला छावनी नांगल बांध रात्री गाड़ी	2449
1615	इस्पात निर्यात करने वालों का संघ	2449–50
1616	डीज़ल प्रशिक्षण स्कूल, बोंगामुडा	2450–51
1617	रेलवे कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना	2451
1618	रेलवे वर्कशाप, गोरखपुर	2451
1619	पूर्वोत्तर रेलवे अस्पताल, गोरखपुर	2452
1620	पूर्वोत्तर रेलवे में अनियमित पदोन्नोतियां	2452
1621	ग्वालियर के निकट लौह अयस्क	2452
1622	दक्षिण रेलवे पर मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना	2453
1623	विशेष इस्पात	2453
1624	मुगलसराय में डिवीज़नल हेडक्वार्टर	2453
1625	उड़ीसा की सीमेंट की मांग	2454
1626	पोलिस्टर रेशे का निर्माण	2454
1627	गैरसरकारी औद्योगिक उपक्रम	2454–55
1628	मध्य प्रदेश में कताई मिल	2455
1629	सीमेंट की कमी	2455

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	
1593	Trains on Diesel Traction	2439
1594	Gambling in Railway Compartments	2439-40
1595	Retiring Rooms at Station	2440
1596	Drinking water on Delhi-Kalka Section	2440
1597	Exports	2440-41
1598	Import of Newsprint	2441
1599	Nangi Railway Station Incident	2441-42
1600	Trade Delegation from Tunisia	2442
1601	Contractor of Jagadhari Workshop	2442-43
1602	Salt from Water at Farukh Nagar	2443
1603	Fertiliser Factory at Rourkela	2443-44
1604	Sonepat Jind Rail Link	2444
1605	Production of Rubber	2444-46
1606	Water Coolers on Rajpura-Bhatinda Section	2446
1607	Vedning Contractors	2446
1608	Training in Job Costing	2446-47
1609	Import of Photographic Goods	2447
1610	Photographic Papers	2447
1611	Separate Railway Service Commission for Bihar	2448
1612	Coal Wagons	2448
1613	Latrines and Urinals in Electric trains	2449
1614	Ambala Cantt. Nangal Dam Night Train	2449
1615	Steel Exporters' Association	2449-50
1616	Diesel Training School Bondamuda	2450-51
1617	Pension Scheme for Railway Employees	2451
1618	Railway Workshop Gorakhpur	2451
1619	N.R. Railway Hospital Gorakhpur	2452
1620	Irregular Promotions in N.E. Railway	2452
1621	Iron Ore near Gwalior	2452
1622	Derailment of Goods Train on S. Railway	2453
1623	Specialized Steel	2453
1624	Divisional Headquarters at Mughalsarai	2453
1625	Cement Requirement of Orissa	2454
1626	Manufacture of Polyester Fibre	2454
1627	Private Industrial Undertakings	2454-55
1628	Spinning Mill in Madhya Pradesh	2455
1629	Shortage of Cement	2455

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1630	मैसूर में अखबारी कागज कारखाना	2456
1631	यातायात संभावनायें	2456
1632	पटेल नगर रेलवे स्टेशन	2457
1633	मद्रास का भू–भौतिकीय सर्वेक्षण	2457
1634	निर्यात संभावनाओं का सर्वेक्षण	2458
1635	डिब्बों में बन्द फलों के रस का निर्यात	2458
1636	कपास का निर्यात	2459
1637	भिलाई इस्पात कारखाना	2459
1638	ट्रेन एग्जामिनर	2459–60
1639	द्वितीय श्रेणी के क्लर्कों की वरिष्ठता	2460
1640	रेफ्रिजरेटरों का निर्यात	2460
1641	कपड़ा मिलों में बिना बिका कपड़ा	2461
1642	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानें	2461
1643	गैर–सरकारी क्षेत्र की कोयला खानें	2461
1644	केरल में औद्योगिक सहकारी समितियां	2462
1645	डीज़ल लोकोमोटिव कारखाना, वाराणसी	2462–63
1646	तेज़ रेल गाड़ियां	2463
1647	एल्युमिनियम की कमी	2463

सभा-पटल पर रखे गये पत्र 1463–65

राज्य सभा से सन्देश 1465

प्राक्कलन समिति

छियासटवां प्रतिवेदन 2465–68

सभा का कार्य

समितियों के लिये निर्वाचन 2468

(1) काफी बोर्ड

(2) केन्दीय रेशम बोर्ड

केरल आय-व्ययक–सामान्य चर्चा; लेखानुदानों की मांगें (केरल), 1965–66; अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल), 1964–65 2470

श्री केलप्पन 2473–74

डा० राम मनोहर लोहिया 2474–75

श्री पोट्टेकाट्टु 2475

श्री प० गो० मेनन 2475

WRITTEN ANSWERS

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	Page
1630	Newsprint Factory in Mysore	2456
1631	Traffic Potential	2456
1632	Patel Nagar Railway Station	2457
1633	Geophysical Survey of Madras	2457
1634	Survey of Export Potential	2458
1635	Export of Tinned Fruit Juice	2558
1636	Export of Cotton	2459
1637	Bhilai Steel Project	2459
1638	Train Examiners	2459-60
1639	Seniority of Clerks Grade II	2460
1640	Export of Refrigerators	2460
1641	Accumulation of unsold cloth in Textile Mills	2461
1642	NCDC Collieries	2461
1643	Private Sector Collieries	2461
1644	Industrial Co-operative Societies in Kerala	2462
1645	Diesel Locomotive Works, Varanasi	2462-63
1646	Faster Trains	2463
1647	Shortage of Aluminium	2463
	Papers laid on the Table	2463—65
	Messages from Rajya Sabha	3465
	Estimates Committee Sixty-Sixth Report	2465—68
	Business of the House	
	Election to Committees (i) Coffee Board (ii) Central Silk Board	2468
	Kerala Budget—General Discussion	
	Demands for Grants on Account (Kerala), 1965-66	2470
	Demands for Supplementary grants (Kerala) 1964-65	2470
	Shri Kappen	2473-74
	Dr. Ram Manohar Lohia	2474-75
	Shri Pottekkatt	2445
	Shri P.C. Menon	2445

श्री हरि विष्णु कामत . . . 2478—80
श्री खाडिलकर 2480–81
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी 2481
श्री वासुदेव नायर . . . . 2481—83
डा० मा० श्री० अणे 2483
श्री ति० त० कृष्णमाचारी 2483

केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1965

पुर:स्थापित तथा पारित . . . 2487

केरल विनियोग विधेयक, 1965

पुर:स्थापित तथा पारित 2487

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक

राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव 7480

श्री त्रि० ना० सिंह 2490
श्री बड़े 2490

खण्ड 1 और 2 . . .

पारित करने का प्रस्ताव . .

श्री त्रि० ना० सिंह . . . . .

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

साठवां प्रतिवेदन 1491

बंगलौर अथवा हैदराबाद में संसद् के अधिवेशन के बारे में संकल्प — अस्वीकृत

श्री प्रकाशवीर शास्त्री . . 2492
श्री श्रीनारायण दास 2493
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद . . . 2494
श्री यशपाल सिंह . . . 2494
श्री बड़े . . . 2497
श्री रघुनाथ सिंह . . 2498
श्री नरेन्द्र सिंह महौड़ा 2498
श्री शिव नारायण . 2498
श्री गौरी शंकर कक्कड़ . . . 2498
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा . 2499
श्री अ० शं० आल्वा . . 2499
श्री नवल प्रभाकर 2499
श्री सत्य नारायण सिंह 2500

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

वियतनाम में अमेरीका द्वारा गैस का प्रयोग और इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती . . . . . .
श्री स्वर्ण सिंह . . . . . .

Demand for Supplementary Grant (Kerala), 1964-65—*contd.*

Subject	Page
Shri Hari Vishnu Kamath	2478—80
Shri Khadilkar	2480-81
Shri Tridib Kumar Chaudhuri	2481
Shri Vasudevan Nair	2441—83
Dr. M.S. Aney	2483
Shri T.T. Krishnamachari	2483
Kerala Appropriation (Vote on Account) Bill, 1965 Introduced and passed	2487
Kerala Appropriation Bill, 1965 Introduced and passed	2487
Industries (Development and Regulation) Amendment Bill. Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	2489
Shri T.N. Singh	2490
Shri Bade	2490
Clauses 1 and 2	
Motion to pass	
Shri T.N. Singh	
Committee on Private Members' Bills and Resolutions Sixtieth Report	2491
Resolution re. Session of Parliament at Bangalore or Hyderabad—Negatived	
Shri Prakash Vir Shastri	2492
Shri Shree Narayan Das	2493
Shri Siddheshwar Prasad	2494
Shri Yashpal Singh	2494
Shri Bade	2497
Shri Raghunath Singh	2498
Shri Narendra Singh Mahida	2498
Shri Sheo Narain	2498
Shri Gauri Shankar Kakkar	2498
Shrimati Lakshmikanthamma	2499
Shri A.S. Alva	2499
Shri Naval Prabhakar	2499
Shri Satya Narayan Sinha	2500
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
Use of Gas by United States in Vietnam and Government of India's reaction thereto	

विषय	पृष्ठ
शिक्षा के ढांच के बारे में संकल्प—वापस किया गया	
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी . . .	2503
श्री श्रीनारायण दास	2503
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	2504
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	2504
श्री बड़े . . .	2505
श्री मु० क० चागला . . .	2505
कलकत्ता नगर-क्षेत्र के विकास के बारे में संकल्प	
श्री ही० ना० मुकर्जी .	2507

Subject Page

Resolution re. Structure of Education—Withdrawn

Dr. L.M. Singhvi 2503
Shri Shree Narayan Das 2503
Shri Narendra Singh Mahida 2504
Shri P.R. Chakraverti 2504
Shri Bade 2505
Shri M.C. Chagla 2505

Resolution re. Development of Calcutta Metropolitan Area.

Shri H.N. Mukerjee 2 2507

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 26 मार्च 1965/5 चैत्र, 1887 (शक)

Friday, March 26, 1965/Chaitra 5, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अन्तर्राष्ट्रीय भूतत्वीय सम्मेलन

+

*597. श्री रा० गि० दुबे :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाइसवां अन्तर्राष्ट्रीय भूतत्वीय सम्मेलन दिल्ली में दिसम्बर, 1964 में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने देशों से और कितने प्रतिनिधि आये; और

(ग) क्या इस सम्मेलन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय किये गये; यदि हां, तो उन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) 88 देशों के 646 नुमाइन्दे कांग्रेस में शामिल हुए ।

652 (Ai) LS—3.

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय भौमिकी कांग्रेस वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि, के लिये काम करती है जहां तक कि उस का सम्बंध भौमिकी दृष्टि से भूमि के अध्ययन से है। यह कांग्रेस संसार के भौमिकी विज्ञों को सामान्य रुचि के वैज्ञानिक विषयों पर विचार-विनिमय करने के लिये वाद-स्थल प्रस्तुत करती है। विभिन्न भौमिकी-विज्ञों के तजुरबे तथा उनके अन्वेषण के परिणाम अन्य वैज्ञानिकों को जो प्रायः समान विषयों पर अन्वेषण करने में लगे हैं, प्राप्त हो जाते हैं। कांग्रेस का ध्येय यह नहीं है कि वह किसी वैज्ञानिक सिद्धान्त अथवा भौमिकी व्यवहार पर विनिश्यात्मक निणय ले। तदनुसार, इस क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ।

श्री रा० गि० दुबे : क्या भारतीय भूतत्वविज्ञों की ओर से कोई विशेष साहित्य प्रकाशित किया गया था, और विदेशी दर्शकों पर इस का क्या प्रभाव हुआ ?

श्री तिम्मय्या : भारतीय भूतत्व पर तथा भारतीय खनिजों पर इस कांग्रेस के लिए विशेष रूप से भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण, नाम से आठ पुस्तिकायें प्रकाशित की गयीं, जिस में भारतीय भूतत्व विज्ञान के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला गया। इस के अतिरिक्त भारत के संशोधित नक्शे भी छापे गये, इस के अतिरिक्त कुछ और भी चीजें थीं। विदेशी दर्शकों पर इस का अच्छा प्रभाव हुआ, और सब ने इस की सराहना की।

श्री रा० गि० दुबे : जिन विषयों पर चर्चा हुई वे क्या थे और विदेशी भूतत्वविज्ञों ने ऐसा क्या विशेष अंशदान किया जिस से हम कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ?

श्री तिम्मय्या : अनुविभागीय बैठकों में बहुत से पत्र पढ़े गये। जिन पत्रों में भारत की विशेष दिलचस्पी थी वे भारत में तेल क्षेत्रों के निर्माण की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में थे और तेल क्षेत्रों तथा यूरेनियम निक्षेपों का पता लगाने के लिए हाल ही में भारत द्वारा किये गये प्रयासों के सम्बन्ध में, खेत्री और सिंहभूम में खानों से ताँबा निकालने की व्यवस्था का नियंत्रण करने के तथा हट्टी की सोना खानों के सम्बन्ध में थे। सम्मेलन में भारत के भूमिगत जल के बारे में भी स्पष्टीकरण करने वाले कार्य पर भी चर्चा की गयी।

श्रीमती सावित्री निगम : : भूमिगत पानी के अन्वेषण के लिए इस सम्मेलन की सिफारिश क्या थी और उन खनिजों की स्थिति क्या है जो काफी मात्रा में भारत में उपलब्ध हुई हैं ?

श्री तिम्मय्या : भूमि गत साधनों के बारे में विदेशी वैज्ञानिकों ने एक पत्र पढ़ा। भारत की दृष्टि से इन का बहुत महत्व था क्योंकि यहां भूमिगत जल खड़ा रहता है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस बात में काफी रुचि दिखाई।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The number of such places pointed out by these scientists from where the oil can be explored to fulfil the needs of the country ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): उन्हों ने चर्चा सामा य रूप से की, कोई विशेष क्षेत्रों का विशेष रूप से चयन कर के विश्लेषण नहीं किया गया।

श्री कपूर सिंह: क्या ये यहां एकत्रित हुए भूतत्वीय वेत्ताओं ने इस बात का कोई संकेत दिया है कि हिमालय सागर का रूप धारण कर लेगा और भारत चीन सीमाओं का अन्तर मिट जायेगा ?

श्री संजीव रेड्डी : हम ने यह अखबारों में पढ़ा था, परन्तु उन्हों ने ऐसी किसी बात पर चर्चा नहीं की।

Shri M.L. Dwivedi : The research works in connection with the geological subjects are going on at various places, their reports or anything connected with that were considered, if so, the subjects discussed and the decision taken thereon ?

श्री संजीव रेड्डी : मेरे माननीय मित्र ने उन समस्त विषयों पर प्रकाश डाला है जिन पर वहां चर्चा हुई थी। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिस में 88 देश भाग ले रहे थे। अधिक विस्तार में जाने की आशा नहीं की जा सकती थी।

Shri D.N. Tiwary : The delegates of the Conference were of the opinion that India has gone away from its axis, whether in their opinion, there has been some difference in the climate of the country ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं उस स्थिति में नहीं कि वैज्ञानिक दृष्टि से इस की व्याख्या कर सकूं। कि भारत अपनी धुरी से 2000 मील दूर हट गया है। मेरे विचार में उन्होंने इन बातों पर विस्तार से चर्चा नहीं की।

श्री श्रीनारायण दास : क्या भूतत्वीय सर्वेक्षण के अधिकारियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों को भी चर्चा में भाग लेने का निमंत्रण दिया गया था, यदि हां, तो इस का चुनाव किस आधार पर किया गया ?

श्री संजीव रेड्डी : काफी संख्या में भारतीय वहां दर्शकों और प्रेक्षकों के रूप में वहां आये। लगभग 35 प्रतिनिधि थे। प्रतिनिधियों के चुनाव भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा किया गय था। उन्होंने ही इसका संगठन किया था और सारा सम्मेलन उनकी ही देख रेख में हुआ ?

श्री श्रीनारायण दास : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञों को निमन्त्रित किया गया था ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं विश्वस्त रूप में इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।

INDIAN TRADE CONSULS

*598. **Shri M.L. Dwivedi.**
Shri S.C. Samanta
Shri Yashpal Singh
Shri Himatsingka
Shri Rameshwar Tantia

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(*a*) the arrangements made to supervise the working of the trade consuls attached to the Indian missions abroad and the steps taken to improve the working of those consulates whose work is not considered to be satisfactory; and

(*b*) the main functions assigned to these Consulates ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) हमारे विदेश स्थित वाणिज्यिक कार्यालय भारतीय दूतावासों के ही एक अंग होते हैं और वे हमारे राजदूतों के सीधे नियंत्रण में

रहते हैं। वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के काम का निदेशन एवं देख रेख वाणिज्य मंत्रालय के विभिन्न प्रादेशिक विभागों द्वारा किया जाता है जिन के अध्यक्ष संयुक्त सचिव अथवा निदेशक होते हैं। मंत्रालय के प्रादेशिक विभाग यह ध्यान रखते हैं कि वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को जो कार्य सौंपे जाते हैं उन्हें वे समय समय पर भेजी जाने वाली हिदायतों के अनुसार प्रभावशाली ढंग से सम्पूर्ण कर लें। हमारे विदेश स्थित वाणिज्यिक कार्यालयों के कार्य के विषय में हमारे ध्यान में कोई भी प्रतिकूल सूचनायें नहीं आई हैं मंत्रालय अपने वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के कार्य निदेशन के लिये बराबर ऐसे प्रयत्न करता रहत है जिस से वे सरकार को विदेशी व्यापार नीति को अमल में लाने के लिये सामान्यतः और निर्यात संवर्द्धन के लिये विशेषतः प्रभावशाली साधन बने रहें। वाणिज्य मंत्री जब विदेशों का दौरा करने जाते हैं तो प्रायः उस क्षेत्र के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की बैठक कर के उन के कार्य सम्बन्धी समस्याओं के विषय में विचार करते हैं और निर्यात संवर्द्धन के सामान्य प्रश्न पर उन्हें सलाह देते हैं। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी विदेशों का दौरा करने जाते हैं तो उस क्षेत्र के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों का उनके कार्य के बारे में मार्ग दर्शन करते हैं।

(ख) हमारे विदेश स्थित वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के मुख्य कार्यों के विषय में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4073/65]**

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन राजदूतों के जिम्मे यह भी काम है कि वे समय पर सरकार को जानकारी दें। यहां के लोगों को बतायें कि अन्य देशों में किस प्रकार की मशीनरी का आविष्कार हो रहा है ताकि हमारे देश वासियों को कुछ पता चले वे भी इस दिशा में कुछ कर सकें ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह तो उन से आशा की ही जाती है : उन्हें समय समय पर रिपोट भेजनी ही चाहिए। वे अपने क्षेत्रों की आर्थिक, वित्तीय तथा वाणिज्यिक स्थिति पर अपनी रिपोर्ट भेजते भी हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या हाल ही में ऐसी कोई इस दिशा से सम्बन्धित विशिष्ट रिपोर्ट उपलब्ध हुई है, यदि हां, तो उस का कोई लाभ उठाया गया है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : इस बात का उत्तर तो मैं एक दम से नहीं दे सकता, इस के लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

श्री स० चं० सामान्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन वाणिज्य दूतों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है, क्योंकि कई एक को एक से अधिक मिशन पर काम करना होता है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : काम पर होता है और कई बार ऐसा करना ही पड़ता है। कई बार एक व्यक्ति को दो मिशनों का काम देखना होता है।

Shri Yashpal Singh : These people work under the Foreign Ministry or under the Ministry of Commerce?

Mr. Speaker : This he has already stated.

श्री सें० वें० रामस्वामी : जहां तक उन की सेवा का सम्बन्ध है .....

अध्यक्ष महोदय : इस का उत्तर दिया जा चुक है।

श्री हिम्मतसिंहका : यह एक सामान्य शिकायत है कि वहां के प्रतिनिधि उपयुक्त सूचना प्रदान नहीं करते। क्या सरकार का इरादा उन्हें आदेश देने का है कि यदि भारत से कोई व्यापारिक जानकारी के लिये आवेदन जाये तो अपेक्षित जानकारी दे दी जानी चाहिए ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि कोई शिकायत है। मैंने स्वयं विदेशों में जा कर इन मिशनों के काम को देखा है। कोई शिकायत का प्रश्न ही नहीं है।

Shri Sarjoo Pandey : Whether there is any control on the private persons going abroad and negotiating with people for advice or they are independent in their such dealings ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : गैर-सरकारी लोग विदेशों में जा कर अपनी व्यापारिक योजनाओं के अनुसार किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। परन्तु वह हमारे व्यापारिक प्रतिनिधियों से सलाह अवश्य करते हैं और उन्हें उचित परामर्श दिया भी जाता है।

श्री वारियर : क्या वाणिज्य मंत्रालय ने कोई ऐसी व्यवस्था की है जोकि इन सभी प्रतिवेदनों की छानबीन करे, विशेषकर उन प्रतिवेदनों का जिन का सम्बन्ध आविष्कारों अथवा अन्वेषणों से है ताकि उन की जानकारी का प्रयोग भारत की व्यापारिक फर्में कर सकें ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मेरा निवेदन यह है कि वाणिज्य मंत्रालय का सम्बन्ध केवल एक व्यापार के साथ है। जहां तक आविष्कारों का सम्बन्ध है वह जानकारी तो उद्योग मंत्रालय के पास भी आती है।

श्रीमती सावित्री निगम : शिकायत है कि यह दूत जब किसी जानकारी की व्यापारियों को जरूरत होती है, उन्हें नहीं देते, मैं यह जानना चाहती हूं कि इस दिशा में दोनों ओर के समन्वयदृष्टि से सरकार क्या पग उठाना चाहती है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : जहां तक सम्भव होता है हमारे वाणिज्य दूत जानकारी देने में बहुत सहायक होते हैं। जब कई बार व तुरन्त कोई जानकारी नहीं दे सकते तो उस का कारण यह होता है कि उन्हें जानकारी एकत्रित करनी होती है। समन्वय न होने का आरोप सत्य नहीं हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं भी विदेशों क कई दूतावासों में गया हूं। एक तो आप के नेतृत्व में गया। मुझे वहां कोई प्रदर्शन कक्ष दिखाई नहीं दिया। एसे दूतावासों के नाम क्या हैं जहां कि प्रदर्शन कक्ष हैं।

श्री से० वें० रामस्वामी : हमारे 17 प्रदर्शन कक्ष हैं और वे बड़े महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं। प्रत्येक दूतावास के पास एक शोकेस भी होता है जहां कि कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता ह, जोकि भारत में उत्पादित होते हैं।

श्री रा० शि० दुबे । इन वाणिज्य दूत का चयन किस प्रकार होता है ? क्या इस मामले में वाणिज्य अथवा उद्योग मंत्रालय का परामर्श लिय जाता है ?

श्री सें० व० रामस्वामी : ऐसे संयुक्त दूत हैं जिनके चयन में वाणिज्य मंत्रालय का परामर्श लिया जाता है।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार को विदेशी अथवा देश के व्यापारियों से कभी कोई शिकायत प्राप्त हुई कि भारतीय दुतावासों के वाणिज्य दूत उनसे सहयोग नहीं करते, यदि हां, तो क्या सरकार इसका उपचार करने के लिए कोई पग उठाने जा रही है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह बड़ा व्यापक प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : जहां तक मेरा विचार है, कोई नहीं है ।

श्री बसुमतारी : यह बात कहां तक ठीक है कि हमारे व्यापारी अब बिदेशों में जाते हैं तो ये हमारे दूत उनकी कोई सहायता नहीं करते ।

श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं फिर कहता हुं कि जितनी भी सम्भव सहायता हो सकती है, वह व्यापारियों को दी जाती है ।

श्री शिव नारायण : क्या ये दूत राजदूत के पथ–प्रदर्शन से काम करते हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : जैसे कि मैंने कहा है कि मिशन के प्रमुखों के अधीनस्थ के रूप में काम करते हैं ।

Shri Madhu Limaye : My question is that our Commercial Agents are not doing their work properly. Recently in West Germnay. there one our Insustrial Fair. In that Fair all books that were shown were of English. Whether in Germany English is spoken by the people? I want to draw the attention of the Minister towards this fact.

Mr. Speaker: The Honourable member has only drawn the attention.

Shri Madhu Liamye : I have also asked a question.

Mr. Speaker: It does not make a question.

कोयला खानों का विलय

\+

*599. **श्री सुबोध हंसदा:**
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रा० बरुआ :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी और अलाभप्रद कोयला खानों के स्वैच्छिक विलय को प्रोत्साहन देने के लिये नियुक्त की गई समिति उन्हें विलय के लिये मनाने में सफल रही है;

(ख) कितनी कोयला खानों ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार कोई ऐसा विधान पेश करने का है जिस से सभी अलाभप्रद कोयला खानों का विलय करना अनिवार्य हो जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) जी हा ।

(ख) 111 कोयला खानें एकीकरण के लिये राजी हो गई हैं और स्वैधिक एकीकरण समिति ने उनका 54 एककों में एकीकरण स्वीकार कर लिया है ।

(ग) और (घ). अनिवार्य एकीकरण का एक विधेयक प्रारूप अवस्था में है और उसके विभिन्न उपबन्धों पर सरकार अभी विचार कर रही है ।

श्री सुबोध हंसदा : जब से विलय योजना चली है, क्या कुछ अलाभप्रद खानों को बन्द कर दिया है, यदि हां, तो इस बन्द किये जाने से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : कुछ अलाभप्रद खानों को जरूर बन्द कर दिया गया है । मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं परन्तु विलय योजना से घाटे वाली खानें, शीघ्र ही बड़ी बन कर लाभ वाली बन जायेंगी ।

श्री सुबोध हंसदा : मैंने यह जानना चाहा था कि इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है ।

श्री संजीव रेड्डी : मुझे सूचना चाहिये ।

श्री सुबोध हंसदा : मंत्री महोदय से कहा है कि 111 खानें घाटे वाली हैं जिनका कि विलय किया जाना चाहिए । ऐसी खानों की संख्या क्या है जोकि अपनी इच्छा से विलीन होने को तैयार हैं । जो इस प्रकार के विलय को स्वीकार नहीं कर रहीं, उसके क्या कारण हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : जिन खानों ने स्वयं विलय होना मान लिया है उनकी संख्या बहुत ही कम है । अतः हमें विलय सम्बन्धों तक अनिवार्य विधान प्रस्तुत करना होगा ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या बलवन्त राय समिति की सारी सिफारिशों का परीक्षण किया गया है और सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अनिवार्य विलय के लिए विधान प्रस्तुत करना होगा ?

श्री संजीव रेड्डी : जी हां, जब हम विधान का कार्य हाथ में लेंगे तो सभी सम्बद्ध अंगों पर विचार करेंगे, यह भी विचार करेंगे कि इस बारे में बलवन्त राय समिति ने क्या सिफारिश की है । अधिकारियों ने एक बार खनन स्वामियों से कलकत्ता में बातचीत भी की है और उन्होंने कहा है कि हम विधेयक के सभी उपबन्धों को सम्मिलित कर देंगे ।

श्रीमत सावित्री निगम : मैं यह जानना चाहती हूं कि यह विलय योजना कब खनन स्वामियों के समक्ष रखी गयी थी? क्या उन्हें यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि विलय का क्या लाभ होगा? क्या उन्हें यह आश्वासन दे दिया गया था कि उनके दृष्टिकोण का ध्यान रखा जायेगा?

श्री संजीव रेड्डी : जी हां, यह सब बातें उन पर स्पष्ट कर दी गयी हैं, उनसे हम परामर्श कर रहे हैं, उनके दृष्टिकोण का ध्यान रखा जा रहा है । सब बातों का ध्यान रख कर ही विधेयक का प्रारूप तैयार किया जायेगा ।

Shri Yashpal Singh: On the one hand you are talking of decentralization and on the other small people are being finished. Some people believe in the theory of Survival of the fittest, but we believe in Sarvodya. On the one hand it is stated that there is no demand, supply is sufficient and on the other hand small Collieries are being finished. If there is no scarcity why this merger ?

Mr. Speaker. If small collieries are not working well, they may be asked to merge.

श्री संजीव रेड्डी : कठिनाई कोयला उत्पादन की नहीं है । ये खानें अधिक खर्च कर रही हैं । कई इतनी छोटी हैं कि वे अपनी मशीनरी इत्यादि का खर्च भी वहन नहीं कर सकतीं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : जो खनें विलीन नहीं होना चाहतीं उन्हें सहायता देने के बारे में सरकार ने विचार किया है, ताकि वे ठीक प्रकार से काम कर सकें?

श्री संजीव रेड्डी : यही तो कारण है कि कलकत्ता में खनन मालिकों का सम्मेलन बलाया गया था । हम उनके दृष्टिकोण का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। वे किस प्रकार की सहायता चाहते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करके ही हम विधान बनायेंगे ।

श्री रा० बरुआ : क्या ऐसी कोयला आधारित उद्योगों की कोई योजना बनाई गयी है कि कोयला बेकार न जाये?

श्री संजीव रेड्डी : कोयला बेकार नहीं जा सकता । यदि फालतू उत्पादन हो तो हम उत्पादन पर नियन्त्रण करेंगे । इसको बेकार नहीं जाने दिया जायेगा ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : कौनसी शर्तों के आधार पर खनन विलय का कार्यक्रम बनाया गया है?

श्री संजीव रेड्डी : शर्तों का कोई प्रश्न ही नहीं है । जब विधेयक संसद् के समक्ष आयेगा, हम उनके दृष्टिकोण का ध्यान रखेंगे और उसका सम्मान करेंगे । कुछ भी हो हम अनुभव से भी तो कुछ सीखते ही हैं ।

Shri R. S. Tiwary : Whether there 111 Collieries that are going to be centralized, what is the number of Madhya Pradesh Collieries?

श्री संजीव रेड्डी : नहीं जी । हमने मध्य प्रदेश को अभी नहीं लिया है?

Shri Bade Whether you are considering the principe of state-wise amalgamation ?

श्री संजीव रेड्डी : ये जो छोटी छोटी खानें हैं वे अधिक झरिया क्षेत्र में ही हैं। अभी हाल तो उन पर ही विचार किया जा रहा है। बाद में अन्य क्षेत्रों की खननों पर भी विचार किया जा सकता है, मगर विधेयक पारित करने के बाद।

श्री बड़े : प्रश्न यह था कि क्या वे राज्यवार हो सकेंगी ?

श्री संजीव रेड्डी : जब हम किसी राज्य विशेष की खननों पर विचार करेंगे तो समिति पर राज्य का प्रतिनिधि ले लेंगे।

स्कूटरों का उत्पादन

+

*600 {
श्री म० ला० द्विवेदी:
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह:
श्री भागवत झा आजाद :
श्री हिम्मतसिंहका:
श्री रामेश्वर टांटिया:

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्कूटरों का उत्पादन बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) स्कूटरों का निर्माण करने के लिये कितनी नई फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ग) वर्तमान फर्मों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये कहां तक सहायता दी गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग), सरकार ने स्कूटरों का निर्माण करने की अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस देने का निश्चय किया है। इस प्रयोजन के लिये चाव रखने वाली पार्टियों, जिनमें स्कूटरों के मौजूदा निर्माता भी शामिल हैं, को 31 मई, 1965 तक आवश्यक आवेदन पत्र देने के लिये आमंत्रित किया गया है।

Shri M. L. Dwivedi : In view of the increasing demand of scooters, may I know the percentage upto which the Government propose to increase the production capacity and when decision would be taken in this regard.

Shri T. N. Singh: We have always been making efforts to increase production...

Shri M. L. Dwivedi: I asked about the percentage of increase in production.

Shri T. N. Singh: 37,000 scooters were manufactured during 1964 against 26,500 during 1963. In this way the increase was 40% during one year. We have always been making efforts like thus. As there will be increase in use of indigenous components—their production would become more easier.

Shri L. N. Dwivedi: As the number of indigenous parts is going on increasing, so the prices of scooters and cars produced here are also going on increasing. For instance there has been an increase of Rs. 400/— in the price of Ambassador cars.....

Mr. Speaker: There is no need of an example.

Shri M. L. Dwivedi: May I Know whether the prices of scooters are likely to be increased like this?

Shri T. N. Singh: So far as ancillary and spare parts are concerned, we have always been looking into their prices. But I think that exaggerated charges are being levelled against them.

Shri M. L. Dwivedi: Are the prices going on increasing or not? It has not been answered.

Shri T. N. Singh: It is too early to say anything.

Shri M.L. Dwivedi: The prices have just been declared. M ay I know whether these are going to be increased or not?

Mr. Speaker: It has already been answered and this it cannot be repeated again.

श्री स० चं० सामन्त : अब कितने प्रतिशत पुर्जा आयात किये जाते हैं, और देश में उनका निर्माण करने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : आयात किये जाने वाले पुर्जों की प्रतिशतता मेक के अनुसार भिन्न भिन्न है । उदाहरणार्थ लम्ब्रेटा स्कूटरों के बारे में 19 प्रतिशत पुर्जे आयात किये जाते हैं, अन्य मेक के स्कूटरों के बारे में 80, 70 और 60 प्रतिशत देशीय पुर्जे लगाये जाते हैं। किसी भी हालत में देशीय पुर्जे 60 प्रतिशत से कम नहीं होते । इस प्रकार कुछ स्कूरों के बारे में तो 40 प्रतिशत और कुछ के बारे में 19 प्रतिशत पुर्जे बाहर से मंगाने पड़ते हैं।

Shri Yashpal Singh: On the one hand you say that scooters are being manufactured for middle class people and on the other hand you have imposed restriction that only those can get scooters who are earning Rs. 500/- and above. The upper middle class people can get scooters and also cars. But nothing is left for the middle class people. May I know what the Government are doing for them.

Shri T. N. Singh: We are trying to get cheap scooters, motor cycles and auto cycles so that the low paid group could be benefited. That is why we have decided to issue new licenses for their manufacture.

Shri Yashpal Singh: When it would be done.

Shri T. N. Singh: It is very difficult to say anything at present.

श्री अ० प्र० जैन : इंजीनियरिंग उद्योग की यह एक सामान्य बेचैनी रही है कि मोटर गाड़ियों, ट्रेक्टरों तथा स्कूटरों के निर्माण के लिये बहुत अधिक एककों को, जो इनका उत्पादन थोड़ी संख्या में और अधिक खर्चे पर करते हैं, लाइसेंस दिये जाते हैं । क्या इस अनर्थपूर्ण नीति का अन्त किया जायेगा और स्कूटरों के बारे में क्या माननीय मंत्री इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन एककों की संख्या बढ़ाने की बजाये उनकी क्षमता को बढ़ाया जाये ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मेरे विचार में मेरे माननीय मित्र को कहीं अधिक संतोष होता यदि उन्होंने उस अधिसूचना को देखने का कष्ट किया होता जिसमें नये लाइसेंस देने के लिये आवेदन-पत्र मांगे गये हैं। हमने इस प्रयोजन के लिये बड़े एककों की आवश्यकता पर ही बल दिया है जिससे अधिक उत्पादन से कम खर्चा हो।

श्री अ० प्र० जैन : माननीय मंत्री को ऐसा करना चाहिये जो वह अभी नहीं कर रहे हैं।

Shri K. N. Tiwary : It has been reported in the press that there would now be no need of getting licences for manufacture of scooters and motor cycles and all those who would to like manufacture them. would do so. If so, what arrangments would be made to meet the foreign exchange required for that purpose.

Shri T. N. Singh : I am not aware in which particular newspaper this report has appeared. I can tell only after looking into that paper.

लुधियाना में ऊनी धागा कातने के मिल

\+
*601 {
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री रा० बरुआ:
श्री यशपाल सिंह:
श्री रामचन्द्र उलाका:
श्री धुलेश्वर मीना:
श्री महेश्वर नायक:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे माल के अभाव के कारण लुधियाना में हाल ही में ऊनी धागा कातने की मिलों के बन्द होने से लगभग 1000 श्रमिक बेकार हो गये ;

(ख) यदि हां, तो कितने मिलों ने काम बन्द कर दिया, और

(ग) उन मिलों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है

विवरण

(क) अभी हाल ही में, लुधियाना स्थित ऊन कातने की कुछ मिलें ऊनी धागे की कमी के कारण पूर्ण अथवा आंशिक रूप में बन्द हो गयी हैं। इससे 400 श्रमिकों के बेकार होने की सूचना मिली है ।

(ख) दो मिलों के अतिरिक्त जहां कि पूर्णतः काम बन्द हो गया है, लुधियाने की किसी अन्य मिल में, इस समय पूर्णतः काम बन्द नहीं है।

(ग) कच्चे माल अर्थात् आयातित कच्चे ऊन के अभाव की समस्या सामान्य ढंग की है और यह विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति के कारण उत्पन्न हुई है। इसका सम्बन्ध केवल इन्हीं दो मिलों से नहीं है। विदेशी मुद्रा आवंटन में काफी कमी हो जाने के कारण, ऊन उद्योग की सभी मिलों के कच्चा माल आयात करने के वास्तविक उपयोक्ता कोटों में कमी कर दी गयी है। ये मिलें अपने कच्चे माल की स्थिति सुधारने के लिये निर्यात संवर्द्धन योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं और भारतीय ऊन का अधिक प्रयोग करके तथा ऊन में नकली ऊन का मिश्रण कर के भी लाभ उठा सकती हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिन स्थिति की दृष्टि से क्या सरकार ने सम्बन्धित ऊनी धागा कातने की मिलों को निर्यात वृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिये कहा है और यदि हां, तो इस से क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी: वे निर्यत वृद्धि योजना के बारे में जानते हैं परन्तु वे निर्यात में रुचि नहीं रखते हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: इसके लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि आयात किए हुए ऊन के स्थान पर देशीय ऊन का प्रयोग किया जाये जिससे सम्बन्धित कर्मचारियों के लाभकारी नियोजन के लिये ऊन के साथ मिश्रण के लिये संशिलिष्ट पदार्थों का यहीं प्रयोग किया जा सकें ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : हमारी नीति देशीय ऊन के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की है। वास्तव में इसके प्रयोग में बृद्धि भी हुई है। 1961–62 में 190 लाख पौंड की तुलना में 1962–63 360 लाख पौंड ऊन प्रयोग में लाई गई। परन्तु इसका प्रयोग सीमीत है। इस देश में लगभग 720/750 लाख पौंड ऊन का उत्पादन होता है। देशीय ऊन के उत्पादन तथा सप्लाई में बृद्धि करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री रा० बरुआ : विवरण से यह पता चलता है कि मिलों को अधिक भारतीय ऊन के प्रयोग के लिये कहा गया है। भारतीय ऊन की मांग की तुलना में इसकी सप्लाई की स्थिति क्या है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी: इस देश में उत्पादित मात्रा से सप्लाई सीमीत है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, कि 720/750 लाख पौंड ऊन का उत्पादन होता है। हम सप्लाई में बृद्धि कर रहे हैं। ऊन की तुमाई के लिये अधिक प्रबन्ध हो जाने से जब इसकी श्रेणी में सुधार हो जायेगा और फिर तब इसका मिलों में अधिक प्रयोग किया जा सकेगा।

Shri Yashpal Singh: Why do the Government not take over mills from those who have closed them and are thus doing harm to the country? Why are the Government delaying it?

श्री सें० वें० रामस्वामी: यह कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है।

श्री वारियर : क्या सरकार का ध्यान आयात किये गये ऊन की लागत तथा धागे और ऊनी वस्त्रों को बनाने की लागत में बड़ी भारी असामनता की ओर दिलाया गया है ? यदि हां, तो इसको दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : हम इस असमानता से अच्छी तरह अवगत हैं । इसको कम तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उपलब्ध मात्रा में वृद्धि नहीं की जाती । उपलब्ध विदेशी मुद्रा से यह सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है । 1961–62 में विदेशी मुद्रा की राशि 10.25 करोड़ रुपये थी । इस वर्ष यह 5 करोड़ रुपये हो गई है ? अतः इसकी उपलब्धता भी सीमित है :

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: In view of the state of emergency' whether the Government would take any special steps in order to get the mills, which have been closed and as a result of which the labourers are suffering, resumed their work.

श्री सें० वें० रामस्वामी : उनके पास तीन विकल्प हैं, निर्यात करके विदेशी मुद्रा के लिए हकदार होना, संशलिष्ट पदार्थों का ऊन में मिलाना; अथवा भारतीय ऊन को प्रयोग में लाना । इनमें से वे किसी भी विकल्प को अपनाना नहीं चाहते । वे कच्चे माल के वास्तविक कोटे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जब यह नहीं आ रहा है; इसलिये कुछ मिलों को बन्द होना पड़ा ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : पहले यह बताया गया था कि 'वूल टापस' और बढ़िया ऊन का उत्पादन करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । इसमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई है और इससे आयात करने की आवश्यकता में कितनी कमी हुई है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी: वास्तव में इस मामले का निपटारा कृषि मंत्रालय में किया जायेगा । मोटे तौर पर चार विभिन्न प्रकार की ऊन का उत्पादन हो रहा है । इन चीजों के विकास के लिये वह मंत्रालय विचार कर रहा है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या श्रमिकों को कोई प्रतिकर दिया गया है ? यदि हां, तो किस दर से ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : वह वहां की ऊनी मिलों की संस्था के अध्यक्ष का एक गैर–सरकारी कारखाना है । हमने उसे जो कुछ करने के लिये कहा है, वह नहीं कर रहा है । श्रमिकों का उसके विरुद्ध कोई दावा हो सकता है परन्तु उनका हमारे विरुद्ध ऐसा कोई दावा नहीं है ।

कैमरा बनाने का कारखाना

*603. **श्री प्र० र० चक्रवर्ती** : क्या **उद्योग और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर में कैमरा बनाने का एक कारखाना स्थापित करने की योजना स्वीकार कर ली है;

(ख) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक जापानी फार्म एक कारखाना स्थापित करने के लिये सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

"मैसर्स नेशनल इन्सट्रमेन्ट्स लि० द्वारा जो एक सरकारी प्रतिष्ठान है दुर्गापुर में दो प्रकार के कैमरों का उत्पादन करने की एक योजना पर सरकार विचार कर रही है। 1960 में जब जापानी सहयोग में इस योजना पर विचार शुरू किया गया था तो जापानी फर्म के साथ एक ही प्रकार के कैमरों का उत्पादन करने के लिये मशीनें लगाने के वास्ते समझौता किया गया था। लेकिन क्योंकि एक ही प्रकार के कैमरों का उत्पादम आर्थिक दृष्टि से सस्ता नहीं रहेगा इसलिए उसी जापानी फर्म के सहयोग से दोनों प्रकार की यानी 35 एम० एम० जिसका पहले उत्पादन करने का विचार था तथा सस्ते किस्म के कैमरों का साथ साथ उत्पादन करने के लिये बातचीत चल रही है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या इस संकलित परियोजना की लागत का अनुमान लगाया गया है ? यदि हां, तो भारत जापान के साथ सहयोग में कहां तक हिस्सा लेगा ?

श्री त्रि० ना० सिंह: यह परियोजना पूर्णत: सरकारी क्षेत्र में होनी थी और सारा विनियोजन सरकार द्वारा किया जाना था। जब परियोजना की रिपोर्ट प्राप्त हुई उस समय उसकी लागत 60.60 लाख रूपये थी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस संकलित योजना के बारे में जापानी फर्म से की जाने वाली बातचीत किस अवस्था में है ?

श्री त्रि० ना० सिंह: हम ने यह महसूस किया कि 230 रुपये का कैमरा, जैसा कि हम ने पहले योजना बनाई थी, बहुत मंहगा रहेगा और इसलिये हमें सस्ता कैमरा भी बनाना चाहिये। हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस में अभी कुछ समय लगेगा। मैं अभी यह नहीं बता सकता कि इस में अभी कितना समय लगेगा।

श्री विश्वनाथ राव : कैमरों के उत्पादन के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, क्या भारत इन में तब आत्म निर्भर हो जायेगा जब चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में सम्पूर्ण लक्ष्य पूरा हो जायेगा ?

श्री त्रि० ना० सिंह: मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इस बारे में योजना आयोग द्वारा निर्धारित की गई सम्पूर्ण आवश्यकतायें अभी उपलब्ध नहीं हैं।

Shri Madhu Limaye : May I know as to why Durgapur has been selected for this project and whether the cameras used in cinema industry would also be produced here.

Shri T. N. Singh: It has nothing to do with cameras of cinema. Since there is a glass factory in Durgapur, it has, therefore, been selected for this project.

Shri D. N. Tiwary: What would be the expenditure?

Shri T. N. Singh: I think it would be much.

Shri D. N. Tiwary: My question has not been answered.

Packing of Cement

*607 **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that owing to the packing of cement in gunny bags there is seepage of cement and it becomes wet during the rainy season leading to a substantial loss;

(b) whether Government have studied the method of packing cement prevailing in other countries ; and

(c) whether our national laboratories have manufactured any new packing metrial suitable for packing of cement in India?

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh:((a) Cement being a finely ground commodity, a little seepage does occure during handlings of gunny bags while in transit. It does not become wet in rainy season automatically though it is likely to deteriorate in quality of stored under moist conditions.

(b) Government are aware of use of other packing material for cement in other countries.

(c) No work has been carried out by the National Laboratories for the manufacture of new packing material suitable for packing of cement in India.

Shri Madhu Linaye : May I know whether Government investigated that what the percentage of seepage when their is so much scarcity of cement in the country.

Shri T. N. Singh: It is very difficult to tell the percentage.

Shri Madhu Limaye: Some people think that it is ten percentage.

Shri T. N. Singh : I agree.

Shri Madhu Limaye: We are spending so much on our National Laboratories. May I know whether it is not possible to ask thet to manufacture such matrial by which the seepage can be checked.

Shri T. N. Singh: We have made reseaches in our country and tried to manufacture Laminated vitaminised and Polithene strengthened. But this material will be very deer. However we are making more researches and watching the results.

Shri Onkar Lal Berwa: Previously bags of paper with crep were being in use. May I know why these bags are not in use now.

Shri T. N. Singh : There is scarcity of paper. Therefore we have decided not to use this. Production of jute has increased in our country therefore it is better if we use this.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether the attention of the Government has been drawn towards the report that factories do not fill the bag to their full capacity and the shopkeepers also throw some cement in handling.

Shri T. N. Singh : Personally I do not know this complaints. If somebody informs me in this regard I will definitely take stern action.

Shri Yashpal Singh: Why this is not being sold by weight ?

Mr. Speaker: The question is of packing.

श्री श्यामलाल सर्राफ : माननीय मंत्री ने कहा कि उन को यह पता नहीं, है कि सीमेंट रास्ते में कम हो जाता है । क्या उन को इस की जानकारी है कि कई मामलों में सरकारी क्षेत्र में सीमेंट

बोरियों से उस समय निकल जाता है जब वह स्टोर कीपरों के पास होता है तथा यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में ध्यान देगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह: मैं ने यह कहा था कि कुछ सीमेंट अवश्य निकल जाता है परन्तु जितने प्रतिशत निकलने की बात कही गयी है वह ठीक नहीं है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या बोरियां बनाने वालों को यह परामर्श दिया गया है कि विशेष प्रकार के थैले बनायें जिस से इस प्रकार का नुकसान न हो ।

श्री त्रि० ना० सिंह: भारत में बने हुए जूट के बोरे संसार में सब से अच्छे होते हैं । यह भी याद रखना चाहिये कि जो जूट का बोरा एक बार सीमेंट के लिए इस्तेमाल होता है वह और किसी काम नहीं आ सकता है ।

मक्का की खरीद

\+

*609. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री व० क० रामस्वामी :
श्री म० प० स्वामी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से दस लाख बूशेल मक्का खरीदी गई है, और

(ख) यदि हां, तो उसक ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख) : आल इंडिया स्टार्च मैन्यूफैकचरर्स एसोसियेशन बम्बई और मैसर्ज मेज़ प्रोडक्टस, अहमदाबाद ने सं० रा० अमेरिका से 10 लाख बूशेल (लगभग 2500 मी०टन०) मक्का खरीदने के संविदा किये हैं । माल की पहली खेप जहाज द्वारा इस महीने भेजे जाने की संभावना है ।

श्री दी० चं० शर्मा : गेहूं, चावल, मक्का आदि सभी चीजों के लिए हमें अमेरिका से ही क्यों कहते हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसी और देश से भी कम कीमत पर मक्का हम मंगा सकते हैं ।

श्री सें० वें० रामस्वामी: यह एक बड़ा प्रश्न है । मक्का के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि इससे कपड़ा उद्योग के लिये 'कलफ' निकाला जाता है । यह कलफ केवल टेपीओका अथवा मक्का से ही निकल सकता है । क्योंकि टेंपीओका उद्योग से आवश्यक कलफ नहीं मिल पाता है इसलिए हम इसका आयात अमरीका से करते हैं क्योंकि वहां से पी० एल० 480 के अधीन ऐसा करना लाभदायक रहता है । और हमें विदेशी मुद्रा व्यय नहीं करनी पड़ती है ।

श्री दी० चं० शर्मा : इस सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किये गये हैं कि यदि इस कलफ का वितरण राज्यों में समान रूप से हो और केवल अहमदाबाद, बम्बई अथवा गुजरात को ही यह न दिया जाये ।

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह उद्योग कपड़ा उद्योग के लिए सहायक उद्योग है तथा कपड़ा उद्योग के केन्द्र बम्बई तथा अहमदाबाद हैं । इसी कारण से कलफ उद्योग भी वहीं पर स्थापित होना चाहिए ।

श्री म०प० स्वामी : क्या कलफ उद्योग एक संक्षिप्त उद्योग है तथा यदि हां, तो क्या टैपीओका को भी संरक्षण है तथा यदि हां, तो मक्का का आयात करने की अनुमति सरकार ने क्यों दी है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी: मेरे विचार से उद्योग को कोई संरक्षण नहीं है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : भारत में उतरने के मक्का के मूल्य प्रति क्विंटल क्या है तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचने पर इसके क्या मूल्य हो जायेंगे ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं नहीं बता सकता । गैर-सरकारी लोगों ने करार किया है ।

श्री मुत्तु गौंडर : क्योंकि टेपीओका का कलफ बड़ी मात्रा में उपलब्ध है इसलिए क्या सरकार का विचार पी० एल० 480 के अन्तर्गत मक्का का आयात रोक देने का है अथवा इसको कम से कम पचास प्रतिशत कर देने का है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : माननीय सदस्य इस बारे में मेरे से पत्र–व्यवहार करते रहे हैं । मेरे से वह कई बार मिल चुके हैं । वह सेलम जिले से यहां आये हैं । मैं उन्हें बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जितना भी टैपीओका का कलफ मिलेगा उतना कपड़ा उद्योग को दे दिया जायेगा :

Shri Bade : May I know the number of Mills closed due to non-availability of starch and the action taken by the Government.

श्री सें० वें० रामस्वामी : मक्का से कलफ निकालने की पांच मिलें हैं । जनवरी से सभी बन्द हैं । परन्तु अमरीका से मक्का मिल जाने पर वह मिलें फिर चलने लगेंगी :

Shri Sarjoo Pandey : Hon. Minister has just now said that maize is being imported by private companies. May I know what check Government propose to have on the prices of the maize.

श्री सें० वें० रामस्वामी : वे मक्का बेचेंगे नहीं क्योंकि मक्का की कमी के कारण ही उनका कपड़ा उद्योग बन्द पड़ा है । इसके अतिरिक्त यह कलफ उद्योगों में ही इस्तेमाल हो सकता है ।

स्कूटरेटों का दिया जाना

\+
*610. श्री वारियर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री अब्दुल गनी गोनी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा

श्री बृजराज सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री ओंकार सिंह :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 में उनके मंत्रालय ने प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीय सरकारी कोटे में से स्कूटरेटों के आवंटन के परमिट दिये थे;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकारी कोटे में से 1962 में कितने सरकारी कर्मचारियों को स्कूटरेट दिये गये;

(ग) क्या यह भी सच है कि जितने लोगों को स्कूटरेट परमिट दिये गये थे उन सब को स्कूटरेट परमिट नहीं मिले क्योंकि बाद में स्कूटरेट का उत्पादन बन्द हो गया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) 174 ।

(ग) 99 आवंटकों को स्कूटरेट नहीं दिये गये हैं ।

(घ) इस मामले में कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की जा सकी कि स्कूटरेटों का उत्पादन अब बन्द कर दिया गया है ।

श्री वारियर : पहले प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री ने बताया था कि वह स्कूटरों के निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं तथा वह इसके बारे में नये लाइसेंस जारी कर रहे हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि जो निर्माण हो रहा था उसको क्यों रोक दिया गया है ?

श्री त्रि० ना० सिंह: यह एक ऐसा माडल था जिसको निर्माता ने बनाना बन्द कर दिया था । इसीलिए निर्माण कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए उनको पुर्जे नहीं दिए गए थे ।

श्री वारियर : क्या सरकार ने इन निर्माताओं से स्कूटरेटर बनाना बन्द करने के कारण पूछे हैं और इसका निर्माण पुन: आरम्भ करने के लिए कोई कदम उठाने के लिए कहा है ?

श्री त्रि० ना० सिंह: मैं बता चुका हूं कि इन स्कूटरेटों का निर्माण एक विदेशी सार्थ के साथ मिल कर किया जा रहा था । उस विदेशी सार्थ ने इस माडल को बनाना बन्द कर दिया इसलिए इसके पुर्जे मिलने बन्द हो गये ।

श्री दाजी : क्या यह सच नहीं है कि स्कूटरेटों का निर्माण इसलिए बन्द कर दिया गया क्योंकि सरकार ने इसके पुर्जों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा देने से इंकार कर दिया था ?

श्री त्रि० ना० सिंह : ऐसी कोई बात नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : If this company is not ready to produce these whether some other company is ready for the production of that ?

Mr. Speaker: The company which was producing should do it.

Shri Onkar Lal Berwa: May I know whether an opportunity would be given to those companies who have applied to produce scooters ?

Shri T. N. Singh : The company which was manufacturing, stopped production. We cannot force them to produce.

श्री रंगा : क्योंकि स्कूटर कारखानों में बहुत पूंजी लगी हुई है इसलिए सरकार ने इन लोगों की सहायता करने के लिए क्या किया है जिससे उस पूंजी का लाभ उठाया जा सके तथा किसी दूसरी विदेशी फर्म का सहयोग लिया जा सके ?

श्री त्रि० ना० सिंह : उनके उत्पादन कार्यक्रम में स्कूटरेट को बनाना भी शामिल था । अभी वह दूसरी प्रकार के स्कूटर आदि बना रहे हैं ।

मद्रास में इस्पात पुनर्वेलन एकक

\+

*612. **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री उटिया :
श्री लहरी सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री माते :
श्री प० ह० भील :
श्री बड़े :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में छोटे पैमाने के इस्पात पुनर्वेलन औद्योगिक एककों को एम० एस० बिलटों जैसे बुनियादी कच्चे माल के आवंटन के कोटे नहीं दिये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कच्चे माल की कमी के कारण उक्त छोटे पैमाने के एकक बन्द पड़े हैं; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत की इस्पात पुनर्वेलन संस्था छोटे एककों को अपना सदस्य नहीं बना रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या): (क) छोटे पैमाने की पुनर्वेलन इकाइयां मद्रास में और देश के दूसरे भागों में लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश में 1960 में

घोषित की गई छूट के परिणामस्वरूप स्थापित हुई थी। यह खास शर्त थी कि ये इकाइयां स्थानीय उपलब्ध पुनर्वेलन सक्रेप का उपयोग करेंगी और इन्हें नियंत्रित स्त्रोतों से कच्चे माल–बिलेट/सक्रेप का बंटन नहीं किया जाएगा। अतः इन इकाइयों को बिलेट का बंटन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). भारत की इस्पात पुनर्वेलन संस्था एक प्राइवेट संस्था है और सरकार का सदस्य बनाने पर कोई नियंत्रण नहीं है।

Shri Yudhvir Singh : Just now Government replied that in Madras and at other places if those persons who want to set up small units will be supplied iron scrap locally. Sometimes back Government ordered that big mills cannot sell their products in open market. But now when you have permitted big mills to sell their products in open market why you are not allowing small units to sell their products in open market?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): ऐसी कोई बात नहीं है। जब यह उद्योग आरम्भ किया गया था तो छोटे उद्योगों ने गारंटी दी थी कि उनको 'बिलेटों' आदि की जरूरत नहीं है। इसलिए अब कठिनाई है। पंजीबद्ध 'टी-रोल्स' को हम बिलेट नहीं दे पा रहे हैं।

Shri Yudhvir Singh: You have told that big mills have formed a association and their policy is not to give quota to a party who is not member of their association. Whether this policy is not against this that you want to help small mills ?

श्री संजीव रेड्डी : ऐसी कोई बात नहीं है। अब वह इसी शर्त पर आरम्भ की गई थी कि वह अपना काम 'स्क्रैप' से चलायेंगी। जब हालत ठीक हो जायेगी तब हम उनको अन्य प्रकार का कच्चा माल देंगे।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether steel Minister of Madras gave notice on 18-10-62 that mills are closed due to non-availability of raw material and if so, what action you have taken in this regard.

श्री संजीव रेड्डी : हमने अधिकांश को 25 प्रतिशत दिया है तथा इसीलिए केवल मद्रास से ही नहीं अपितु सभी राज्यों से शिकायतें आई हैं।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have any information in regard to losses due to the closer of small mills.

श्री संजीव रेड्डी : जब हमने कच्चा माल केवल 25 प्रतिशत ही दिया है तो निश्चित है कि शत प्रतिशत क्षमता पूरी नहीं हो सकी और नुकसान हुआ होगा। जब कच्चा माल उपलब्ध हो जायेगा तम हम अधिक मात्रा में देने लगेंगे।

Shri Bade: You have circulated anorder in Madras in 1964 that you will supply one third re-rolling scrap to these mills. You have reversed this order now and mills are closed and there is dissatisfaction amongst the labourers. May I know, why this order was reversed.

श्री संजीव रेड्डी : क्या माननीय सदस्य छोटे पैमाने के री रोलर्स उद्योग के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री बड़े : जी हां।

श्री संजीव रेड्डी: उनको कच्चा माल देने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि उनको तो 'स्क्रैप' का ही इस्तेमाल करना है। मैं इस बात को तीन बार बता चुका हूं।

श्री बड़े : उन्होंने आश्वासन दिया था कि री-रोलर्स को एक तिहाई कोटा दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया था। उन्होंने स्वयं ही कहा था कि वह 'स्क्रेप' का इस्तेमाल करेंगे।

श्री संजीव रेड्डी : स्क्रैप पर से नियन्त्रण हटा दिया गया है। वह उपलब्ध है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या यह सच नहीं है अभी भी री-रोलिंग मिलों द्वारा बनाई गई वस्तुयें देश में उपलब्ध नहीं हैं? क्या इन मिलों को चालू करने के लिए जांच करने के पश्चात् लाइसेंस दिए गए थे तथा यदि हां, तो आशा यह थी कि उनको कच्चा माल मिल जायेगा तो क्या मैं जान सकता हूं कि इनको कच्चा माल क्यों नहीं दिया जा रहा है?

श्री संजीव रेड्डी : 1960–61 में 'बिलेट' बहुत मात्रा में उपलब्ध थे। बाद में जब इस्पात कारखानों ने रोलिंग का काम शुरू कर दिया तो उपलब्धि आसान नहीं रही। अब हम किसी री-रोलिंग मिल को लाइसेंस नहीं दे रहे हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : कच्चे माल की बहुत कमी है। इसीलिए कई छोटी मिलें बन्द हो गई हैं इसके विपरीत स्क्रैप मार्केट में मुनाफाखोरी आदि भी बहुत है। माननीय मन्त्री का इस सम्बन्ध में क्या सुझाव है कि छोटे कारखानों के मालिकों को स्क्रैप पर्याप्त मात्रा में मिल जाये।

श्री संजीव रेड्डी : मेरे माननीय मित्र को कुछ गलतफहमी है। री-रोलर्स को कोई नये लाइसेंस नहीं दिए गए हैं। री-रोलर्स की संस्था है। बिलेट रजिस्टर्ड री-रोलर्स में वितरित कर दिए जाते हैं। भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है। अनरजिस्टर्ड री-रोलर्स के लिए स्क्रैप का कण्ट्रोल नहीं है। वह उसको खरीद सकते हैं और वह ऐसा काफी समय से कर रहे हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या बाजार में खरीदारी में एकाधिपत्य है?

श्री संजीव रेड्डी: जब कण्ट्रोल नहीं है तो एकाधिपत्य नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhaviaya : Would the Government assure these factories that they would be getting raw material regularly ?

श्री संजीव रेड्डी : उपलब्ध कच्चा माल वितरित कर दिया जायेगा; मैं इससे अधिक और कोई गारण्टी नहीं दे सकता।

पक्के कोक का मूल्य

\+

*613. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बाल्मीकी :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात कारखानों में उत्पादित पक्के कोक के मूल्य में वृद्धि करने के उनके तर्क को अस्वीकार करके पक्के कोक से मूल्य नियन्त्रण हटाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो नियन्त्रण किस तारीख से हटाया जा रहा ह; और

(ग) किन कारणों से नियन्त्रण जारी रखना निरर्थक हो गया था ?

इस्पात और खान मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) से (ग) . ऐसा कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है । तथापि, हार्ड कोक के मूल्य का गठन इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच है कि पक्के कोक की लागत इसके नियन्त्रित मूल्य से बहुत अधिक है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मूल्यों पर नियन्त्रण है । भिलाई, रूरकेला, दुर्गापुर और अन्य स्थानों में उन्होंने मूल्य नियत किये हैं ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच नहीं है कि दुर्गापुर इस्पात परियोजना के प्रबन्धकों ने सरकार से पक्के कोक के मूल्यों में वृद्धि करने के लिये कहा है क्योंकि इसकी उत्पादन पर अधिक लागत आती है ?

श्री संजीव रेड्डी : इसीलिये तो वे हमें मूल्यों में वृद्धि करने के लिये बार बार कहते हैं ।

श्री सं० चं० सामन्त : पक्के कोक के मूल्यों में अग्रेतर वृद्धि करने के लिये इन इस्पात कारखानों ने क्या तर्क दिया है ?

श्री संजीव रेड्डी : उत्पादन की लागत, कच्चे माल तथा विभिन्न अन्य वस्तुओं की लागत ।

श्री रंगा : जब ये राज्य उपक्रम हैं तो वे कैसे कहते हैं कि उनकी उत्पादन की लागत नियत मूल्यों से अधिक है ? क्या हम यह समझें कि सरकार और इसके अपने इस्पात निगम में बिल्कुल समन्वय ही नहीं है और व इन चीजों को समरूप रीति से नियत नहीं कर सकते हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : इन इस्पात कारखानों के अतिरिक्त पक्के कोक का उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में भी होता है । यह वहां फालतू नहीं है । इस्पात कारखाने मूल्य में वृद्धि के लिये प्रायः कहते रहते हैं । हम उत्पादन की लागत की जांच करने के पश्चात् या तो मूल्य बढ़ा देते हैं अथवा घटा देते हैं ।

Heavy Electricals Ltd., Bhopal

\+

*615. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Bagri :
Shri Indrajit Gupta :
Shri Buta Singh :

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 108 workers of the Heavy Electricals Ltd., Bhopal were removed from service during the last year ;

(b) if so, whether it is a fact that about 40 of these workers were arrested under D.I.R. and they were removed from service after their release, on the ground that they remained absent from duty for more than a month ;

(c) whether he had assured a delegation of workers which met him in this connection that a decision would soon be taken on their demands ; and

(d) if so, the action Government propose to take in the matter ?

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh) : (a) 84 workers of Bhopal Heavy Electricals factory were removed from service during last year.

(b) 37 employees were detained by the Madhya Pradesh State authorities under D.I.R. Services of 36 employees stand terminated on account of their unauthorised absence in terms of Standing Orders/Service Rules applicable to them.

(c) No Sir,

(d) Question does not arise.

Shri Madhu Limaye : My question is that when arrests are made under the Defence of India Act and no prosecutions are launched against them and they are not allowed to come out and when they are removed from service on their being absent from duty it is a great injustice to them. Even if these are Standing Orders in this regard, should we not have an human attitude towards them, what the Government are doing in this regard ?

Mr. Speaker : The hon. Member should put up a question.

Shri Madhu Limaye : The question is that whether the government are taking any step to reinstate them or to refer their case to a tribunal ?

Shri T. N. Singh : With reference to this case in which the workers remained absent from duty without sending leave applications, I would like to refer to the judgment of the Supreme Court which was delivered in another case of the Indian Iron and Steel, which reads thus.

> "यह सच है कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति काम पर आने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि वे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये थे। यह उनके दुर्भाग्य की बात हो सकती है ; परन्तु यह निर्णय देना न्यायसंगत नहीं होगा कि जब छुट्टी के लिये आवेदन पत्र दिया जाये तो कम्पनी को हमेशा छुट्टी दे देनी चाहिये। यदि शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने वाले अधिकारी एक भारी संख्या में श्रमिकों को एक श्रमिक झगड़े के सम्बन्ध में उनकी आपत्तिजनक गतिविधियों के कारण गिरफ्तार कर लेते हैं, जैसा कि इस मामले के बारे में हुआ, तो यदि कम्पनी को उन सब को प्रायः एक अनिश्चित अवधि के लिये छुट्टी देने के लिये बाध्य किया जायेगा तो उस कम्पनी का कार्य बन्द हो जायेगा।"

In this present case even the workers had not sent their applications for leave.

Shri Madhua Limaye : Mr. Speaker, I want your protection, Sir. It is not an ordinary company but is on the other hand a state-owned company. On the one hand we talk of socialism and the other hand injustice is being done to the poor workers. If the hon. Minister would give reply in this manner what would we do ?

Mr. Speaker : The hon. Member can ask for a discussion on this matter through a separate notice.

Shri Madhu Limaye : I want to have a reply from him through you. Is he ready to refer their case to the tribunal ?

Shri T. N. Singh : It can be referred to the tribunal if they apply for it.

श्री बूटा सिंह: सरकार भारत सरकार के उपक्रमों में श्रमिकों के राजनीतिक उत्पीड़न करने के लिये उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री त्रि० ना० सिंह: मैं नम्र निवेदन करता हूं कि इस मामले में राजनीतिक उत्पीड़न की कोई बात नहीं है । माननीय सदस्य का अनुमान बिल्कुल गलत है ।

श्री नाथ पाई : क्या माननीय मंत्री यह महसूस करते हैं कि श्रमिक सम्बन्धों में मुख्य संचालक तथा देश में सब से बड़े नियोजक के नाते सरकार पर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि ऐसे अवसरों पर उन्हें गैर-सरकारी उद्योग में नियोजकों की तरह प्रतिकारशील नहीं होना चाहिये, यह मान भी लिया जाय कि श्रमिकों .....

एक माननीय सदस्य : आपत्ति ।

श्री नाथ पाई : कौन आपत्ति करता है । You know nothing आप इस मामले के बारे में क्या जानते हैं ?

Mr. Speaker : If I also say like that.

श्री नाथ पाई : जो कुछ मैंने कहा है उसको दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्धों के लिये एक अच्छा ढंग निकालेगी ?

अध्यक्ष महोदय: सरकार को इसका भी ध्यान रखना चाहिये ..... (अन्तर्बाधाएं)

श्री कपूर सिंह : उसे इसको स्पष्ट करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय: उसने प्रश्न समझ लिया है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It is a very important question and since it relates to my state, I may be allowed to put supplementaries.

अध्यक्ष महोदय: जी, नहीं ।

श्री कपूर सिंह: स्थिति को स्पष्ट करने के लिये आप अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय: क्या वह इस पहलू को ध्यान में रखना चाहते हैं कि सरकार सब से बड़ी नियोजक है ?

श्री त्रि० ना० सिंह: इस विशेष प्रश्न में, जैसा कि सभा को मालूम है, 1964 के प्रारम्भ में कारखाने में गड़बड़ी और अन्य कई बातें की गईं जिससे लोक सम्पत्ति को खतरे में डाला गया.....

श्री दाजी: जी, नही । मैं इस पर आपत्ति करता हूं । इसकी जांच होनी चाहिये । प्रबन्धकों ने गोलमाल किया ।

श्री त्रि० ना० सिंह: इस दंशा प्रक्रम में भावुकतापूर्ण विचारों में बहने की बजाये हमें न्याय-संगत और उचित कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री नाथ पाई : भावुकतापूर्ण विचार ।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न ।

कागज तथा लुगदी उद्योग

+

*616. श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री उइके :
श्री चाण्डक :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जनवरी, 1965 को नई दिल्ली में कागज, लुगदी तथा सम्बद्ध उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् की बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो परिषद् ने चौथी पंचवर्षीय योजना में कागज तथा सम्बद्ध उद्योगों के विकास के लिये क्या निर्णय किये ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) विकास परिषद् ने चौथी पंचवर्षीय योजना में कागज उद्योग के निरन्तर विकास को स्थिर रखने के लिए, उत्पादन खर्च को कम करने के लिए तथा कागज उद्योग को विदेशी मुद्रा के नियतन के लिए इस उद्योग की तकनीकी और वित्तीय दोनों प्रकार की कठिनाइयों पर विचार विमर्श किया था और इन कठिनाइयों को दूर करने के वास्ते आवश्यक सुझाव देने के लिए दो समितियां नियुक्त करने का निश्चय किया है ।

उसने कागज उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करने के प्रश्न पर भी विचार करने के बाद निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :

1. सभी राज्य सरकारों को कहा जाए कि वह कागज उद्योग को जंगलों का लम्बी अवधि के लिए पट्टा देने के लिए समान नीति अपनाएं ;

2. मिश्रित सख्त लकड़ी की लुगदी बनाने को प्रोत्साहन दिया जाए ;

3. राज्य सरकार और कागज उद्योग शीघ्र उगने वाले पेड़ लगाने शुरू करें ;

4. खोई को जो कि चीनी उद्योग का उपोत्पाद है कागज बनाने के लिए काम में लाया जाए इसके लिए चीनी उद्योग के वास्ते खोई के स्थान पर अन्य ईंधन देने तथा बायलरों की दक्षता को बढ़ाने की समस्याओं को हल करना पड़ेगा । परिषद् ने इन समस्याओं के समाधान खोजने के लिए दो अन्य समितियों की नियुक्ति भी भी की है ।

Shri D.N. Tiwary : Have the three new committees constituted by the Development Council started functioning now, if not, when they would start functoining ?

Shri T. N. Singh : All the three committees have been constituted and are doing their work.

Shri D. N. Tiwary : Has the committee constituted in connection with bagasse submitted any interim report or not and if not, when it would submitt it ?

Shri T.N. Singh : The committee has been constituted through N.I.D.C. and its report is almost ready.

श्री विश्वनाथ राय : जंगली घास और खोई जैसे कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता की दृष्टि से क्या इस सम्मेलन में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश तथा बिहार में कारखाने स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव अथवा सुझाव रखा गया था ?

श्री त्रि० ना० सिंह : ये सभी मामले विचाराधीन हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्योंकि प्रश्नों की सूची समाप्त हो गई है, क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि अब तारांकित प्रश्न संख्या 608 लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि समय है तो इसका उत्तर दिया जा सकता है ।

पन्ना में हीरों का खनन

\+

*608. **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 27 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 230 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि सब से बढ़िया किस्म के हीरों को निकालने के उद्देश्य से, जिन्हें विदेशी बाजारों में बेच कर विदेशी मुद्रा कमाई जा सके, मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में खनन-कार्य के लिये सरकार ने क्या विशेष प्रयत्न किये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या): सरकार ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० द्वारा मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में मझगवान खुली खान के विकास की योजना स्वीकार

कर दी है। शुरू में हीरों का वार्षिक अनुमानित उत्पादन 15,000 केरेट है जो अन्त में बढ़ा कर 22,500 केरेट हो जाएगा। साथ ही निगम द्वारा भूगर्भ से नमूने लेकर जांच करने का काम किया जा रहा है और यदि परिणाम उत्साहजनक निकले, तो भूगर्भ खनन भी शुरू कर दिया जायगा। सरकार ने पन्ना के रामखेड़िया क्षत्र में विदोहन की एक अन्य योजना भी स्वीकार कर ली है और आशा है यह काम जून, 1965 तक पूरा हो जायगा। यदि परिणाम अनुकूल निकले तो इस क्षेत्र में भी खुली खान के विकास के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

हीरों के कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत सम्भवतः औद्योगिक किस्म का होगा जिसकी खपत देशी उद्योगों में होगी, जब कि शेष 60 प्रतिशत उत्पादन (जैम) हीरे की किस्म का होगा। खान से वास्तव में उत्पादन आरम्भ होने पर अच्छी किस्म के जैम हीरों को विदेशों में भेजने की सम्भावना पर विचार किया जायगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि उत्तर इतना लम्बा था तो इसे सभा पटल पर रख दिय जाना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हो गया है। अनुपस्थित सदस्यों का धन्यवाद, हमने सूची पूरी कर ली है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Collaboration with foreign countries

595. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Mauritius and some other countries have approached the Government of India to set up some industries there with Indian collaboration;

(b) whether it is a fact that some countries have also approched Government for carrying out preliminary survey for such industries; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) Government of India are keen to help the countries concerned to the maximum extent possible. Feasibility surveys and other preliminary steps as required are carried out wherever necessary.

विदेशों में भारतीय उत्पादों का प्रचार

*596. **श्री कोया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के माध्यम से तथा अन्य उपायों से निर्यात बढ़ाने के लिये विदेशों

में भारतीय उत्पादों के प्रचार में सुधार करने के लिये सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बात क्या है ; और

(ग) उसको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया (देखिए संख्या एल० टी० 4074/65]**

केन्द्रीय रेशम अनुसंधान संस्था, बरहामपुर

*602. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय रेशम अनुसन्धान संस्था, बरहामपुर पश्चिम बगाल से अच्छी नस्ल के रेशम के कीड़ों की जो मांग की थी उसे पूरा नहीं किया गया और केन्द्र ने पहले जो नस्ल तैयार की थीं उनका ह्रास हो रहा है ; और

(ख) इसका क्या कारण है कि अनुसन्धान कार्य में प्रगति नहीं हो रही है यद्यपि केन्द्र का बजट चार गुना बढ़ गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी, नहीं। पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय रेशम अनुसन्धान संस्था, बरहामपुर से अच्छी नस्ल के रेशम के कीड़ों की कोई विशेष मांग नहीं की है । यह भी ठीक नहीं है कि केन्द्र ने जो पहले नस्ल तैयार की थीं उन का ह्रास हो रहा है ।

(ख) अनुसन्धान केन्द्र में अनुसन्धान कार्य रुक नहीं गया है । इसके प्रतिकूल अनुसन्धान केन्द्र ने अपने कार्यों को सभी क्षत्रों में स्थिरता के साथ बढ़ाया है ।

Recruitment to Class III services.

*604. **Shri A.P. Sharma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for conducting the examinations for recruitment to Class III services on the Railways which is made zone-wise through the medium of English in those States where education is imparted through Hindi medium; and

(b) the steps being taken by Government in this direction?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b) Examinations for recruitment to all Central (including Railways) services in Class III are present being conducted through the medium of English. It would not be correct for the Ministry of Railways alone to take a unilateral action in the matter by conducting such examinations in Hindi for recruitment to Class III posts on Railways.

मैंगनीज तथा क्रोमाइट खानों से रायल्टी

*605. **श्री प्र० के० देव :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 तथा बाद की अवधि के लिये उसके अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन में निर्धारित की गई रायल्टियां वसूल करने के लिये कुछ मैंगनीज़ तथा क्रोमाइट खानों में पुनः आसेध कार्यवाही चालू कर दी, जब कि केन्द्रीय सरकार का इससे पहले का एक रोक आदेश था और उसके बाद के निर्धारण के बारे में पुनर्विचार याचिकाएं केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन थी ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). अभीष्ट सूचना उड़ीसा राज्य से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन के सामने रखी जायेगी।

शंकर शरण न्यायाधिकरण

*606. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शंकरशरण न्यायाधिकरण की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इतनी अधिक देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) वास्तव में कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) शंकर शरण न्यायाधिकरण ने कुल नौ सिफारिशें की थीं, उन्हें ज्यों की त्यों मानकर रेलवे बोर्ड ने उन पर आदेश जारी कर दिये हैं ।

इन सभी निर्णयों पर रेलों ने कार्रवाई शुरू कर दी है और ये निणय अमल की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

इन निर्णयों पर अन्तिम रूप से कार्रवाई करने में देरी का एक कारण यह है कि इन्हें 1–10–1962 से लागू करना था। इसके अलावा पदोन्नत पदों को निर्दिष्ट करते हुए संशोधित प्रतिशत के अनुसार पदों का पुनर्वितरण करने, उनके धारकों को निर्धारित करने और बकाया रकमों के परिकलन और उनके निबटारे के कारण भी देर हुई ।

छोटी कार परियोजना

*611. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री कृ० चं० पंत :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेनाल्ट नाक फ्रांसीसी मोटर निगम भारत में छोटी कार के निर्माण के बारे में एक पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन देने के लिये सहमत हो गया है।

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिवेदन कब तक दे दिया जायेगा ; और

(ग) क्या छोटी कार को अनुमानित लागत बताने वाला कोई तदर्थ परियोजना प्रतिवेदन दिया जा रहा है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) 2 से 3 महीनों के अन्दर ।

(ग) जी, नहीं ।

हथकरघा उद्योगों को राजसहायता

*151. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1964–65 में देश के हथकरघा उद्योगों को केन्द्रीय सरकार से सहायता मिली थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी, हां ।

(ख) हथकरघा उद्योग के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की मार्फत विभिन्न योजनाओं के लिये ऋणों और अनुदानों के रूप में उपदान देती है । इनका विस्तृत उल्लेख सभा पटल पर रखे गए विवरण में किया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4075/65]** । 1964–65 में इन योजनाओं के लिये दिये गये धन की वास्तविक राशि का पता वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद ही चल सकेगा ।

जूतों का उद्योग

1592. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1964–65 में देश में जूतों का उत्पादन कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1964–65 में जूता उद्योग के उत्पादों से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं तथा भारी उद्योग क्षेत्र में जूतों के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 1964 में अप्रैल से दिसम्बर तक कुल 322.59 लाख रु० के मूल्य के जूतों का निर्यात किया गया ।

डीजल इंजन चालित रेल गाड़ियां

1593. श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर रेलवे में डीज़ल इंजिन चालित गाड़ियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) कितने डीज़ल इंजन खराब पड़े हैं ; और

(ग) इनकी मरम्मत करने और काम में लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) इस समय उत्तर रेलवे में डीज़ल इंजनों से चलने वाली गाड़ियों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

बड़ी लाइन

सवारी गाड़ी (शटल)—	प्रत्येक दिशा से एक-एक गाड़ी
सीधे जाने वाली माल गाड़ी—	विभिन्न खंडों पर प्रत्येक दिशा से 72.5 गाड़ियां

छोटी लाइन

सवारी गाड़ी—	प्रत्येक दिशा से एक-एक गाड़ी

(ख) उत्तर रेलवे में बेकार पड़े डीज़ल रेल इंजनों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

बड़ी लाइन—	शंटर किस्म के 6 रेल इंजन
छोटी लाइन—	कोई नहीं ।

(ग) बेकार पड़े रेल इंजनों की मरम्मत करने और उन्हें काम में लाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जा रही है। शंटर किस्म के एक रेल इंजन की ओवरहालिंग की जा रही है और आशा है कि इस महीने के अंत तक उससे काम लिया जाने लगेगा। बाकी रेल इंजन भी शंटर किस्म के हैं। उनके लिए विदेश से कुछ सामान मंगाने के लिए आर्डर दिये जा चुके हैं जिनके मिल जाने पर ये रेल इंजन भी काम में लगा लिये जायेंगे ।

रेल के डिब्बों में जुआ

1594. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में रेल के डिब्बों में खुले आम जुआ रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) 1964 में उत्तर रेलवे में रेलवे-सम्पत्ति की चोरी के कितने मामले दर्ज किये गये और इनमें से कितने मामलों की जांच अभी बाकी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सरकारी रेलवे पुलिस, जो जूआ की रोकथाम के लिए जिम्मेवार है, रेल परिसरों में अचानक जांच करती है, कड़ी गश्त लगाती है और छापे मारने का आयोजन करती है। इन कार्रवाइयों के फलस्वरूप 1964 में सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा रेल-डिब्बों में केवल एक मामला पकड़ा गया।

(ख) सरकारी रेलवे पुलिस ने रेल-परिसम्पत्ति की चोरी के 639 मामले दर्ज किये। इनमें से केवल 6 मामलों की जांच अभी बाकी है।

स्टेशनों पर विश्रामकमरे

1595. **श्री चुनी लाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के दिल्ली-कालका खण्ड में मुख्य मुख्य स्टेशनों पर विश्रामकक्ष बनाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्टेशनों पर और कितने विश्रामकक्ष बनाये जायेंगे और वे कब तक बन जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). अम्बाला छावनी स्टेशन पर विश्रामालय की व्यवस्था करने के बारे में रेल-प्रशासन विचार कर रहा है। लेकिन विश्रामालम का वास्तविक निर्माण धन की उपलब्धि पर निर्भर है।

दिल्ली–कालका खण्ड में पीन का पानी

1596. **श्री चुनी लाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली-कालका खण्ड में कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहां यात्रियों के लिए पीने के पानी में दुर्गन्ध आती है और पानी का जायका भी खराब होता है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलव मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). पिछले दिनों दिल्ली-कालका खण्ड के बादली और अमीन स्टेशनों पर कुओं से सप्लाई किये जाने वाले पीने के पानी के बारे में शिकायतें मिली थीं। इन स्टेशनों के कुओं को पानी निकालकर पूरी तरह साफ कर दिया गया है। पीने के पानी में सुधार करने के लिए उपाय बरते गये हैं। कुओं के रोगाणुनाशन के लिए नियमित रूप से पोटाश्यिम परमेंगनेट इस्तेमाल किया जाता है और अब इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है।

निर्यात

1597. **श्री राम हरख यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1964 की तुलना में जनवरी, 1965 में निर्यात का परिमाण बहुत कम था ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कारण भारत को कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) तथा (ग). जनवरी 1965 में निर्यात, पुनर्निर्यात सहित, 64 करोड़ रुपये का हुआ जबकि गत वर्ष इसी मास में 65 करोड़ रुपये का हुआ था। इस प्रकार कमी केवल एक करोड़ रुपये की हुई।

(ख) बनस्पति तेलों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने तथा चीनी के निर्यात कोटे में कमी करने के कारण निर्यात में यह कमी हुई है।

अखबारी कागज का आयात

1598. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में देश में कुल कितनी मात्रा में अखबारी कागज का आयात किया गया और निर्माण किया गया ; और

(ख) इसी अवधि में अखबारी कागज के आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) (क) और (ख). 1964–65 (दिसम्बर 1964 तक) कुल 70,675 मी० टन अखबारी कागज का आयात किया गया जिसका मूल्य 509 लाख रु० था। 1964–65 (जनवरी 1965 तक) देश में तैयार किये गये अखबारी कागज़ का परिमाण 24,048 मी० टन था।

नंगी रेलवे स्टेशन पर घटना

1599. **श्री राम हरख यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 मार्च, 1965 की रात में पूर्व रेलवे के सियालदा-बजबज खंड में कलकत्ता से दो मील दूर नंगी रेलवे स्टेशन पर क्रुद्ध यात्रियों की एक भीड़ ने हमला किया और स्टेशन को क्षति पहुंचाई ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे ; और

(ग) रेलवे स्टेशन की क्षति का ब्यौरा क्या है और उस का अनुमानित मूल्य कितना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). 6–3–65 को लगभग 19–43 बजे यात्री गाड़ी सं० एस–223 अप नंगी रेलवे स्टेशन की मुख्य लाइन सं० 1 पर पहुंची। उसी समय, गाड़ी सं० एस––224 डाऊन भी अकरा की ओर से नंगी रेलवे स्टेशन पर आ रही थी। क्योंकि वहां एक ही मार्ग है इसलिए रेलवे अधिकारियों ने निश्चय किया कि इन गाड़ियों का मेल वहीं हो। इसलिये गाड़ी सं० एस–224 डाऊन को 'लूप' लाइन सं० 2 पर भेजना था। जो कांटा इस मनोरथ के लिये बदला जाना था

उसने ठीक कार्य नहीं किया और परिणाम स्वरूप गाड़ी सं० एस 224 डाऊन को संकेतों (सिग्नल्स) पर ही रोक देना पड़ा। इसी बीच सहायक स्टेशन मास्टर ने, जो उस समय ड्यूटी पर थे, सियालदह यातायात नियंत्रण के परामर्श से, गाड़ी सं० 223 को 'लूप' लाईन पर लाने का प्रबन्ध किया। इस प्रकार इस गाड़ी को भी उसी अकेली लाईन पर लाया जाना था जहां गाड़ी सं० एस 224 डाऊन पहले ही संकेतों के पास खड़ी हुई थी। सामने से टक्कर की आशंका के भय से गाड़ी सं० एस 224 के यात्रियों ने शोर मचाना और गाड़ी से उतरना आरम्भ कर दिया। गाड़ियों का मेल सुरक्षापूर्ण ढंग से हो गया और गाड़ी सं० एस-224 भी सुरक्षापूर्ण ढंग से मुख्य लाईन पर ले जाई गई। गाड़ी सं० एस-224 के यात्री भगदड़ में और आवेश में आकर रेलवे स्टेशन की ओर दौड़े और रेलवे कर्मचारियों पर आक्रमण किया जिन्हें अपनी सुरक्षा के लिये भाग जाना पड़ा। भीड़ ने यह भाव व्यक्त किया, यद्यपि यह गलत था, कि रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही तथा असावधानी से टक्कर हो जाती यदि वे समय पर शोर न मचाते।

इसमें 536.75 रुपये की नकदी की हानि हुई है। रेलवे की सम्पत्ति की क्षति का अनुमान 442 रुपये है। सियालदह की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 146/380/427 तथा भारत सुरक्षा नियमों के नियम 41(5) के अधीन मामला दर्ज किया और 3 व्यक्ति बन्दी बनाए।

ट्यूनीशिया से व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल

1600. **श्री राम हरख यादव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्यूनीशिया से एक व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल भारत आया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की यात्रा का क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). जी, हां। चालू भारत-ट्यूनीशिया व्यापार करार के अनुच्छेद 5 के अन्तर्गत निर्धारित संयुक्त भारत-ट्यूनीशिया आयोग की जो बैठक 3-3-65 से 9-3-65 तक व्यापार करार के अनुसार हुए काम की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली में हुई थी उसमें भाग लेने के लिये ट्यूनीशिया का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल भारत आया था। वार्ता के अन्त में दोनों सरकारों के मध्य यह समझौता हुआ कि दोनों देशों के मध्य होने वाले व्यापार विनिमय का परिणाम 1964 की अपेक्षा 1965 में दुगना कर देना चाहिये।

जगाधरी वर्कशाप का ठेकेदार

1601. **श्री ओंकार लाल बेरवा** :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में जगाधरी वर्कशाप के एक ठेकेदार को मध्यस्थ निर्णय के तौर पर लगभग तीन लाख रुपये दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर ;

(ग) ठेकेदार ने वास्तव में कुल कितना कार्य किया था जिसके लिए उसने अपना दावा किया था ;

(घ) क्या कार्यपूर्ति की लक्ष्य-तिथि के उपरान्त अवधि बढ़ाने के लिए कोई अनुमति दी गई थी और यदि हां, तो उसके क्या कारण थे; और

(ङ) ठेके की शर्तें पूरी न करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां । विवाचन निर्णय के अनुसार एक ठेकेदार को 2.96 लाख रुपये का भुगतान किया गया है ।

(ख) ठेकेदार के साथ कुछ झगड़े ऐसे थे जो समझौते द्वारा नहीं निपटाये जा सके, इसलिए ठेके की शर्तों के अनुसार उन्हें विवाचन के सुपुर्द करना पड़ा ।

(ग) लगभग 20.67 लाख रुपये का काम, जिसमें विवाचक-निर्णय के अनुसार किये गये भुगतान की रकम शामिल है ।

(घ) जी हां, क्योंकि नये आर० सी० सी० शेडों के पेचीदा डिज़ाइनों ने काफी समय ले लिया । इसके अलावा, शेड में होने वाले सामान्य काम में बिना किसी तरह की रुकावट डाले, विस्तार के लिए मौजूदा शेडों के विभिन्न सेक्शन को उपलब्ध करने के कारण देर हुई । इस्पात और सीमेंट की सप्लाई में भी देर हुई जो प्रशासन के काबू से बाहर की बात थी । इन सब बातों को देखते हुए समय समय पर ठेके की अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी गयी ।

(ङ) जिन परिस्थितियों में काम पूरा करने की तारीख बढ़ानी पड़ी वे ठेकेदार के काबू से बाहर थीं, इसलिए ठेके की शर्तें पूरी न करने के सम्बन्ध में कार्रवाई करने का सवाल नहीं उठता ।

Salt from Water at Farukh Nagar.

1602 { **Shri Onkar lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a scheme to manufacture salt from brine water at Farukh Nagar in the Gurgaon District; and

(b) if so, the stage at which the matter stands now and when these salt works are likely to be set up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) and (b). A scheme to revive the salt works in Farukh Nagar is under the consideration of the Government of Punjab. The State Government, in consultation with the Salt Department, have undertaken initial investigations, which are in progress. The question will be pursued further after the result of the investigations is available.

रूरकेला में उर्वरक कारखाना

1603. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में उर्वरक कारखाना इस प्रकार बनाया गया है कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में गैस न मिलने के कारण कारखाने में निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं हो सकता;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) वार्षिक उत्पादन तथा हानि कितनी होती है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी, नहीं । कारखाने का रूपांकन चार स्ट्रीम आप्रेशन द्वारा प्रतिवर्ष 580,000 टन केलसियम अमोनियम नाईट्रेट फर्टीलाईजर का उत्पादन करने के लिए किया गया है । लेकिन कोक ओवन गैस और इस में हाईड्रोजन की मात्रा की कमी के कारण अभी तक चार स्ट्रीमों में से केवल दो स्ट्रीम ही चालू हो सके हैं ।

(ख) एक विशेषज्ञ समिति के रिपोर्ट के आधार पर उपरिलिखित त्रुटियों को दूर करने के लिये प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं जिस से अधिकतम क्षमता तक उत्पादन किया जा सके । इस विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष वैज्ञानिक और औद्योगिक अनसंधान परिषद् के निर्देशक डा० हुसैन ज़हीर थे । समिति की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई थी ।

(ग) अप्रैल, 1964 से जनवरी, 1965 की अवधि में 1,41,020 टन केलसियम एमोनियम नाईट्रट का उत्पादन हुआ और इस अवधि में 94.37 लाख रूपए की हानि हुई ।

सोनीपत-जींद रेलवे लाइन

1604. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर रेलवे में गोहाना होते हुए सोनीपत से जींद तक एक नई रेलवे लाईन बिछाने के लिए 1964 में कोई सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने आगे क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस पर कितना अनुमानित व्यय होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठते ।

रबड़ का उत्पादन

1605. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में कच्चे रबड़ का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या वर्ष 1962 और 1963 की तुलना में उत्पादन में कुछ थोड़ी बृद्धि हुई थी; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) 44,248 मी० टन ।

(ख) 1964 में हुआ उत्पादन 1963 की अपेक्षा लगभग 18.90 प्रतिशत और 1962 की अपेक्षा 41.1 प्रतिशत अधिक रहा ।

(ग) भारत में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नीचे दिये गये कदम उठाये गये हैं:–

1. पुनरोपण उपदान योजना

रबड़ बोर्ड द्वारा, घाटे में जा रहे रबड़ क्षेत्रों के पुनरोपण के लिये 1,000 प्रति एकड़ का उपदान दिया जा रहा है ।

उन छोटे उत्पादकों को, जिनका रबड़ उत्पादन क्षेत्र 15 एकड़ से अधिक नहीं है, उपदान के अतिरिक्त नीचे लिखी रियायतें दी जाती हैं:—

(1) रोपण सम्बन्धी सामान का नि:शुल्क संभरण,

(2) खाद का आधी कीमत पर संभरण,

(3) समोच्च सीढ़ीदार खेत बनाने और "एड्डाक्लाइज़' निर्माण के लिये अधिकतम रू० 30—प्रति एकड़ का उपदान देना, और

(4) खाद की खाइयां या गढ़े बनाने के लिए अधिकतम 20 रू० प्रति एकड़ का उपदान देना ।

2. नवीन रोपण ऋण योजना

रबड़ बोर्ड द्वारा इस ऋण का अनुदान, उन छोटे उत्पादकों को जिनके पास 15 एकड़ से कम क्षेत्र है, इस क्षेत्र का 5 एकड़ से 15 एकड़ तक अधिक विस्तार करने के लिये दिया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत प्रति एकड़ 750 रु० व्याज रहित ऋण का अनुदान दिया जाता है, जिसकी वापसी रोपण के 10 वर्ष पश्चात 7 वार्षिक किश्तों में की जाती है ।

3. अपरिपक्व क्षेत्रों की व्यवस्था के लिये ऋण

ऋणों का अनुदान उन छोटे उत्पादकों को, जिनके पास एक से 15 एकड़ रबड़ भूमि है उनके उस अपरिपक्व क्षेत्रों को सुधारने के लिये दिया जाता है जिसमें अधिक उत्पादन वाले रोपण सामान उपयोग में लाया गया हो । ऋण व्याज रहित है । इस ऋण की वापसी भी बराबर की वार्षिक किश्तों में स्थापना से 10 वर्ष पश्चात् से की जायेगी ।

4. रबड़ रोपण के लिये दीर्घकालीन ऋण

कृषि पुनर्वित्त निगम ने अपनी सहमति, 15 एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्र में रबड़ उत्पादन करने वालों को दीर्घकालीन ऋण देने के लिये दे दी है । ऋण योजना का उद्देश्य रोपण के प्रथम वर्ष में वित्त की व्यवस्था करना और बाद के वर्षों में उनकी व्यवस्था व देखभाल करना है ।

5. रोपण सामान का वितरण

बोर्ड रबड़ उत्पादकों को उच्छी फसल देने वाले रोपण सामान भी प्रदान करता है । ऊपर बताई योजना के अतिरिक्त, बोर्ड यह भी करता है :—

1. रोगों के आक्रमण आदि रोकने के लिये पौधा संरणक्ष उपकरण वितरित करना,

2. टैपिंग की वैज्ञानिक विधियां सिखाने के लिये टैपरों को प्रशिक्षण देना, और

3. विभिन्न केन्द्रों में प्रयोगों द्वारा यह प्रदर्शित करना कि बर्तमान बागानों में रोपण करने, खाद देने और पौधों का संरक्षण करने की विधियां अपनाने से किस प्रकार उत्पादन बढ़ सकता है ।

रबड़ बोर्ड ने रबड़ उत्पादकों को सुधरी हुई वैज्ञानिक प्रणाली से खेती करने की शिक्षा देने के उद्देश्य से एक प्रविधिक सलाहकार और विस्तार सेवा आरम्भ की है। इस अनुभाग द्वारा उत्पादकों द्वारा किये गये रबड़ की खेती सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

राजपुरा-भटिंडा सेक्शन में पानी ठंडा करने की मशीनें

1606. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सू० ला० वर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के राजपुरा-भटिंडा सेक्शन में किन-किन स्टेशनों पर पानी ठंडा करने की मशीनें 31 मार्च, 1965 तक लगायी जाने वाली हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : राजपुरा-भटिंडा सेक्शन के भटिंडा, धूरी, पटियाला और राजपुरा रेलवे स्टेशनों पर जलशीतकों की व्यवस्था कर दी गयी है। दूसरे स्टेशनों पर जलशीतक लगाने का काम अभी बन्द है क्योंकि जलशीतकों पर विदेशी मुद्रा खर्च होती है।

वस्तु विक्रय ठेकेदार

1607. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सू० ला० वर्मा :
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :
श्री प० ह० भील :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे प्रशासन ने बिक्री के उन ठेकेदारों को, जो आठ साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं, उन के ठेकों की समाप्ति की सूचनाएं जारी की हैं; और

(ख) क्या ऐसे ठेके देने के लिए नए प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे या वे पुराने ठेकेदारों को ही फिर दिये जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). कुछ दिन पहले इस आशय की हिदायतें जारी की गयी थी कि खान पान और/या खोमचों के उन ठेकों के लिये नयी अर्जियां मंगायी जायें जो एक ठेकेदार के पास उस समय से लगातार 9 या 10 वर्ष तक चलते आ रहे हों, जबकि पहली बार ठेका दिया गया था। इन हिदायतों को रद्द कर दिया गया है। पहले की तरह, ठेकों का नवीकरण रेल-प्रशासनों द्वारा सामान्य नियमों के अनुसार किया जायेगा।

लागत लेखा प्रशिक्षण

1608. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सू० ला० वर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1-1-1962 से 31-12-1964 तक उत्तर रेलवे लेखा विभाग के कुल कितने सहायक

लेखा पदाधिकारियों ने सरकारी खर्च से लागत लेखा का सरकारी प्रशिक्षण प्राप्त किया; और

(ख) उनकी सेवाओं का किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) तीन ।

(ख) उन में से दो इस समय जोधपुर और अमृतसर कारखानों में लेखा कार्यालयों के इन्चार्ज हैं और तीसरे लेखा-परीक्षा विभाग में उपनियुक्ति पर हैं ।

फोटोग्राफी के सामान का आयात

1609. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची के भाग 4 की क्रम संख्या 303 और 305 के अन्तर्गत आने वाले फोटोग्राफी के सामान के आयात के लिये जनवरी/जून, 1945 से अन्तिम लाइसेंस अवधि तक प्रत्येक लाइसेंस अवधि में और विभिन्न मुद्रा क्षेत्रों से पृथक कुल कितनी राशि के लाइसेंस दिये गये और आयात किया गया; और

(ख) आयात करने वाले कुल कितनी फर्मों जैसे संस्थापित आयातकर्ताओं तथा वास्तविक उपयोगकर्ताओं को श्रेणीवार लाइसेंस दिये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4076/65]** । इन में श्रेणी तथा मुद्रा के अनुसार उन लाइसेंसों की संख्या और मूल्य दिये गये हैं जो कि आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची के क्रमांक 303/4 और 305/4 के अन्तर्गत फोटोग्राफी के सामान का आयात करने के लिये जनवरी-जून, 1951 से अप्रैल-मार्च, 1965 (5-12-64 तक) तक की अवधियों में जारी किये गये हैं । इस से पहले की अवधियों के आंकड़े तथा जारी किये गये लाइसेंसों पर हुए फोटोग्राफी के सामान के वास्तविक आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

फोटोग्राफी का कागज

1610. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फोटोग्राफी के कागज का (वर्ग मीटरों तथा भार में) कुल कितना निर्माण किया गया

(ख) क्या यह कागज आयात किये गये कच्चे कागजों पर कोट कर के बनाया जाता है, यदि हां, तो यह कागज किन-किन देशों से प्राप्त होता है और उसका वर्ग मीटरों तथा भार के अनुसार चुकता किये लागत बीमा-किराया सहित मूल्य का क्या ब्यौरा है;

(ग) पिछले दस वर्षों में लागत बीमा-किराया सहित कुल कितने मूल्य का तैयार कागज आयात किया गया; और

(घ) भारत में निर्मित फोटोग्राफी कागज के किस्मवार कारखाना, थोक तथा खुदरा मूल्य क्या क्या हैं और आयात किये गये तथा देश में निर्मित कागज के मूल्यों में कितना अन्तर है?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

Separate Railway Service Commission for Bihar

1611. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwari :
Shri A. P. Sharma :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that M.Ps. from Bihar have demanded the appointment of a separate Railway Service Commission for Bihar, and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes Sir.

(b) There are at present 4 Railway Service Commissions headquartered at Allahabad, Bombay, Calcutta and Madras and these Commissions cater to the recruitment needs of all Indian Railways traversing the sixteen States of the country. The organisational set up of the Railway system cannot obviously be co-terminus with the geographical jurisdictions of the various States and, therefore, it is not the policy of the Government to set up Service Commissions catering to the needs of sections of Railways operating in any one State of the Union. The State of Bihar, for instance, is served by 3 different railway systems and the recruitment to these systems is done by the Service Commissions at Calcutta and Allahabad. These all India arrangements have been working satisfactorily and it is not proposed to make any changes in the existing set up.

कोयले के लिये माल डिब्बे

1612. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईंटें पकाने और ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किये जाने वाले कोयले के लिए माल डिब्बे उत्तर बिहार में, विशेषकर तिरहुत खण्ड के चार जिलों में, अब भी अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर बिहार में कोयला ले जाने के लिये माल डिब्बे सीमित संख्या में दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). उत्तर बिहार के कोयला उपभोक्ता मंडुवाडीह, गड़हरा और भागलपुर यानान्तरण स्थलों के रास्ते बंगाल/बिहार के कोयला क्षेत्रों से कोयला प्राप्त करते हैं। अक्तूबर, 1964 से पहले उत्तर बिहार के लिए कोयला भेजने की जितनी मांग की गई थी वह सभी पूरी कर दी गयी थी। सच तो यह है कि मांग कम होने के कारण बहुत यानान्तरण क्षमता बेकार गयी। बाद में मांग यकायक बढ़कर जितनी यानान्तरण क्षमता थी उससे कहीं अधिक हो गयी, जिसकी वजह से मंडुवाडीह, गड़हरा और भागलपुर में कोयले के यानान्तरण के लिए उपलब्ध क्षमता को देखते हुए कोयले के नियतन पर नियंत्रण रखना जरूरी हो गया। अक्तूबर, 1964 से जनवरी, 1965 तक की अवधि में इन यानान्तरण स्थलों पर कुल मिला कर उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए जनता के कोयले के 13,866 मालडिब्बों का यानान्तरण किया गया, जब कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 11,713 मालडिब्बों का यानान्तरण किया गया था। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इन यानान्तरण स्थलों से उपभोक्ताओं के लिए कोयले का यानान्तरण 18·2 प्रतिशत अधिक आ।

बिजली की रेलगाड़ियों में शौचालय और पेशाबघर

1613. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के सियालदह खण्ड में विद्युत् चालित रेलगाड़ियों के यात्री डिब्बों में शौचालय अथवा पेशाबघरों की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सेक्शन पर बिजली की रेलगाड़ियां चलाये जाने के कारण प्लेटफार्मों के शौचालय और पेशाबघर बेकार हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जहां तक प्रश्न के भाग (क) का सम्बन्ध है, उपनगरीय बिजली गाड़ियों के सवारी डिब्बों में टट्टियों या पेशाबघरों की व्यवस्था न करने की मौजूदा पद्धति को ही जारी रखने का विचार है ।

जहां तक प्रश्न के भाग (ख) का सम्बन्ध है, सवाल नहीं उठता ।

अम्बाला छावनी-नांगल बांध रात्रि गाड़ी

1614. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीरतपुर साहिब और हिमाचल प्रदेश की जनता ने उत्तर रेलवे के कीरतपुर साहिब स्टेशन पर अम्बाला छावनी से नांगल बांध जाने वाली रेल गाड़ी के दो मिनट रुकने के बारे में एक अभ्यावेदन दिया है, जब कि यह आनन्दपुर साहिब में एवसप्रेस गाड़ी से मेल करने से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). 15-12-1962 से प्रयोग के तौर पर 1 यू आर एन अम्बाला - नांगल डैम सवारी गाड़ी को कीरतपुर साहिब स्टेशन पर ठहराने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इस गाड़ी से कीरतपुर साहिब स्टेशन तक आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या कम होने के कारण 15-7-1963 से इसे वहां ठहराना बन्द कर दिया गया ।

इस गाड़ी को वहां फिर से ठहराने के लिए अभ्यावेदन मिले हैं। इस मामले पर दुबारा विचार किया गया है लेकिन इसे वहां फिर से ठहराने के लिए यातायात सम्बन्धी औचित्य नहीं है ।

इस्पात निर्यात करने वालों का संघ

1615. **श्री राम सहाय पाण्डय :**
श्री उइके :
श्री राधे लाल व्यास :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात निर्यात करने वालों का संघ स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कौन-कौन सदस्य हैं तथा उसका कार्य-क्षेत्र क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). मुख्य उत्पादकों इस्पात के पुनर्वेलन कर्ताओं और इस्पात के व्यापारियों ने सरकार के पुरस्करण से एक इस्पात-निर्यातक संघ स्थापित किया है। यह सीमित-देयता वाली एक रजिस्टर्ड कम्पनी है। कम्पनियों में इन हितों के प्रतिनिधि हैं और ऐसे व्यक्ति तथा संगठन इसके सदस्य बन सकते हैं जो इस्पात के निर्यात में दिलचस्पी रखते हों बशर्ते कि वे ऐसी शर्तें पूरी करें जो कम्पनी सदस्यता की पात्रता के लिए निर्धारित करे। कम्पनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(1) लोहे और इस्पात के निर्यात में सहायता करने, संरक्षण करने तथा भरण पोषण करने में ऐसे उपाय करना जो आवश्यक हों और समयोचित हों और उपरोक्त बातों की सामान्यता पर कुप्रभाव डाले बिना—

(i) बाहर के देशों में प्रत्येक देश के बाजार का नियमित तथा तदर्थ आधार पर अध्ययन करना;

(ii) विदेशों में व्यापार-शिष्टमंडल भेजना, आदि ।

(2) लोहे और इस्पात आदि के निर्यात का भरण-पोषण करने और उसमें वृद्धि करने के समुचित और आवश्यक उपाय करने के उद्देश्य से संसार के वाणिज्य-मण्डलों अथवा अन्य वाणिज्यिक और सार्वजनिक निकायों से स्थायी सम्पर्क स्थापित करना ।

डीजल प्रशिक्षण स्कूल, बोंडामुडा

1616. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बौंडामुडा में डीजल प्रशिक्षण स्कूल कब स्थापित किया गया था और इस समय यह किस तरह चल रहा है;

(ख) वहां पर किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ग) क्या वहां पर सभी खंडों के कर्मचारियों को दाखिल किया जाता है;

(घ) क्या वहां पर अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उसका स्थान ऐसी जगह बदला जायेगा जो सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिये सुविधाजनक हो ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) बौंडामुंडा में डीजल प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना 14-11-62 को की गयी थी। यह स्कूल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम कर रहा है ।

(ख) यह स्कूल मुख्यतः शिक्षी कर्मचारियों, ड्राइवरों, और सहायक ड्राइवरों को प्रशिक्षण देने के लिए है। इस समय वहां डीजल-संगठन के लिए अपेक्षित पर्यवेक्षण कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(ग) यह स्कूल मुख्यत: दक्षिण पूर्व रेलवे में डीजल सम्बन्धी कर्मचारियों की जरूरत पूरी करने के लिए है। लेकिन जब कभी दूसरी रेलों द्वारा मांग की गयी, उन्हें सहायता दी गयी।

(घ) इस स्कूल में अफसरों को प्रशिक्षण देने का विचार नहीं है। लेकिन, जब तक खड़गपुर में अतिरिक्त प्रशिक्षण की सुविधा नहीं हो जाती, तब तक यहां पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना

1617. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1957 से पहले सेवा निवृत्त हुए रेलवे कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ देने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1-4-1957 के पूर्व सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारियों को पेंशन योजना में शामिल करने की प्रार्थना पर सरकार ने अनेक बार पूरी तरह विचार किया है और वह इस नतीजे पर पहुंची है कि यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती। इस विषय पर सेवा निवृत्त कर्मचारियों के द्वारा या उनकी ओर से दूसरों के द्वारा भेजे गये अभ्यावेदनों के उत्तर तदनुसार दे दिये गये हैं।

रेलवे वर्कशाप, गोरखपुर

1618. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर के रेलवे वर्कशाप में इस समय कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) कितने पुराने कर्मचारियों की तरक्की की गयी है ;

(ग) पिछले पांच वर्षों में (प्रत्येक वर्ष में) कितने व्यापार सम्बन्धी तथा अन्य शिक्षार्थी भर्ती किये गये; और

(घ) व्यापार सम्बन्धी शिक्षार्थियों के प्रशिक्षण पर उपर्युक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष कितना खर्च हो रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 8439।

(ख) 1326।

(ग) ट्रेड अप्रेंटिस--कोई नहीं।

दूसरे अप्रेंटिस	1960	21
	1961	24
	1962	30
	1963	34
	1964	कोई नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

पूर्वोत्तर रेलवे अस्पताल, गोरखपुर

1619. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर के पूर्वोत्तर रेलवे अस्पताल में रोगी को केवल चार चपातियां दी जाती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इतनी कम चपातियों से रोगी की भूख नहीं मिट सकती; और

(ग) यदि हां, तो क्या चपातियों संख्या बढ़ाई जायेगी या वर्तमान आहार सूची में परिवर्तन किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। एक रोगी को दिन और रात के भोजन में छः छः चपातियां या चावल के साथ तीन तीन चपातियां दी जाती हैं। सवेरे नाश्ते पर चाय के साथ $\frac{1}{2}$ औंस मक्खन और डबल रोटी के दो-दो टुकड़े दिये जाते हैं। एक व्यस्क रोगी को प्रतिदिन कुल मिला कर लगभग 435 ग्राम खाद्यान्न दिया जाता है।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर रेलवे में अनियमित पदोन्नतियां

1620. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों को छोड़ कर अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनियमित पदोन्नति के कोई मामले उनके ध्यान में आए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में ऐसी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पह रख दी जायेगी।

ग्वालियर के निकट लौह अयस्क

1621. **श्री पाराशर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क का पता लगाने के लिए ग्वालियर और गुना के बीच 50 मील चौड़ी भूमि पट्टी प्राप्त करने में कोई कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ख) क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां। कच्चा लोहा परतों में तथा ऐसी प्राकृतिक दशाओं में मिलता है कि उसका विस्तृत पैमाने पर विदोहन आर्थिक दृष्टि से उचित न हो।

दक्षिण रेलवे पर मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना

1622. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री 27 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 610 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के बंगलौर-अरसीकेरा खण्ड पर बाणसन्द्र और संगिग रोड के बीच 28 जुलाई, 1964 को एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के सम्बन्ध में जांच का प्रतिवेदन तैयार हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) जांच समिति की राय में दुर्घटना का कारण यह था कि एक माल डिब्ब में खराब स्प्रिंग लगी थीं । उस कर्मचारी के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही की गयी है जिसने खराब माल डिब्बे को योग्य घोषित किया था ।

विशेष इस्पात

1623. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष इस्पात की वर्तमान आवश्यकता क्या है;

(ख) उसका कितना अंश देश में हुए उत्पादन से पूरा होता है तथा कितना आयातित माल से; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में आत्म निर्भर होने की कोई योजना विचाराधीन है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद् ने 1965–66 में मिश्र और विशेष इस्पात की मांग 461,600 टन होने का अनुमान लगाया है जिस में 101,000 टन के लगभग विद्युत् चादरें भी सम्मिलित हैं ।

(ख) वर्तमान देशीय उत्पादन लगभग 53,000 टन है । जिस में 24,000 टन के लगभग विद्युत् चादरें हैं । 1963-64 में 60,529 टन आयात किया गया ।

(ग) सरकारी और निजी क्षेत्र में मिश्र और विशेष इस्पात के उत्पादन के लिए 600,000 टन की क्षमता के लिए लाइसेंस दिए गए हैं । इसमें विद्युत् चादरें भी शामिल हैं और कई योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं ।

Divisional Headquarters at Mughalsarai

1624. **Shri A. P. Sharma:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up Divisional Headquarters of the Eastern Railway at Mughalsarai; and

(b) if so, the steps taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh;): (a) No.

(b) Does not arise.

उड़ीसा को सीमेंट की मांग

1625. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की सीमेंट की वर्तमान आवश्यकता कितनी है ; और

(ख) 1964-65 में उड़ीसा को वास्तव में कितनी मात्रा में सीमेंट का आवंटन किया गया ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) उड़ीसा सरकार ने अप्रैल-जून, 1965 की अवधि के लिए 2,75,322 मीट्रिक टन सीमेंट का इंडेन्ट दिया है ।

(ख) राज्य कोटा के अन्तर्गत उड़ीसा को 1964-65 में 2,00,150 मीट्रिक टन सीमेंट आवंटित किया गया था ।

पोलिस्टर रेशे का निर्माण

1626. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकार के विचाराधीन, भारत में पोलिस्टर रेशे का निर्माण करने के लिये, कितने आवेदनपत्र हैं ; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क). और (ख). हाल में ही प्राप्त तीन आवेदन-पत्र अब तक विचाराधीन हैं । पोलिस्टर रेशे के निर्माण के लिए स्वदेशी कच्चे माल की उपलब्धि अनिश्चित होने के कारण ये आवेदन पत्र अस्वीकार किए जाएंगे ।

गैर-सरकारी औद्योगिक उपक्रम

162. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने किसी गैर-सरकारी औद्योगिक उपक्रम के नियंत्रण अथवा प्रबन्ध को उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम के अधीन अपने हाथ में लेने की अवधि को 10 वर्ष बढ़ाने के लिये शक्ति अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कार्यरूप देने के लिए क्या कानूनी उपबन्ध किये जायेंगे ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र): (क) और (ख). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-क की उप-धारा (2) के परन्तुक में संशोधन करने के लिये राज्य-सभा ने 23-3-65 को एक विधेयक पारित किया है जिससे परन्तुक के अन्तर्गत बढ़ाये गये समय की अवधि एक बार में दो वर्षों से अधिक न बढ़ाई जा सके इस प्रकार बढ़ाये गये समय की कुल अवधि दस वर्षों से अधिक न हो ? राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक को लोक सभा के चालू सत्र में विचार करने तथा पारित करने के लिये उसे प्रस्तुत किया जायेगा ।

मध्य प्रदेश में कताई मिल

1678. **श्री पाराशर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सहकारी कताई मिल स्थापित करने के हेतु लाइसेंस के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो मिल किस स्थान पर स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) क्या आवश्यक लाइसेंस दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां । मध्य प्रदेश में सहकारी कताई मिलें स्थापित करने के हेतु लाइसेंस के लिये चार आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) सहकारी कताई मिलें स्थापित करने के प्रस्तावित स्थान छिन्दवाडा, जबलपुर, रतलाम और उज्जैन हैं ।

(ग) चूंकि मध्य प्रदेश की सरकार को इन प्रस्तावित सहकारी कताई मिलों में हिस्से ले कर भाग लेने के लिये आवश्यक व्यवस्था करनी शेष है तथा वित्त लगाने वाली संस्थाओं से उपलब्ध वित्तीय सहायता का भी निश्चय करना है, इसलिये इन चारों मिलों को अब तक कोई लाइसेंस नहीं दिये गये हैं ।

Shortage of Cement

1629. **Shri S.N. Chaturvedi:** Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state:

(a) Whether Government have received any complaint that an artificial scarcity of cement has been created by not issuing permits to the consumers while there are heavy stocks of cement in the godowns of cement dealers in U.P.; and

(b) the quantity of cement available with the cement stockists and the quantity sold by them in each month during the period July—December 1964 in U.P. ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) and (b) The infromation is being compiled by the Government of Uttar Pradesh and on receipt it will be placed on the Table of the House.

मैसूर में अखबारी कागज कारखाना

1630. { डा० महादेव प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ:

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में कनाडा के सहयोग से गैर-सरकारी क्षेत्र में एक अखबारी कागज कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र) : (क) तथा (ख). माननीय सदस्य का ध्यान लोक सभा में 19 मार्च, 1965 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1314 के दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है । तब से स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है ।

यातायात संभावनाएं

1631. { श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965–66 में यातायात संभावनाओं के नवीनतम अध्ययन से पता चलता है कि रेलवे 1965–66 में 2150 लाख टन से अधिक माल नहीं ले जा सकती है ;

(ख) इस वर्ष ऐसी सेवा के लिये देश की अनुमानित आवश्यकता क्या है ; और

(ग) रेलों तथा अन्य यातायात साधनों से माल ढोने की क्षमता बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग). 1965–66 में रेलवे के माल यातायात सम्बन्धी मांग के नवीनतम अध्ययन से पता चलता है कि 1964–65 की तुलना में 1965–66 में रेलवे को सम्भवत: लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन अधिक माल ढोने को मिलेगा । 1964–65 में रेलवे द्वारा 19.60 करोड़ मीट्रिक टन प्रारम्भिक माल ढोये जाने की आशा है । रेलवे द्वारा कितना माल ढोया जायेगा, यह देश में समस्त औद्योगिक और आर्थिक गतिविधि के वास्तविक विकास पर निर्भर है । माल की ढुलाई के लिए रेलवे की परिवहन क्षमता बढ़ाने की योजना यह मान कर बनायी गयी है कि यद्यपि कुल मिला कर 1965–66 में ढोये जाने वाले माल की मात्रा कुछ कम हो सकती है, फिर भी कैलेण्डर वर्ष 1966 में लगभग 22.50 करोड़ मीट्रिक टन माल ढोने की मांग की जायेगी और इसी आधार पर रेलवे की परिवहन क्षमता बढ़ायी जा रही है । रेलवे को छोड़ कर परिवहन के अन्य साधनों से माल ढोने की क्षमता बढ़ाना रेल मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र में नहीं है ।

Patel Nagar Railway Station

1632. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Patel Nagar Railway Station in the Capital is being shifted from its present place to a place near Prem Nagar Colony;

(b) whether it is also a fact that the Delhi Milk Supply Scheme have occupied the road connecting Prem Nagar with the station; and

(c) if so, whether the plots of land and the houses in the aforesaid colony are being acquired for the constrction of a railway station there ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes. This is being done at the request of Delhi Administration.
(b) Yes.

(c) Land is being acquired by the Delhi Development authority for the use of the Railway.

मद्रास का भू-भौतिकीय सर्वेक्षण

1633. **श्री मलाइछामी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में कोई भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस से क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी, हां ।

(ख) भू-भौतिकीय अन्वेषणों के परिणामस्वरूप भारतीय भौतिकी विभाग को पोलूर (उत्तरी अरकाट) के पास गंधक अयस्क, समन्दुर (दक्षिणी अरकाट) में तांबा-सिक्का-जस्ता और दक्षिणी अरकाट के लिगनाइट खानों के पास वाले नये क्षेत्रों में लिगनाइट प्राप्त हुए हैं । बाद में भारतीय भौतिकी विभाग ने व्यधन कार्य किया जिसके फलस्वरूप 24,400 मीटरी टन गंधक के भण्डार का अनुमान है जिस में औसतन 25 प्रतिशत गंधक है ।

परीक्षण व्यधन से, तांबा-सिक्का-जस्ता के भण्डार का 150 मीटर की गहराई तक 0.9 मिलियन मीटरी टन का अन्वीक्षात्मक अनुमान लगाया गया है । अयस्क में धातु औसतन 1.75 प्रतिशत सिक्का, 1.56 प्रतिशत जस्ता और 0.65 प्रतिशत तांबा है ।

दक्षिणी और पश्चिमी सीमाओं को अंकित करने के लिए 1961—64 में दक्षिणी अरकाट के लिगनाइट क्षेत्रों के भू-भौतिकीय अन्वेषण से लिग्नाइट का विस्तार दक्षिण की ओर होने का पता चला है ।

1960—65 में रामनाथपुरम जिले में किये गये भू-भौतिकी अन्वेषणों से तल-चट्टान की गहराई तथा विभिन्न भौतिकी परिवर्तनों का चित्रण हुआ है जिनका क्षेत्र की भू-जल दशाओं पर प्रभाव पड़ता है ।

निर्यात संभावनाओं का सर्वेक्षण

1634. **श्री मलाइछामी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्यात सभावनाओं का राज्यवार सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस में खनिज सम्पत्ति तथा उसकी निर्यात संभावनायें भी शामिल हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डिब्बों में बन्द फलों के रस का निर्यात

1635. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्बों में बन्द फलों के रस और कटे फलों के निर्यात के लिये रूस से अतिरिक्त अन्य नई मण्डियों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन का विवरण क्या है ; और

(ग) उन देशों को निर्यात कब से किया जायेगा और निर्यात के लिये भुगतान का आधार क्या होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी, हां ।

(ख) फलों के रस तथा फल उत्पादों को रूस तथा पूर्वी यूरोप के देशों के अतिरिक्त पश्चिमी जर्मनी तथा पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों को भी भेजने के निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं। पश्चिमी जर्मनी के फल संरक्षण विशेषज्ञ श्री रोव्लवस्की ने अप्रैल, 1964 में भारत की यात्रा की । पश्चिमी जर्मनी को भारतीय समापित फल भेजने की प्रणालियों के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये वे भारत आये थे । इसके फलस्वरूप पश्चिमी जर्मनी से अमरस के परीक्षण आर्डर प्राप्त हो चुके हैं।

(ग) माल भेजना जुलाई से आरम्भ हो जाने की आशा है । पश्चिमी युरोप को होने वाले निर्यात का भुगतान मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में और रूस तथा पूर्वी यूरोप के देशों को होने वाले निर्यात का भुगतान रुपयों में किया जायेगा ।

कपास का निर्यात

1636. **श्री सबोध हंसदा:**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964-65 में कपास का निर्यात कम हुआ ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) किन देशों को विशेष रूप से कम निर्यात हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ तो अन्य देशों के इसी वर्ग के मूल्य प्रतियोगितापूर्ण होने तथा कुछ खरीदार देशों द्वारा मानव निर्मित रेशों का अधिक प्रयोग करने का कारण ।

(ग) मुख्यत: जापान ।

Bhilai Steel Project

1637. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the medical and Health departments of Bhilai Steel Plant went on strike from the 25th January 1965 to 15th February 1965 ;

(b) whether it is also a fact that the aforesaid employees informed Government about their demands before going on strike; and

(c) if so the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) Class IV employees generally though not all abstained from work from 25th January 1965. Some of them rejoined duty on 4th February 1965 while others rejoined on 16th February 1965.

(b) A body calling itself Bhilai Steel Plant Medical and Health Employees Association did send to the Government a representation containing certain demands relating to the employees of the Medical & Health Department of the Bhilai Steel Plant.

(c) The matter did not call for decision at Government level as there exists a well recognised procedure for dealing with such representations at plant level.

ट्रेन एग्जामिनर

1638. **श्री बाल्मीकी :**
श्री साधू राम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने 21 जुलाई, 1964 को ट्रेन एग्जामिनरों के वेतनक्रम का पुनरीक्ष ण करने का फैसला किया था

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) उसे अब तक कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). गाड़ी परीक्षकों (Train Examiners) की भर्ती, प्रशिक्षण, वेतनमान और विभिन्न ग्रेड में उन के पके वितरण से सम्बन्धित सारा सारा प्रश्न रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है ।

द्वितीय श्रणी के क्लर्कों की वरिष्ठता

1639 { **श्री बाल्मीकी:**
श्री साधू राम:
श्री पन्नालाल बारूपाल: }

मंत्री रेलवे मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय ने उत्तर रेलवे में काम करने वाले द्वितीय श्रेणी के कल्कों की वरिष्ठता का प्रश्न अब अन्तिम रूप से निश्चित कर लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जाति/आदिम जाति के उम्मीदवारों की रोस्टर के अनुसार वरिष्ठता की मांग अस्वीकार कर दी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी नहीं, क्योंकि यह प्रश्न विचारधीन नहीं था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

रेफ्रिजरेटरों का निर्यात

1640. { **श्री दे० जी० नायक:**
श्री छ० म० कदरिय :
श्री बाल्मीकी : }

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को रेफ्रिजरेटरों का निर्यात करने का निश्चय किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो 1965–66 में इस से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० राजस्वामी): (क) रेफ्रिजरेटरों के निर्यात पर नियंत्रण नहीं है ।

(ख) 1965–66 में रेफ्रिजरेटरों के सम्भावित निर्यात के बारे में विश्वास के साथ कहना सम्भव नहीं है ।

कपड़ा मिलों में बिना बिका कपड़ा

1641. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मिलों के पास बिना बिका कपड़ा काफी बड़ी मात्रा में जमा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा क्या है और कपड़ा जमा होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). जी नहीं । अनबिका चालू स्टाक मिलों में एक पखवारे में तैयार होने वाले कपड़े के औसत परिमाण से कुछ ही अधिक है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानें

1642. **श्री रामपुरे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन कोयला खानों में प्रति वर्ष 180 लाख मीट्रिक टन कोयला निकलने की अनुमानित क्षमता के विपरीत केवल 80 लाख मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). निगम की खानों से इस समय उत्पादन का स्तर प्रति वर्ष 8 और 9 मिलियन मीटर टन के बीच है । क्षमता की तुलना में उत्पादन की कमी का विशेष कारण यह है कि कोयले की मांग अनमानित स्तर तक नहीं बढ़ी है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानें

1643. **श्री रामपुरे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम निजी कोयला खानों से कोयला खरीदना पसन्द करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). ऐसा कहना सही नहीं है कि सरकारी उपक्रम में गैर-सरकारी कोयला खानों से कोयला खरीदने को आम तौर पर प्राथमिकता देती है। तथापि इन में से कुछ गैर-सरकारी खानों से कोयला लेती है क्योंकि या तो ऐसा कोयला सरकारी कोयला खानों के पास उपलब्ध नहीं है या उन्हें सरकारी खानों के मकाबले में गैर-सरकारी खानों से कोयला लेना सस्ता पड़ता है ।

केरल में औद्योगिक सहकारी समितियां

1644. श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने औद्योगिक सहकारी समितियों के लिए उनके कार्यकलापों का पुनरीक्षण करने के लिए एक स्थायी समिति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) समिति में निम्नलिखित व्यक्ति हैं :—

1. केरल सरकार के उद्योग सचिव —**अध्यक्ष**

सदस्य

2. केरल सरकार के उद्योग तथा वाणिज्य निदेशक
3. केरल सरकार की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार
4. लघु उद्योग सेवा संस्थान, त्रिचूर के निदेशक
5. केरल स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि०, त्रिवेन्द्रम के अध्यक्ष
6. केरल स्टेट कोआपरेटिव यूनियन, त्रिवेन्द्रम् के अध्यक्ष
7. केरल स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, त्रिवेन्द्रम के प्रेसीडेंट
8. केरल स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स एप्रेक्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, एरणाकुलम के प्रेसीडेंट
9. एलेप्पी सेंट्रल कायर मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि० नं० 1, एलेप्पी के प्रेसीडेंट
10. केरल खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, त्रिवेन्द्रम के सेक्रेटरी

केरल सरकार के उद्योग तथा वाणिज्य (सहयोग) के उप-निदेशक इस समिति के संयोजक-सचिव होंगे ।

Diesel Locomotive Works, Varanasi

1645. **Shri Bal Krishna Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the facilities provided to the members of those families whose land was acquired for Diesel Locomotive Works Manduadih-Varanasi in the matter of giving them employment in the said factory;

(b) whether any preference is given to such members of those families as have got the requisite qualifications; and

(c) the number of peons, clerks, technical hands and apprentices separately recruited in the aforesaid factory and the number of the members of displaced families among them ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). They are not required to get themselves registered with the Employment Exchange. The Administration arranges this for them. All the land losers who applied were called for suitability tests for various posts. Those found suitable were offered employment.

(c) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

तेज रेल गाड़ियां

1646. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेज रेल गाड़ियां चालू करने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक जांच-पड़ताल यूनिट स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) जी हां ।

(ख) रेलवे बोर्ड के अनुसंधान, खाका और मानक संगठन को कहा गया है कि वह एक यूनिट बनाये और इस मामले की जांच करे ।

Production of Aluminium

1647. **Shri Madhu Limaye:**
Shri Kishan Pattnayak :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether government have received any reports or complaints about the acute shortage of (i) aluminium commercial grade and (ii) alimunium, E. C. Grade;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) its impact on Engineering Machine Building, Automobile and Defence Industries ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy): (a) to (c). Due to the increasing demand for aluminium there has been some difficulty in meeting all these requirements in full. There has however been no significant dislocation in production in the Engineering Machine Building Automobile and Defence Industries.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत जी० एस० आर० 341 और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची का वार्षिक प्रतिवेदन ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दिनांक 6 मार्च, 1965 की जी० एस० आर०

341 की एक प्रति ।

[सभा-पटल पर रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०--4066/65]

(2) (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची, की वर्ष 1963-64 की वार्षिक रिपोर्ट, परीक्षित लेखे तथा उन पर, नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति ।

(ख) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[सभा पटल पर रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4067/65]

(रेलवे सुरक्षा दल (दुसरा संशोधन) नियम, 1965

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं रेलवे सुरक्षा दल, अधिनियम 1957 की धारा 21 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत, रेलवे सुरक्षा बल (दूसरा संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति जो दिनांक 7, नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1593 में प्रकाशित हुई थी और जिस दिनांक 9 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 73 द्वारा शुद्ध किया गया था की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[सभा पटल पर रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4068/65]

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उदकमण्डलम का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा उसकी समीक्षा

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उदकमण्डलम, की वर्ष 1963-64 की वार्षिक रिपोर्ट, परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति ।

(2) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[सभा-पटल पर रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4069/65]

रबड़ (चौथा संशोधन) नियम, 1964 और कहवा (काफी) बोर्ड कर्मचारी पेंशन विधि नियम, 1965

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 9 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 65 में प्रकाशित,

रबड़ (चौथा संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति ।

[सभा पटल पर रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4070/65]

(2) कहवा (काफी) अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 6 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 337 में प्रकाशित, कहवा काफी बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि नियम, 1965 की एक प्रति ।

[सभा पटल पर रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–4071/65]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सूचना देनी है

"(1) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1965, जिसे लोक सभा ने अपनी 15 मार्च, 1965 की बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा था, को वापिस करने का निदेश मिला है और इस विधेयक के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

(2) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम, 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1965, जिसे लोक सभा ने अपनी 25 मार्च, 1965 की बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा था, को वापिस करने का निदेश मिला है और इस विधेयक के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTE

छियासठवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय—कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के गोदी श्रमिक बोर्डों—के बारे में प्राक्कलन समिति का छियासठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : आपकी अनुमति से, मैं यह बताना चाहता हूं कि 29 मार्च, 1965 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में इस सभा का

सरकारी कार्य निम्न मंत्रालयों विभागों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा:—

सामाजिक सुरक्षा ।

रक्षा ।

संचार ।

वैदेशिक-कार्य ।

असनिक-उड्डयन ।

वाणिज्य ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मुझे चार निवेदन करने हैं । जब केरल के सम्बन्ध में विषय उस सभा में उठाया गया तथा या तो सभी सहमत थे कि यह बहुत ही गंभीर विषय है। और जहां तक मैं समझता हूं आप भी सहमत हैं कि इस विषय पर यथा-सम्भव-शीघ्र चर्चा होनी चाहिये । परन्तु अनुदानों की मांगों के कारण, शायद इसके लिये शीघ्र ही कोई समय न मिले । मेरा सुझाव यह है कि इस विषय से न्याय करने के लिये, इस विषय पर यथा-शीघ्र चर्चा होनी चाहिये । और इसको उचित महत्व देने के लिए, सामान्य समय के उपरान्त, इसके लिये रात की बैठक होनी चाहिये ।

भाषा की समस्या के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय के बारे में बहुत ही गलत धारणा फैली हुई है । सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि वह इस सत्र में संशोधनकारी विधेयक पुरःस्थापित करेगी कि नहीं ।

तीसरे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने दोनों सभाओं की अनुदानों की मांगों की जांच करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस समिति का गठन कर दिया है और उन्होंने प्राक्कलन की जांच भी कर ली है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि विषय विचाराधीन है तो उस समिति में एक विरोधी सदस्य भी सम्मिलित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय: अगले वर्ष के प्राक्कलन की जांच होगी, तो मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : अब अप्रैल का महीना समाप्त हो रहा है, इसलिये माननीय मंत्री से यह प्रार्थना है कि वह स्पष्ट रूप से बता दें कि सत्र कब समाप्त होगा, यदि उसको बढ़ाया जायेगा तो कितना बढ़ाया जायेगा, जिससे कि हम अपना कार्यक्रम निश्चित कर सकें ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : जब केरल के बजट की अनुदानों की मांगें यहां प्रस्तुत की गई थीं तो उद्घोषणा जारी नहीं की गई थी । परन्तु क्योंकि अब वहां विधान मंडल नहीं रहा जो बजट पर विस्तारपूर्वक चर्चा करे, इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि केरल के बजट पर चच कि लिए और समय मिलना चाहिये ।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : We have received the list regarding the time allotted by you for discussion on grants. If we want to speak on every ministry that our party gets only six minutes. We want only this much concession that we may be able to express our opinion about every ministry. Therefore, the proportion of time between the opposition and congress should be made 50:50 instead of 40:60.

Shri Hukum Chand Kachhavaiya (Dewas) : I want to know when will the Bonus Commission report be presented in the House.

Shri Sheo Narayan (Bansi) : All the Members of the House have equal rights. But some of the members are getting 30 to 45 minutes while others are getting only 5 minutes. I oppose Shri Pattnayak's suggestion that the proportion of time between opposition and Congress should be 50:50.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Congress got only 45 per cent votes. Had there been a system of proportional representation then what would have been the position? Time should be allotted according to this procedure.

श्री सत्यनारायण सिंह: कुछ विषय जो यहां उठाये गये हैं, उनका मुझ से अधिक आपसे सम्बन्ध है ।

अध्यक्ष महोदय: एक ही ऐसी चीज है जिसका मुझसे सम्बन्ध है । उसका मैंने उत्तर दे दिया है और दे दूंगा ।

श्री सत्यनारायण सिंह: केरल के ऊपर चर्चा करने के सम्बन्ध में हमारी कठिनाई यह है कि अन्त में हमें कई मांगों को बिना चर्चा के पारित करना पड़ेगा । यदि किसी ऐसी चर्चा पर और समय लग गया तो कुछ और मांगों को बिना चर्चा के पारित करना पड़ेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : केरल पर चर्चा के लिये क्यों न रात को बैठक बुलाई जाय ?

अध्यक्ष महोदय : इस देश में मैं रात को बैठक नहीं बुला सकता ।

श्री हरि विष्णु कामत : पूरे वर्ष में केवल एक रात को ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : इसे सभा के समक्ष रखा जाय । मुझे आशा है कि यह स्वीकार हो जायगा ।

श्री सत्यनारायण सिंह : जहां तक सत्र की अवधि बढ़ाने का सम्बन्ध है । इसमें सन्देह नहीं कि यह बढ़ाया जायगा । परन्तु यह कितना बढ़ाया जायेगा, मैं बाद में ही बता सकूंगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : अब आप भाषा विधेयक के सम्बन्ध में बताइये ।

श्री सत्यनारायण सिंह: अभी विषय विचाराधीन है, अभी हमने कोई निर्णय नहीं किया है । जैसे ही कोई निर्णय लिया जायेगा, एक विधेयक सभा में प्रस्तुत किया जायेगा ।

Shri K. D. Malaviya (Basti) : I want to say two things. Firstly, the discussion on Kerala should take palce; lack of time should'nt be the reason for not holding the discussion. Secondly, when some of the Demands have to be guillotined then why not take them up according to their importance. Necessary changes should be made in the list of business accordingly.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : श्री कामत का रात की बैठक का सुझाव विचार-योग्य है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत नहीं हू ।

श्री रंगा (चित्तूर) : संसद्-कार्य मंत्री ने बताया कि भाषा के सम्बन्ध में विधेयक कुछ समय के पश्चात् पुरःस्थापित किया जायगा । परन्तु इसके पश्चात् उनको कुछ सन्देह हुआ और वह घबरा गये । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार सन्देह प्रकट करके वह फिर गड़बड़ी पैदा कर देंगे ।

समितियों के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEES

काफी बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कहवा (काफी) अधिनियम, 1962 की धारा 4 की उप-धारा (2) (ख) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, कहवा (काफी) बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

श्री रंगा (चित्तूर) : यह अफवाह है कि इन सब बोर्डों को समाप्त करके उनका कार्य भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को सौंप दिया जायेगा । हम यह जानना चाहते हैं कि इस बात में कहां तक सचाई है ? समय समय तर पण्य बोर्डों की स्थापना के लिये इस सभा और पिछली सभाओं का सहयोग लिया जाता था ।

हमें हैरानी है कि इन बोर्डों को समाप्त कर भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को सौंप देने का प्रस्ताव क्यों आया है । मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की निन्दा तो नहीं करना चाहता, परन्तु इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी सामान्य परिषद् की वर्ष में एक बार बैठक होती है और आधे दिन में सम्पूर्ण कार्य सम्पादन हो जाता है । यह मान लिया जाता है कि सदस्यों ने सारे कागजात पढ़ लिये हैं । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय काफी बोर्ड के भविष्य के बारे में स्पष्ट वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदयः यहां प्रश्न निर्वाचनों का है न कि उन्हें समाप्त कर देने का ।

श्री रंगाः यदि उन्हें समाप्त ही कर देना है तो निर्वाचनों का पाखण्ड ही क्यों किया जाय ।

अध्यक्ष महोदयः यह परिनियत बोर्ड है । केवल संसद् ही इसे समाप्त कर सकती है ।

श्री अ० प्र० जैन (तुमकुर) : पण्य समितियों ने बहुत कुशलतापूर्वक कार्य किया है और यह सिद्धान्त का विषय है कि जब संसद् का सत्र चल रहा हो, तो यह उचित होगा यदि मंत्री महोदय ऐसा आमूल कदम उठाने से पहले संसद् का परामर्श ले लें।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं आपका और सभा का प्रस्ताव इस विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जो प्रस्ताव हिन्दी में है वह "काफी बोर्ड" के स्थान पर "कहवा बोर्ड" लिखा है। मुझे इस मिली जुली हिन्दी के विरुद्ध आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय: हमें भाषा के अनुवाद पर यहां नुक्ता चीनी नहीं करनी चाहिये। प्रश्न यह है :

"कि कहवा (काफी) अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ग) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, कहवा (काफी) बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

श्री सें० वें० रामस्वामी: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उप-धारा (3) (ग) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय रेशम बोर्ड की 3 मई, 1965 से आरम्भ होने वाली आगामी कार्यावधि के लिए उस के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उप-धारा (3) (ग) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय रेशम बोर्ड की 3 मई, 1965 से आरम्भ होने वाली आगामी कार्यावधि के लिए उस के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : यदि श्री कामत को हिन्दी में किसी चीज पर आपत्ति है तो वह इसे अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे हिन्दी के प्रयोग के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अभी हमने आरम्भ किया है। यदि हम त्रुटियां करेंगे तो उनसे लाभ भी उठायेंगे ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या हिन्दी भाषी काफी के लिए कहवा शब्द प्रयोग करते हैं ?

Shri Kishan Pattnayak : Not only in India but in foreign countries also Coffee is called 'Kahwa'.

अध्यक्ष महोदय: विधि मंत्रालय ने किसी विधेयक में इस शब्द का प्रयोग किया है और हमने उसे वहीं से लिया है ।

केरल आय-व्ययक सामान्य-चर्चा

लेखानुदानों की मांगें (केरल) 1965–66

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल) 1964–65—जारी

KERALA BUDGET—GENERAL DISCUSSION

Demands for Grants on Account (Kerala), 1965-66

Demands for Supplementary Grants (Kerala); 1964-65—*contd.*

अध्यक्ष महोदय: श्री कपूर सिंह अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। उनको प्राथमिकता की दी जायेगी क्योंकि उन्होंने मुझे सवेरे उस सम्बन्ध में लिखा था ।

श्री कपूर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 376 के अन्तर्गत, इस सभा में इस बजट के उपस्थापन तथा चर्चा के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने 10 सितम्बर, 1964 की उद्घोषणा से केरल में राष्ट्रपति का शासन लागू कर राज्य विधान मंडल का विघटन कर दिया है । सामान्यत: राज्य विधान मंडल ही बजट के अनुमोदन के लिए जिम्मेवार है; और आपात उपबन्धों के अधीन जब राज्य सरकार नहीं रहती तो केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप कर सकती है । 10 सितम्बर, 1964 के पश्चात् सरकार को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह राज्य सरकार का खर्चा चलाने के लिये आवश्यक राशि विनियोजित करे । जो केरल का बजट अब सभा के सामने है वो 10 सितम्बर, 1964 की उद्घोषणा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जो कि 24 मार्च, 1965 को रद्द कर दिया गया था । इसके तत्पश्चात् अधिकार वापिस राज्य सरकार के पास आ जाते हैं । तथापि, राज्य विधान मंडल का फिर विघटन कर दिया गया है । अब जो बजट सभा के सामने है, वह पुरानी उद्घोषणा के अन्तर्गत है । ज्यों ही 10 सितम्बर,, 1964 की उद्घोषणा रद्द हुई, त्योंही संसद् में लम्बित विधेयक अपने आप व्यपगत हो जाते हैं । अत: जिस बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं वो पहले ही व्यपगत हो चुका है । मैं इस व्यवस्था के प्रश्न पर आपका निर्णय चाहता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : जो श्री कपूर सिंह ने कहा है, उसके साथ मैं कुछ और जोड़ना चाहता हूं । केरल राज्य का विधान मंडल के बुलाने जाने से पूर्व ही विघटित कर दिया गया है । राष्ट्रपति की विघटन उद्घोषणा तभी जारी की जा सकती है जब कोई विधान मंडल

का कोई अस्तित्व हो। अतः मेरे विचार में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाहन करते हुए उप-राष्ट्रपति की उद्घोषणा जिससे केरल राज्य विधान मंडल का विघटन किया गया था विधि-मान्य नहीं है। अतः न तो पहली उद्घोषणा जो रद्द की जा चुकी है और न ही दूसरी उद्-घोषणा के अन्तर्गत केरल बजट पर इस सभा में चर्चा हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं।

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : केरल विधान मंडल जिसका हाल ही के 4 मार्च के चुनावों के उपरान्त गठन हुआ था, का विघटन....

श्री हरि विष्णु कामत : हमें उसके गठन का दिनांक बताइये।

श्री नाथ पाई (राजपुर) : उपमंत्री महोदय को पता है कि विधान मंडल का गठन तब होता है, जब सदस्य शपथ लेते हैं और राज्यपाल अभिभाषण देते हैं।

श्री जगन्नाथ राव : 4 मार्च को केरल के विधान मंडल के लिए चुनाव हुए। सदस्य चुने गये, परन्तु इसे औपचारिक रूप से बुलाया नहीं गया। मेरे विचार में विधान मंडल का गठन पूर्ण हो गया था जब निर्वाचन पूरे हो गये और विधि के अनुसार निर्वाचन आयोग ने अधिसूचनायें जारी कर दी। परन्तु इससे पहले कि विधान मंडल का संयोजन होता, राष्ट्रपति ने, किसी कारणवश, उद्घाषणा जारी कर दी। अतः केरल बजट पर चर्चा अनियमित नहीं है।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मेरा निवेदन यह है कि विधान मंडल के गठन के लिये यह आवश्यक है कि चुनावों के उपरान्त, विधान मंडल की एक बैठक बुलाइ जाती है जिसमें सम्बद्ध सदस्यों को शपथ लेनी पड़ती है। जब तक कोई सदस्य शपथ नहीं लेता तब तक वह पूर्णरूप से सदस्य नहीं बनता। यदि सरकार यह सोचती है कि अधिसूचना जारी करने से ही विधान मंडल का गठन हो गया तो यह बिल्कुल गलत है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, I want to throw some light on it. I drew your attention to various articles of the Constitution such as articles 172, 174 and article 176. Now I want to submit that in these articles the word "convene' or "constitute" has nowhere been used.

I also want to draw your attention to Representation of Peoples set according to which Election Comission publishes the names of elected condidetes in the Gazette notification. The publication of names itself in the Gazettes. It hink tantamounts to constitution of the assembly. In the constitution it is nowhere mentioned that after the constitution of the assembly, it can be assumed that its importance is lost. So this matter should be debated here. You have asked me to go to the Supreme Court. But how can I go where it does not involve the question of Fundamental Right or of the original jurisdiction of the court. When there is murder of the 'democratic rights' what is the remedy left to me? I, therefore, want you to give enough time for it and even necessary, a special Session of the House may be convened for it. You may decide about it after Consultation with the ministers. The members may be given full opportunity to discuss it.

Shri Bade (Khargaon) : There are two points of order in it. One of them has been referred by Shri Kapur Singh when he has asked that after the constitution of the Assembly in Kerala, how this House can discuss the Supplementary Demands for Grants of that State. The other point has been raised

[Shri Bade]

by Shri Madhu Limaye that the Assembly is deemed to be constituted after the names have been published in the Gazette. Shri Kapur Singh has pleaded that Supplementary grants cannot be brought here unless the Budget of Kerala is presented. Therefore, the new Budget should be first presented.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : केवल प्रश्न यह रह जाता है कि हम कौनसे बजट पर चर्चा कर रहे हैं। एक बजट तो पहले प्रस्तुत किया गया था जब कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा लागू थी अथवा नया बजट ।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): दो बातों में स्पष्ट भेद है—एक तो राज्य विधान सभा का "गठन" (कान्स्टीट्यूशन) होने में तथा उस 'सभा के बुलाने" (कनवीन) में। बहुत से अनुच्छेदों का उल्लेख किया है। जैसे अनुच्छेद 174 कि राज्यपाल को संविधान सभा के सम्मुख भाषण देना चाहिये आदि आदि। उसका अर्थ तो "सभा को बुलाने" से है। परन्तु अनुच्छेद 356 इन से सर्वोपरि है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 74 के अनुसार जैसे ही निर्वाचित सदस्यों के नाम गजट में प्रकाशित कर दिये जाते हैं, सभा का गठन हो जाता है । इस लिये ऐसी बात नहीं है कि किसी ऐसी चीज़ को भंग कर दिया गया हो जो थी ही नहीं। सभा का गठन हो चुका था। केवल इतना हुआ है कि सभा को बुलाने से पहले राष्ट्रपति इसके बीच में आ गये और उन्होंने अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा कर दी ।

रही दूसरी बात कि क्योंकि पुरानी उद्घोषणा समाप्त कर दी है, इसलिये यह बजट मान्य नहीं है। यह बात ठीक नहीं है। इसका अर्थ तो यह होगा कि पुराने उद्घोषणा के अन्तर्गत जो हुआ वह सब समाप्त समझा जावे। फिर उन कानूनों का क्या होगा जो पुराने उद्घोषणा के अन्तर्गत पास हो चुके हैं। इसलिये यह बजट भी नियमानुसार है। अब हमें जो कुछ करना है वह नये उद्घोषणा के अन्तर्गत करना है ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : एक बात मैं भी कह दूं। हम भी एक सलाहकार समिति के सदस्य थे जिसका सम्बन्ध केरल से था। हमें बताया गया है कि अब क्योंकि नयी उद्घोषणा लागू हो गई है, वह सलाहकार समिति भी समाप्त हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरानी सब चीजें समाप्त हो गईं ।

अध्यक्ष महोदय : दो बातें उठाई गई हैं। एक तो श्री कपूर सिंह ने कि क्योंकि पुरानी उद्घोषणा के स्थान पर नयी उद्घोषणा लागू हो गई है, इस लिये पुराना बजट भी समाप्त हो गया और उसके स्थान पर नया बजट नई उद्घोषणा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जावे। दूसरी बात जो उठाई गई है वह यह है कि क्योंकि विधान सभा की रचना ही नहीं हुई, इसलिये उसके भंग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक सभा की रचना का सम्बन्ध है, उसका उत्तर श्री मधु लिमये ने तथा शिक्षा मंत्री ने दे दिया है कि निर्वाचन के पश्चात् जब गजट में नाम छाप दिये जावें, तो समझो कि सभा की रचना हो गई। यह बात स्पष्ट है।

दूसरी बात जो उठाई गई है वह यह है कि बजट पुरानी उद्घोषणा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था और नई उद्घोषणा के जारी होने से सारी चीजें समाप्त हो गई। यह बात तब

तो ठीक थी यदि बजट केरल की विधान सभा के सामने होता। परन्तु क्योंकि हमारे सदन को भंग नहीं किया गया है, इसलिये वह पुराना बजट भी समाप्त नहीं हुआ। इसलिये हमें यहां रुकना नहीं चाहिये।

तीसरी बात श्री मधु लिमये ने उठाई है कि मैं अपना निर्णय कानूनी परामर्श के बाद दूं कि संविधान का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। मैंने उन्हें उस दिन भी बताया था कि यह कार्य लोक सभा के अध्यक्ष का नहीं है। यदि संविधान का उल्लंघन हुआ है तो कोई भी नागरिक उच्चतम न्यायालय में जाकर इसके विरुद्ध कार्यवाही करवा सकता है। यह कार्य श्री मधु लिमये भी कर सकते हैं।

Mr. Madhu Limaye : Please hear me for a second.

Mr. Speaker : Nothing now, Shri Kappen to speak.

श्री केप्पन (मनातुपुजा) : मैं सदस्यों का आभारी हूं कि केरल की बहस में वे इतनी रुचि ले रहे हैं। मैं अब सदन के सम्मुख वहां की वास्तविक समस्या रखना चाहता हूं और इनका इलाज भी बताऊंगा।

(**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair)

केरल भारत का सब से छोटा राज्य है जिसका क्षेत्र सारे भारत के क्षेत्र का 1.2 प्रतिशत है तथा जहां की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 3.8 प्रतिशत भाग है। इतनी जनसंख्या का वहां के आर्थिक ढांचे पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी के कारण वहां इतनी बेकारी है कि सदन को उसका अनुमान भी नहीं है। वहां की जनसंख्या का 4.2 प्रतिशत भाग बेकार है। सारे भारत में यह अनुपात .58 प्रतिशत है। हर अर्थ व्यवस्था में कुछ विशेष बातें होती हैं। केरल में नकदी-फसल के लिए उपयुक्त जलवायु है।

पहली पंचवर्षीय योजना में केरल में प्रति व्यक्ति खर्च केवल 34 रुपये था, जब कि सारे भारत में 55 रुपये था। दूसरी योजना में केरल में प्रति व्यक्ति व्यय 64 रुपये था जब कि सारे भारत में यह 118 रुपये था। 1951–61 तक प्रति व्यक्ति आय 234 रुपये से बढ़ कर 240 रुपये प्रति व्यक्ति हो गई, जब कि सारे भारत में इस से अधिक हुई। करों के कारण मध्यम तथा छोटे वर्ग के लोगों की कमर टूट गई है।

यदि आप मुझे दस वर्ष के लिये 500 करोड़ रुपया दें तो मैं केरल की सारी अर्थव्यवस्था सुधार दूं। वहां प्रति वर्ष 50,000 छात्र तथा छात्रायें मैट्रिक पास करके निकलते हैं तथा बहुत से स्नातक हो के निकलते हैं, परन्तु उनके लिय रोज़गार के साधन नहीं हैं और इस प्रकार वे राजनीतिज्ञों के झांसों में आ जाते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति बहुत दिन ऐसी बात नहीं सहन कर सकते।

[श्री केप्पन]

एक तरीका जिससे वहां कार्य ठीक हो सकता है। वह है वहां उद्योगीकरण करना यही एक मात्र इलाज है। वहां रोज़गार नहीं है। आप उन्हें काम दें तो देखेंगे कि वहां के सारे रोग दूर हो जावेंगे। जहां तक खनिज पदार्थों का सम्बन्ध है, केरल दूसरे राज्यों से अच्छा है।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध हैं वह यहां रुकावट है कि सड़कों आदि की कमी है। इस लिये कोचीन बन्दरगाह तक रेल की पटरी बिछाई जावे तथा यातायात के और साधन सुधारे जावें।

सारे भारत की 30 प्रतिशत मछलियां केरल में पैदा होती हैं। इस लिये इस कार्य पर भी कुछ रुपया खर्च किया जावे। वहां की सब से मुख्य नकद फसल रबड़ है। 1957-58 में सारे भारत में 25,000 टन रबड़ पैदा हुई, उसमें से 22,000 टन तो केवल केरल में पैदा हुई। रबड़ के मूल्य 100 रुपया प्रति किलोग्राम बढ़ायें जावें क्योंकि चावल आदि अन्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Just now, Shri Keppan was speaking about the economic condition of Kerala. I want to make it clear that the economic condition of Bihar and Orissa is still worse. Hence this is a joint problem.

Sometimes it is said that the present Government is worse than the previous one. I will say that it is difinitely worse but most of its problems are the creation of old Government.

Now, there is President's Rule in Kerala. But in fact this is the rule of the Central Party of the Congress which has been introduced from the backdoor.

They have put behind the bars those who were returned to the Kerala Legislature in majority. Sometimes they are dubbed as "traitors". But you have not proved even about a single person that he actively sided with the Chinese when they attacked our country and tried to overthrow this government. Hence, all these things are worthless.

Therefore, I want to say that what has happened in Kerala is a grave murder of Constitution and Democracy. Whether a responsible government can function there or not is to be decided by the representatives of the people or by the Governor ? After the elections are over the President or the Governor has got no right and they should call the party which has obtained the maximum seats in the Legislature. They could have been told frankly that by a certain day, say 5 days or 3 days, there will be called a meeting of Legislature and if they fail in it, the Legislature will be dissolved.

Yesterday, when I mentioned about pistol, some members were laughing. I want to tell them that even in 1942 I did not advocate the killing of Britishers. I only advocated derailment of train which carried war material. So, I do not want that you should be killed although I am very impatient and you are putting an end to Democracy. But you are forcing people to go the wrong way.

If China can be compared to a lion who is swallowing our territory, then this government is to be compared to a jackal and the left faction of Communist party can be compared to a crow who will bite it with beak.

You permit the Chinese Premier to fly over our territory and are maintaining diplomatic relations with China, then why do you blame these left Communists. I do not like the activities of the left Communists. I want you to solve the problem of their food.

Congress party has become an amalgamation of all contradictory ideologies. This is going against the interest of India.

श्री पोट्टेकाट्ट (टेलीचेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से यह सरकार केरल की समस्या को निपटा रही है, इससे प्रत्यक ईमानदार व्यक्ति को चिन्ता हो रही है। निर्वाचन से कुछ दिन पूर्व इस ने वाम पंथी साम्यवादियों के सारे नेताओं को बन्दी बना दिया। परन्तु वहां की जनता ने कांग्रेस को हरा कर यह सिद्ध कर दिया कि उनका कांग्रेस में विश्वास नहीं है।

कहते हैं कि कांग्रेस दल वहां केरल के विरोधी कांग्रसियों के साथ मिल कर सरकार बनाना चाहती थी, परन्तु कांग्रेस अध्यक्ष इसके लिये तैयार नहीं हुए।

राज्यपाल को भी संविधान के विरुद्ध जाने का अधिकार नहीं है।

केरल के साथ केन्द्रीय सरकार ने सदा उपेक्षा का व्यवहार किया है। वहां कभी भी बड़े उद्योग स्थापित नहीं किये और आज भी वह देश का पिछड़ा क्षेत्र है। प्रत्येक वर्ष वहां की भूमि को समुद्र खा जाता है। इसका निवारण राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिये।

बेकारी वहां बहुत है और हजारों व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं वे बेरोजगार हैं। बहुत से व्यक्ति पोलिस की रिपोर्ट के कारण नौकरियों में नहीं लिये जाते। यह बहुत गम्भीर मामला है।

वहां बहुत से उद्योग बिजली न मिलने के कारण बन्द हो गये हैं।

मूल्य रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने इस ओर क्या किया है?

मैं इन मांगों का विरोध करता हूं।

श्री प० गो० मेनन (मुकन्दपुरम) : जो कुछ केरल में हुआ है उस से मुझे, प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री को बड़ा दुःख हुआ है परन्तु उनके लिये इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं था।

बहुत से सदस्यों ने कहा है कि निर्वाचन के पश्चात जिस दल के सदस्य अधिक निर्वाचित हुए, उन्हें सरकार बनाने की अनुमति मिलनी चाहिये थी। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि हम सरकार बनाने के मामले में ईगलैंड का अनुसरण कर रहे हैं। वहां भी यदि किसी दल का स्पष्ट बहुमत हो, तब तो कोई झगड़ा ही नहीं। परन्तु यदि वहां किसी एक दल का बहुमत न हो तो वहां भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। यही हाल यहां केरल में हुआ जहां किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। अधिकतर दलों ने तो वहां वाम पक्ष के

[श्री पं० गो० मेनन]

साम्यवादियों को साथ देने से इन्कार कर दिया। जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, उसने स्पष्ट कर दिया कि वे सरकार बनाना नहीं चाहते क्योंकि वे उचित बहुमत प्राप्त नहीं कर सके हैं। सारे दलों ने निर्वाचन से पूर्व ही कह दिया था कि इनका उद्देश्य तो कांग्रेस को हराना है। देखा जावे तो यह कोई ठीक बात नहीं थी।

साथ ही यह भी है कि राष्ट्रपतिका वहां शासन कोई पहली बार नहीं हुआ है। यह तो सितम्बर 1964 में भी हुआ था जब कांग्रेस के मंत्रिमंडल की हार हुई। उस समय तो किसी ने भी आपत्ति नहीं उठाई। वहां राज्यपाल ने एक एक करके सब दलों के नेताओं को बुलाया परन्तु उनमें से सब ने यही कहा कि वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं।

इस सम्बन्ध में मैं ब्रिटिश संविधान पर जेनिंग की पुस्तक 'कैबिनेट गवर्नमेंट'' से निर्देश कर दूं। ऐसी स्थिति का, जिसमें कोई भी दल बहुसंख्या प्राप्त नहीं कर सका हो, उल्लेख करते हुए वह कहते हैं कि ऐसी हालत में ब्रिटेन के सम्राट के पास तीन सम्भावनायें हैं। पहली यह कि संयुक्त मंत्रिमण्डल बनाया जाये। दूसरी यह कि यथाशीघ्र साध्य विधान मंडल को भंग करने के अभिप्राय से अल्पसंख्यक वर्ग को सरकार बनाने दी जाये। तीसरी सम्भावना यह है कि एक ऐसे दल को अल्पसंख्यक सरकार बनाने दी जाये जो बहुसंख्यक न होते हुए भी अपने आप को कार्यालय में बनाये रख सकता हो। केरल के बारे में पहली और तीसरी सम्भावनायें नहीं हैं क्योंकि कोई भी दल बहुसंख्या प्राप्त नहीं कर सका और किसी भी दल को अन्य वर्गों का समर्थन प्राप्त नहीं है। यदि ऐसी स्थिति ब्रिटेन में अथवा यहां केन्द्र में पैदा होती, तो राज्यधिपति ने दलों के नेताओं में से किसी एक को सरकार बनाने के लिये कहा होता ताकि विधान मण्डल को भंग किया जा सके और पुनः निर्वाचन कराये जा सकें। परन्तु राज्यों के बारे में हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। परन्तु यदि राज्यपाल ने अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत विभिन्न नेताओं में से किसी एक को सरकार बनाने के लिये कहा भी होता, तो . . . . . .

श्री खाडिलकर (खेड) : क्या राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत निमंत्रण देने, सरकार बनाने और सलाह लेने के अधिकार से वंचित है ?

श्री प० गो० मेनन : राज्यपाल यही तो कर सकता था कि साम्यवादी दल अथवा विद्रोही कांग्रेस के नेता को सरकार बनाने के लिये कहता ताकि विधान मंडल को भंग किया जा सके।

परन्तु ऐसा 1953 में त्रावनकोर-कोचीन में किया गया था। उस समय सभी ने विशेष रूप से साम्यवादियों ने इस पर आपत्ति उठायी थी कि भंग करने का अधिकार एक अल्पसंख्यक दल के नेता को नहीं दिया जा सकता। अब केरल में भी यही स्थिति है। अब जो मांग की गई है वह यह है कि विधान मंडल को भंग करने के विशेषाधिकार के प्रयोग के लिये इन विभिन्न गुटों में से किसी एक नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता। मुझे विश्वास है कि गृह-कार्य मंत्री और उनके अन्य साथियों को केरल में राष्ट्रपति का शासन लागू करने के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देने का अप्रिय कर्त्तव्य करना पड़ा क्योंकि अन्य कोई विकल्प ही नहीं था। जहां प्रो० रंगा ने केरल में स्विस ढंग अपनाने का सुझाव दिया वहां अन्य सदस्यों ने कहा कि राज्यपाल को विधान मंडल की बैठक बुलानी चाहिये थी और किसी एक नेता की सरकार

बनाने के लिये विश्वास का मत प्राप्त करने के लिये कहना चाहिये था। श्री खाडिलकर ने फ्रांस के संविधान के अनुच्छेद 45 में दी गई प्रक्रिया को अपनाने के लिये सुझाव दिया। जिसमें यह व्यवस्था है कि परिषद के अध्यक्ष तथा मंत्रियों को औपचारिक रूप से तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा जब तक परिषद् का अध्यक्ष विश्वास का मत प्राप्त नहीं कर लेगा। यदि सभा का तथा देश का यह मत है . . .

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुरा) : वहां सदन को मौका ही नहीं दिया गया।

श्री प० गो० मेनन : आप अधीर न होवें। मैं आपकी सभी आपत्तियों का उत्तर दूंगा। यदि यह सभा, भारत में राजनैतिक विचारक और संविधान के ज्ञाता यह समझते हैं कि भारत के संविधान में भी ऐसे उपबन्धों की व्यवस्था की जानी आवश्यक है तो सरकार की निन्दा करने की बजाये ऐसा करने के लिये ठोस सुझाव दिया जाना चाहिये था। सरकार ने जो कुछ किया है वह संविधान के अनुसार किया है। यदि हम संविधान में कोई संशोधन करना चाहिते हैं तो वह एक अलग प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहये। श्री मधु लिमये ने संविधान के अनुच्छेद 176 का उल्लेख किया और कहा कि राज्यपाल विधान सभा को बुलाकर कारण बताते जिसके लिये उन्हें बुलाया गया है। परन्तु इस उपबन्ध का यह अर्थ है कि राज्यपाल मंत्रिमण्डल द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम को विधान सभा के समक्ष रखेगा। जब कोई मंत्रि परिषद् ही नहीं थी तो वह कौनसा कार्यक्रम विधान सभा के समक्ष रखते। अतः यह एक विचार करने का प्रश्न है कि भविष्य में क्या ढंग अपनाया जाये। सरकार पर कीचड़ उछालने की बजाये, प्रतिपक्ष वालों को इस स्थिति पर उत्तेजना से रहित ढंग से विचार करना चाहिये और उन्हें कोई ठोस सुझाव देना चाहिये।

दुख की बात है कि भारत को इस राज्य को, जहां साक्षरता सब से अधिक है और जहां के लोग बुद्धिमानी में किसी से पीछे नहीं हैं, ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती यदि विरोधी सदस्यों ने केरल की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते जिसका सामना उसे करना पड़ रहा है। वहां पर बेरोजगारी का बोलबाला है। ऐसी स्थिति केन्द्र के गलत आयोजन के कारण हुई है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में वहां कई नये उद्योग आरम्भ किये गये हैं। उन में से कुछ उद्योग स्थापित किये गये हैं। केन्द्रीय सरकार ने वहां पर तीसरी योजना में मोटे तौर से 8 करोड़ रुपये लगाये हैं। पहली योजना में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों पर अखिल भारतीय आधार पर कुल व्यय 150 करोड़ रुपये का था परन्तु केरल में तब कुछ भी खर्च नहीं किया गया। दूसरी योजना में 770 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से केरल में केवल 79 लाख रुपये की राशि का विनियोजन किया गया था।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : राजस्थान में इस से भी कम विनियोजन हुआ है।

श्री प० गो० मेनन : मैं ऐसे उन सभी राज्यों के बारे में कह रहा हूं जहां कम विनियोजन किया गया है। योजना द्वारा क्षेत्रीय असमानताओं को कम नहीं किया जा रहा है। इसके विपरीत इन में वृद्धि होती जा रही है। केरल में बिजली के उत्पादन के संसाधन हैं फिर भी इसके अभाव के कारण वहां पर बहुत से उद्योग बन्द पड़े हुए हैं। केरल को मद्रास से बिजली लेनी पड़ती है।

श्री वासुदेवन दायर : इसके लिये कौन जिम्मेदार है ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : साम्यवादी दल ।

श्री प० गो० मेनन : अब तो केरल केन्द्रीय सरकार के अधीन है । क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले पर विचार केरेगी और स्थिति को सुधारेगी, केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग को केरल की कठिनाइयों को समझना चाहिये । वहां पर जनसंख्या बहुत घनी है । इस समस्या पर भी विचार किया जाना चाहिये । केरल में योजनाओं के फलस्वरूप कोई विकास नहीं हुआ है । उसकी वही स्थिति है जो पहले थी ।

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी): मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये हर प्रयत्न करेगी ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : ऐसे आश्वासन तो पहले कई बार दिये गये है परन्तु उनका कोई परिणाम नहीं निकला है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वैदेशिक-कार्य मंत्री वियतनाम में गैस के प्रयोग के बारे में 4 बजे वक्तव्य देंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सभा केरल के आय व्ययक पर एक ऐंसी घटना की पृष्ठभूमि में चर्चा कर रही है जिससे भारत में संसदीय संस्थाओं के भविष्य के लिये बुरे शुकन के लक्षण दिखाई देते हैं । सरकार चाहे कितना भी कहे कि विधान सभा को उचित रूप से गठित किया गया है, परन्तु मैं अब भी महसूस करता हूं कि यह मामला सन्देह से रहित नहीं है । जब तक सदस्य शपथ ग्रहण न कर लें तब तक लोक सभा भी उचित रूप से गठित नहीं होती है । अतः मैं कह सकता हूं कि केरल विधान मंडल का गठन उचित रूप से नहीं हुआ । केरल विधान मंडल की स्थिति के बारे में विस्तार रूप से विचार करना चाहिये । मैं और मेरा दल सरकार को पिछले कई वर्षों से चीनियों तथा भारत में उनके साथियों के इरादों के विरुद्ध चेतावनी देता रहा है । उन दलों अथवा ग्रुपों से भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दया नहीं करनी चाहिये, जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चीनी शत्रुओं के साथ सम्बन्ध है ।

श्री नि० चं० चटर्जी (वर्दमान) : वह एक आक्रांता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : जब तक भारत प्रतिरक्षा अधिनियम लागू, रहेगा यह एक शत्रु देश है ।

केरल की स्थिति के बारे में वहां के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर कुछ दिन पूर्व गृह-मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से पता चलता है कि उस में केरल की स्थिति के बारे में सभा तथा लोगों को गुमराह करने का भरसक प्रयत्न किया गया है । यह कहा गया कि राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिये सभी प्रयत्न किये और इन प्रयत्नों के फलस्वरूप इस परिणाम पर पहुंचे कि केरल में एक टिकाऊ सरकार बनाना असम्भव है । परन्तु वे इस

परिणाम पर इस भ्रांति की दृष्टि से पहुंचे हैं कि किसी दल अथवा ग्रुप द्वारा सरकार बनाने के लिये 67 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है क्योंकि विधान सभा के कुल 134 अथवा 133 सदस्य हैं। यह सरासर एक धोखा है क्योंकि गृह-मन्त्री ने सदन में यह घोषणा की है कि वामपक्षी साम्यवादियों के विरुद्ध 29 सदस्यों को मुक्त नहीं किया जायेगा । इन 29 सदस्यों को निकालने के पश्चात् केरल विधान सभा के सदस्यों की संख्या केवल 104 अथवा 105 रह जाती है क्योंकि वे 29 सदस्य जो जेल में हैं वे सभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे । कांग्रेस दल ने ही हमारे द्वार पर युद्ध ला खड़ा किया है और भारत में पीकिंग के समर्थकों को प्रोत्साहन दिया है । केरल विधान सभा में 103 सदस्यों के सदन में कोई भी ऐसा दल एक अथवा दलों का एक समूह सरकार बना सकता है जिसको 52 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है क्योंकि उन में से एक अध्यक्ष का पद ग्रहण करेगा । विभिन्न दलों की स्थिति इस प्रकार है । केरल कांग्रेस 25, मुस्लिम लीग 5+6 = 11; संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 13, स्वतंत्र 4 और भारतीय साम्यवादी दल 31 यदि इन सब को मिलाया जाये तो कुल संख्या 55 अथवा 56 बनती है । यह कहा जा सकता है कि इन दलों में से कोई एक दल इस प्रकार की सरकार बनाने का समर्थन नहीं करेगा । मैं चाहता हूं कि केरल के सभी देश भक्त तथा लोकतंत्रीय दल सरकार बनायें । यदि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी अथवा केरल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई होती और राज्यपाल ने सभा बुलाई होती तो अवश्य कोई सरकार बन जाती, जिसको आवश्यक समर्थन प्राप्त हो जाता क्योंकि जब सभा को बुलाया जाता है, और विधित सदस्य आपस में बातचीत करते हैं तो नये विचार और नये सम्बन्ध पैदा हो जाते हैं । मुझे विश्वास है कि यदि सभा को बुलाया जाता है और उसका गठन किया जाता तो केरल में एक टिकाऊ सरकार बनाने के लिये एक दल अथवा दलों के समूह को 52 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो जाता । क्या मैं गृह मंत्री से पूछ सकता हूं कि इस कांग्रेस दल ने कुछ वर्ष पूर्व एक ऐसे व्यक्ति को मुख्य मंत्री बनाया था जिसे चुनाव में बहुत बुरी तरह हार हुई थी। अब वही कांग्रेस दल जिस ने ऐसे बुरे पूव दृष्टांत बनाये हैं, जो हमेशा राष्ट्रीय हित की तुलना में अपने हित को अधिक मान्यता देता रहा है, प्रतिपक्षी दल से विकल्प पूछता है । मैंने विकल्प बता दिया है । क्या आप इसके औचित्य को चुनौती दे सकते हैं। कांग्रेस ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है । उनको संविधान तथा लोक तंत्र में कोई निष्ठा नहीं है, । जो कुछ कांग्रेस ने इस मौके पर किया है, यह इसे शोभा नहीं देता । केरल विधान सभा को एक बार मिलने तथा सरकार बनाने का अवसर न दे कर सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटा है । प्रजा-तंत्र की हत्या की है ।

अतः केरल सम्बन्धी आयव्ययक पर चर्चा करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि केरल की आर्थिक प्रगति की ओर सभा को पूरा ध्यान देना चाहिये। नयी उद्घोषणा के जारी हो जाने से केरल के आयव्ययक पर सभा को पूरी तरह विचार करना चाहिये और उसकी आर्थिक आवश्यकताओं पर पूर्ण रूप से विचार करना चाहिये। मैं एक और बात यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दो दिन पूर्व यह जो उद्घोषणा जारी की गई है संविधान

[श्री हरि विष्णु कामत]

के विरुद्ध है । मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में पिछले आम चुनावों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था तत्पश्चात् जब विधान सभा की बैठक हुई तो कांग्रेस ने कुछ चालें चल के 3 अथवा 4 सदस्यों को अपनी ओर कर के मामूली बहुमत प्राप्त कर लिया था । केरल के लोगों को ऐसा ही अवसर नहीं दिया गया । इस से संविधान का घोर उल्लंघन हुआ है, और सरकार अपने आप बदनाम हो कर रह गई है ।

Shri Hukam Chand Kachhvaaiya (Dewas) : Mr. Deputy Speaker, on a point of order, Sir, there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय: घंटी बजाई जा रही है । अब गणपूर्ति हो गई है--श्री खाडिलकर ।

श्री खाडिकलकर: (खेड) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें ऐसे महत्वपूर्ण संविधान सम्बन्धी मामलों के बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं प अपनाना चाहिये। सभा को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि संविधान के उपबन्धों का जानबूझकर किसी समय भी उलंघन न हो । यदि संविधान में कोई त्रुटि है तो उसे दूर किया जाना चाहिये। हमें खेद है कि राष्ट्रपति का शासन लागू कर के लोगों द्वारा किये गये निर्णय को बदल दिया गया है । मैं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट नहीं हूं कि लोकतंत्रीय सरकार बनानेकी सभी संवैधानिक सम्भावनाओं पर विचार किया गया था। संविधान के मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया है । जिस लोकतंत्र को स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुदृद बनाया है, उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिये। मेरे विचार में शास्त्री जी भी इस निर्णच से अप्रसन्न ही होंगे । हम ने यह संविधान 17 वर्ष पूर्व बनाया था । हमें अब विचार करना होगा कि क्या बदली हुई स्थिति में यह संविधान ठीक कार्य कर सकता है । इस से सभी दलों में फूट पड़ गई है और राज्यों में भी कांग्रेस में फूट पड़ने की अफवाहें और समाचार मिले हैं। अतः हमें पैदा हुई इस स्थिति पर पूरी तरह विचार करना चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि क्या वर्तमान संवैधानिक प्रणाली बदले हुए वातावरण में में चल सकती है अथवा हमें कोई नई प्रणाली बनानी चाहिये।

श्री गोविन्द मेनन द्वारा कही गयी बातों से मैं सहमत हूं। उन्होंने अनुच्छेद 356 के बारे में बताया । मेरा ऐसा विचार है कि अनुच्छेद 356 में ऐसी कोई बात नहीं है कि अल्पसंख्यक वर्ग के किसी सदस्य को सरकार बनाने के लिए न बुलाया जाये। मैं तो यह समझता हूं कि जो साम्यवादी गिरफ्तार कर लिए गए हैं उन को रिहा कर उन्हें केरल में सरकार बनाने का अवसर देना चाहिए था । लोकतंत्र में हमें एक दूसरे की बातों को सहन करना पड़ता है । यदि एसा करना संभव नहीं था तो दो तीन दलोंको आपस में मिलकर सरकार बनाने को ओर ध्यान दिया जाना चाहिए था। और यदि वहां पर सरकार बनाने में किसी भी प्रकार सफलता नहीं मिलती तब जाकर राष्ट्रपति का शासन लागू करने की ज़रूरत थी । उस से पहसू नहीं । मैं तो समझता हूं कि इस प्रकार हम ने अपने संविधान की प्रतिष्ठा समाप्त कर दी है ।

यदि आप आज जाकर केरल की हालत देखें तो आप को मालूम होगा कि वहां पर अपने यहां के नेताओं की कितनी इज्जत है । यदि श्री थामस अथवा श्री रवीन्द्र वर्मा केरल में जा कर श्री अ० क० गोपालन अथवा श्री नम्बूद्रिपाद को "देशद्रोही" कहें तो उनको मालूम हो जायेगा कि, वहां की जनता इसका उत्तर उन्हें किस रूप में देगी । आपको कुछ कहने के बजाय अपने काम ऐसे करने चाहियें जिस से वहां की जनता उनको भूल जाये और आप को सर्वेसर्वा समझने लग । हमें एसे काम करने चाहियें जिस से कांग्रेस दल की सर्वोपरि स्थिति हो जाये और जनता केवल उसी दल को देश में सब से अच्छा दल समझने लगे । हमें इसके अतिरिक्त और कोई दमन आदि का तरीका नहीं अपनाना चाहिए ।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी (बरहामपुर): इन मांगों के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमारे सामने है कि राष्ट्रपति ने गृह-कार्य मंत्रालय की सलाह पर केरल में जो कार्यवाही की गयी है क्या वह संविधान के अनूकूल है ।

केरल के राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रपति को लिखा है कि केरल में चनाव होने पर एक भी दल को इतना बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है कि वह वहां पर सरकार बना सके । इसलिए मेरा निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद 356 को वहां पर लागू किया जाये । मेरा अपना विचार है कि राज्यपाल को ऐसी जिम्मेदारी नहीं होती कि ऐसी सिफारिश करे । उसको, मैं समझता हूं, तथा श्री आइवर जैनिंग्स की पुस्तक में भी लिखा है , तीन बातें करनी चाहियें । पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि मिली जुली सरकार बन जाये । दूसरे अल्पसंख्यक दल की सरकार बनाने की अनुमति देनी चाहिए जिस से वह संभव होने पर विधान सभा मांग करने की अनुमति दे सके । तीसरे अल्पसंख्यक दल को ही सरकार जब तक चले चलाने देना चाहिये । राज्यपाल के प्रतिवेदन से मालूम हो जाता है कि केरल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग मिल कर सरकार बनाने के लिये तैयार थे । मैं यही जानना चाहता हूं कि राज्यपाल को ऐसा मालूम होने पर उन्होंने वहां पर सरकार क्यों नहीं बनने दी । मैं यही समझता हूं कि इस प्रकार संविधान की धाराओं का उल्लंघन हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय ने यह सुझाव दिया है कि जो लोग इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हैं वह उच्चतम न्यायालय में जाकर अपनी बात कह सकते हैं । संभवतया कुछ लोग ऐसा करें । परन्तु यह स्पष्टतया साफ है कि संविधान का उल्लंघन हुआ है ?

अन्त मैं मेरा यही कहना है कि सत्रह वर्ष के बाद भी केरल राज्य में स्थिरता नहीं आई है और वह राज्य अभी भी एक समस्या बना हुआ है । सत्तारूढ़ दल को इस संबंध में कुछ अवश्य करना चाहिए ।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सभी माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े ध्यान सुना है । मुझ श्री गोविन्द मेनन का भाषण सुनकर

[श्री वासुदेवन नायर]

बड़ी ही प्रसन्नता हुई । उन्होंने 1953 में अल्पसंख्यक कांग्रस की सरकार त्रावनकोर-कोचीन में बनाये जाने के बारे में जैनिंग्स में से जो उदाहरण दिए थे वहीं अब दोबारा पेश कर दिए हैं। परन्तु बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में । इसलिए इस समय मेरा विचार है कि केन्द्रीय सरकार ने केरल में जो कुछ किया है वह उचित नहीं किया है । मेरी इस बात का समर्थन मेरे बहुत से साथियों ने सभा में किया है ।

कांग्रेस तथा केन्द्रीय सरकार का विचार है कि इस समय यह है कि वह केरल की जनता को डरा सकते हैं तथा भयभीत कर सकते हैं। उन्होंने वामपंथी साम्यवादियों को इसीलिए पकड़ कर बन्द कर दिया था । परन्तु हुआ क्या ? वहां की जनता ने उन्हीं लोगों को चुना जिनको बन्दी बना लिया गया था । गृह-मंत्री ने स्वयं वहां का दौरा किया और संवाददाता सम्मेलन में कहा कि "मैंने जनता को एक अवसर दिया है कि आप इन लोगों को अस्वीकार कर दें परन्तु यदि फिर भी आपने इन्हें चुन लिया तो हम अपना काम करेंगे ही । इस प्रकार उन्होंने अपने मनोभाव पहले ही बता दिए थे। इस से सारी बात साफ हो गई थी । परन्तु फिर भी जो पार्टी वहां पर जीत कर आई उस को अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए था। हमारे गृह-मंत्री जी ने बड़ी जल्दी में कार्यवाही की । उन्होंने जल्दी क्यों की । इस के मेरे सामने दो कारण हो सकते हैं । एक तो यह कि वह इस स्थिति से कि विधायक बच रहे, शीघ्र छुटकारा पाना चाहते थे । क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन को छुड़ाने के लिए कोई आन्दोलन न शुरू हो जाये। दूसरे उन्हें यह भी डर था कि विधान सभा बनने के बाद कहीं कांग्रेस दल के कुछ सदस्य कांग्रस को छोड़ कर अन्य दल में न मिल जायें क्योंकि कांग्रस हाई कमान को कांसग्रे के सदस्यों के पत्र मिल चुके थे कि सरकार बनाने के लिए वह विद्रोही कांग्रेसियों से मिलने में बुराई नहीं समझते हैं ।

गृह-मंत्रालय ने अपना मुंह छिपाने की इस प्रकार भी कोशिश की कि यह बताया कि साम्यवादी दल को इन चुनावों में उतने प्रतिशत मत नहीं मिल पाये जितने प्रतिशत पहले मिले थे अर्थात् कांग्रेस को जो मत अब मिले हैं उनकी प्रतिशतता पहले की तुलना में अधिक है । इस प्रकार यदि देखा जाये तो स्पष्टतः मालूम हो जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने जो भी क़दम केरल में उठाये, उनका उद्देश्य आरंभ से अन्त तक यह था कि कांग्रेस की वाहवाही हो ।

मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि या पार्टी, यह सरकार जो कि दिन प्रतिदिन लोक-तंत्र का ढ़िढोरा पीटती है, स्वयं लोकतंत्र की जड़ें खोद रही है । यदि सत्ता-रूढ़ दल ऐसा काम करता रहा तो निश्चय रूप से क्रांति को बुलावा देना है । मैं तो समझता हूं कि कहीं एक दिन एसा न आ जाये कि केरल में क्रांति हो जाये और इस के लिये दोष स्वयं सरकार का ही होगा । मैं सरकार को यही चेतावनी देना चाहता हूं ।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर): श्रीमान मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि संविधान के अधीन एक के राष्ट्रपति तथा राज्य के गवर्नर नियुक्त करने का उपबन्ध है । परन्तु एक ऐसी प्रथा भी बनाई गई है कि राष्ट्रपति अथवा गवर्नर तब तक कोई काम नहीं कर सकता जब तक उसको प्रधान मंत्री अथवा मुख्य मंत्री सलाह न दें । इस प्रकार वह स्वयं कोई काम नहीं कर सकता है । संविधान के इसी उपबन्ध के अधीन इस प्रकार गवर्नर को कोई भी क़दम नहीं उठाना चाहिये था जब तक मख्य मंत्री, उसको यह सलाह न दे दे कि वह राज्य का शासन चलाने के योग्य नहीं है । मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से संविधान का उल्लंघन हुआ है ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो पत्र मैंने सभा के सामने रखे हैं उसके पैराग्राफ 9 में मैंने बताया था कि मैं केरल सरकार का अस्थाई बजट पेश कर रहा हूं । सरकार को आशा थी कि समय आने पर बजट बनाया जायेगा तथा वहां की सभा में पेश किया जायेगा । तब तक के लिये हम ने शासन चलाने के लिए यह मांग की थी । दुर्भाग्यवश घटनायें कुछ दूसरे ढंग से घटीं और जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव भेजे हैं परन्तु सभा में किसी भी सदस्य ने उन के बारे में कोई चर्चा नहीं की । केवल एक आरोप सा लगाया गया है कि केरल की उपेक्षा हुई है । राष्ट्रपति की उद्घोषणा का बार बार उल्लेख किया गया है । इस समय यदि कटौती प्रस्ताव पेश किए गए होते तो मैं उनका उत्तर देता परन्तु राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बारे में मेरा इस समय कुछ कहना बेकार सा है । इस उद्घोषणा को संकल्प के रूप में सभा में पेश किया जायेगा । हम तब इस संबंध में चर्चा कर सकते हैं । सरकार भी सभा में कही गयी बातों का उस समय उत्तर दे सकती है ।

मैं इस समय तो सभा से यही अनुरोध करूंगा कि वह इन मांगों को पारित कर दे ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 22 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Cut motion no. 22 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शेष सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the other cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1965–66 के लिये केरल के सम्बन्ध में लेखानुदानों की मांगें मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :—

The following Demands for grants on Account (Kerala) for the year 1965-66 were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	कृषि संबंधी आयकर और बिक्रीकर .	7,44,000
2	भू-राजस्व	22,20,000
3	उत्पादन शुल्क	4,84,000
4	गाड़ियों पर कर	1,65,000
5	स्टाम्प	2,24,000
6	रजिस्ट्री फीस .	6,57,000
7	राज्य विधान मंडल	1,53,000
8	निर्वाचन . . .	1,56,000
9	राज्यों के प्रमुख मंत्री और मुख्यालय के कर्मचारी	13,03,000
10	जिला प्रशासन और विविध	16,65,000
11	न्याय-प्रशासन	17,49,000
12	जेल	9,16,000
13	पुलिस .	81,44,000
14	राज्य बीमा और विविध	3,45,000
15	वैज्ञानिक विभाग .	1,69,000
16	विश्वविद्यालय शिक्षा	33,54,000
17	सामान्य शिक्षा	4,13,85,000
18	तकनीकी शिक्षा . .	21,20,000
19	चिकित्सा .	98,00,000
20	लोक-स्वास्थ्य . . .	39,74,000
21	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी	17,54,000
22	कृषि	46,37,000
23	मीन-क्षेत्र .	24,12,000
24	ग्राम विकास	9,20,000
25	पशु पालन	18,91,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
26	सहकारिता	12,53,000
27	उद्योग	16,40,000
28	सामुदायिक विकास प्रायोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास-कार्य	49,10,000
29	श्रम और नियोजन	14,72,000
30	हरिजन कल्याण	29,06,000
31	अंक संकलन और विविध	8,42,000
32	सिंचाई .	49,66,000
33	लोक-निर्माण-कार्य	1,56,53,000
34	बन्दरगाह	1,25,000
35	परिवहन योजनाए	98,34,000
36	दुर्भिक्ष	3,37,000
37	पेंशन . .	49,73,000
38	लेखन-सामग्री और छपाई	13,43,000
39	धन	23,51,000
40	विविध . .	9,83,000
41	विविध क्षतिपूर्तियां और समर्पण (असाइनमेंट)	2,74,000
42	राष्ट्रीय संकटकाल	8,000
43	लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	18,65,000
44	कृषि सुधार पर पूंजी परिव्यय . .	1,17,000
45	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	57,11,000
46	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय .	55,45,000
47	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	96,16,000
48	अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	6,65,000
49	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	13,35,000
50	परिवहन योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	75,000
51	वनों पर पूंजी परिव्यय .	6,93,000
52	पेंशनों का राशिकृत मूल्य . .	42,000
53	सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	13,85,35,000
55	सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम . .	2,98,58,000

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1964–65 के लिये केरल के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगे मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following supplementary Demands for Grants in respect of Kerala for the year 1964-65 were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	कृषि संबंधी आय कर और बिक्री कर	1,67,500
4	गाड़ियों पर कर	44,000
5	स्टाम्प	5,100
6	रजिस्ट्री फीस	11,400
9	राज्याधिपति, मंत्री और मुख्यालय के कर्मचारी	1,77,000
10	जिला प्रशासन और विविध	3,11,600
12	जेलें	4,72,000
13	पुलिस	10,00,000
14	राज्य बीमा और विविध	48,700
16	विश्व विद्यालय शिक्षा	3,20,000
17	सामान्य शिक्षा	1,41,88,000
21	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी	100
22	कृषि	400
23	मीन क्षेत्र	17,11,900
25	पशु पालन	27,000
28	सामुदायिक विकास प्रायोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	100
30	हरिजन कल्याण	3,00,000
31	अंक संकलन और विविध	100
32	सिंचाई	18,28,500
33	लोक-निर्माण-कार्य	100
34	बन्दरगाह	86,300
35	परिवहन योजनायें	43,67,800
37	पेंशन	40,07,800
40	विविध	2,00,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
43	लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय . .	100
47	लोक निर्माण कार्यों पर पुंजी परिव्यय .	300
50	परिवहन योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . . .	2,500
51	वनों पर पूंजी परिव्यय	7,93,200
52	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	1,00,000
53	सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	19,25,73,800

केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1965

KERALA APPRORIATION (NOTE ON ACCOUNTS) BILL, 1965

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1965–66 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि वित्तीय वर्ष 1965–66 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री ति०त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

केरल विनियोग विधेयक, 1965

KERALA APPROPRIATION BILL, 1965

वित्त मंत्री (श्री ति०त० कृष्णमाचारी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1964–65 की सेवाओं के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय: : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1964–65 की सेवाओं के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को

पुर:स्थापित करने को अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1965

KERALA APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1965

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1965–66 के कुछ भाग की सेवाओं के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1965–66 के कुछ भाग की सेवाओं के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्डवार चर्चा होगी । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 1, 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 1, 2, 3 and the Schedule were added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The Enacting Formula and the Titel were added to the Bill.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

केरल विनियोग विधेयक, 1965

KERALA APPROPRIATION BILL

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1964-65 की सेवाओं के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1964–65 की सेवाओं के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब खण्डवार चर्चा होगी प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 1, 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 1, 2, 3, and the Schedule was added to the Bill

अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

The Enacting Formula and the Title was added to the Bill

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये । "

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये "।

प्रतस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक

INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATIONS) AMENDMENT BILL

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाय ।"

[श्री त्रि० ना० सिंह]

इसकी आवश्यकता इस लिए हुई है क्योंकि कुछ उद्योगों को इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और उनके नियन्त्रण तथा विस्तार की अवधि समाप्त हो जायेगी। और उसकी अवधि बढ़ाने के लिये यह संशोधन किया जाना बड़ा जरूरी है। अत: मेरा निवेदन यह है कि विधेयक पारित किया जाय।

(श्री सोनावाने पीठासीन हुए
Shri Sonavane in the Chair)

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri Bade (Khargone) : I feel that section 18A of the original Bill is quite sufficient and there is no need of having such an amendment as has been brought before the house at the present moment. It has also been observed in so many cases that the Government donot take action, when it is very necessary in the public interest to take action in order to regulate the production of a particular industry. It is very strange that actions of the Government are always guided by the party interests. Whenever the Government take our any factory it is not possible for them to run it efficiently. The private has been put under the charge of a man, who is responsible totally for the mismanagement. Therefore I am of the opinion that Government should interfere whenever the public interest demanded.

Government should also see that no factory suffers due to the lack of foreign exchange. The Government should ensure this factor in the interest of production. We should not ignore this fact that many factories were compelled to close down due to non-availability of foreign exchange and raw material. I am happy that the present Minister Mr. Singh is paying attention to this aspect and hope that the situation will improve. Persons on the other hand run such factories very efficiently with economy and profit.

This is a very important matter that the representatives of labour should be included in the management boards of the factories, which has been taken over by the Government. Together with that, I may also urge that the persons who have the requisite experience and are experts should be taken on such board. One is shocked to find that the Government have done just the reverse. The case of Ujjain mill is before us, the Government did not take any action, though, there is a great disorder in the Mill.

श्री त्रि० न० सिंह : दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है वह मैंने बड़े ध्यान से सुना है। हमने किसी भी सार्थ अथवा समवाद पर बिना कारण हाथ नहीं डाला। 29 सार्थ हम ले चुके हैं। 7 अच्छा काम कर रहा है और ये विचाराधीन है। लोगों को हालात का पता है जिनमें कि किसी सार्थ पर कब्जा किया जाता है। अत: हम उन पर काफी समय तक नियंत्रण रखना चाहते हैं मैसर्ज जैसप एण्ड कम्पनी इसी तरह का ही एक समवाय है। और भी बहुत है परन्तु मेरे पास इस समय सारी सूची नहीं है। हमने अवधि बढ़ा दी है अत: मैं सिफारिश करता हूं कि विधेयक को पारित कर दिया जाय।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

सभापति महोदयः : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1 was added to the Bill

विधेयक का नाम और अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title and the Enacting formula were added to the Bill

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

साठवां प्रतिवेदन

श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक को तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के साठवें प्रतिवेदन से, जो 24 मार्च, 1965 को सभा में प्रस्तुत की गयी थी, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

बंगलौर अथवा हैदराबाद में संसद्-अधिवेशन के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : SESSION OF PARLIAMENT AT BANGALORE OR HYDERABAD

Shri Parkash Vir Shastri (Bijnor) : I presented this resoulation before the house on the 12th March. I am of the opinion that our Parliament Session should be held either in Bangalore or in Hydrabad in the south India. Strange arguments have been advanced against this.

We generally observe that in Delhi when there is a problem of providing residential accommodation to Members of the Parliament all at once, the Government had to resort at once getting the residence of the military, personnel vacated. Similarly, the problem of the accommodation can be tackled if the session of the Parliament is to be held at Hyderabad or Bangalore. Together with it is very essential that Government should agree in principle and proposal can be implemented after a year or so when the necessary and required arrangements have been made in the above stated two cities of the south India *i.e.* Bangalore and Hyderabad.

I may also state that there is a telephone factory at Bangalore. So it will be possible for the Government to provide Telephones to the members of the parliament there. As far as the travelling allowances are concerned, there will be no additional burden on the Government. Even at present also the members from the south have to come to Delhi in order to participate in the session of the Parliament.

There is also a reason for suggesting the cities of Hydrabad and Bangalore. Bangalore has a very spacious Vidhan Sabha Bhawan, and it will be easier there to make necessary arrangements. In this connection the name of Nagpur can also be considered as, there also we have big legislative building and residential quarters for legislators. The idea of holding Session in the South is to acquaint the people of the South India with the working of the Parliament.

We should also know that the framers of our Constitution have left the question of place of meeting of Parliament undecided, so that the future generations may decide according to the need of the time. Also, if the proposal is accepted, it will care the pressure of population in Delhi.

I may also state the matter from the Defence point of view. It is not proper for a Country to have its Capital near the border. We should have such an arrangement whereby the Capital may be shifted immediately if at any time such an oppurtunity airses. Together with this advantage a session in the South will help in bringing about Cultural, political and emotional integration. It will make possible the mutual exchange of views between us and the people of that part of the country. This will create an opportunities to remove so many things which are creating misunderstandings between the people of north and the south.

I have seen that the members from the south have pointed out that due to the proximity, members from the North could pay more frequent visits to thier constituencies while the former were deprived of that advantage,

This type of disadvantage will also disappear if a session in the south is arranged. I feell that the Government has been avoiding the issue. It is hoped that the Minister of Parliamentary Affairs will give serious thought to the matter and take a final decision in this matter.

Another thing is that by holding a session of Parliament in South India you will bring people of those areas in close touch with the rest of the country. They think that Parliament is only a committee which takes ordinary decisions. They do not know the importance of this August House. The people of South India will know for themselves that this body is the real representative body. In this way their misunderstanding will be removed. Another misunderstanding is that we here do not understand the South India. There were riots on language issue in Madras and we were saying that the entire South India was involved. The states of Kerala, Mysore and Andhra Pradesh are also in South India. In this way we do not understand South India and its true position. Mysore and Kerala are not against Hindi. In Andhra Pradesh also Hindi is spoken very widely. If a session is held in South India the anti-Hindi feeling will disappear. It is only due to misunderstanding which is prevalent there.

The southern states have made much progress in the field of industry. Whereas Bihar and U.P. are lagging behind. When Members of Parliament from North will go to South India to attend Parliament, they will get inspiration from there.

They will ponder over the causes of backwardness of their states and will try to find a solution.

An American tourist once met our late Prime Minister Shri Nehru. The tourist told him the Prime Minister that he had seen the northern India. At this Shri Nehru said you must go to South India to find real India. We who are citizens of this country should also know the traditions of that part of our country.

Now-a-days we are not having sittings of the House on Saturdays and Sundays. Members whose constituencies are situated at a distance of 200 or 250 miles can go there during these days and attend the sitting on Mondays. This facility cannot be availed of by Members who come from South India. If one session is held in South India they can avail themselves of this facility of visiting their constituences at least during that session. Our former speaker Shri Ayyangar had also once said that all facilities for holding a session of Parliament were available at Bangalore. He said this in June 1957—while addressing the M.L.As. of Mysore Vidhan Sabha. He had said that it will bring emotional integration in the North and South India. This is the opinion of Speaker of Lok Sabha. I had presented a proposal like this in 1959 also. The circumstances have changed now. The unity of the coutnry is very essential at this juncture and it will be correct step in that direcion. I would request the Minister of Parliamentary Affairs to consider this matter seriously and give an assurance which may satisfy us all and the country.

सभापति महोदय: संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Shri Narayan Das (Darbhanga) : The resolution of Shri Parkash Vir Shastri is very purposful. Our constitution has left it for the President to decide as to where the session of Parliament should be held. This subject has been under informal discussion for the last many years. This has been discussed in Parliament also but we have not been able to convince our Government in this regard. In principle no one will disagree with this resolution. It has very noble idea behind it. A session of Parliament in South India will be very useful from unity point of view, but there are some practical difficulties. I have brought my substitute motion with this thing in view. A committee of Parliament should be appointed to consider all aspects of this question.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

Shri Siddheshwar Prasad (Nalanda) : We do not consider ourselves as citizen of this whole country but that of a region of this country. In such circumstances Government should take steps to bring about emotional integration and everyone of us should feel as a part and parcel of this big country. By holding a session of Parliament in South India we will be doing a great service in the cause of unity of our country. It will inculcate a feeling unity in us all. We find that disruptionalist tendencies crop up and cause great harm to the social and economic development of our country. In such circumstances every effort might be made to integrate the entire country. I have suggested that the Budget session should be held at Bangalore or Hyderabad. The other two sessions are of very small duration, only Budget session lasts for more than two months. This session can have the desired effect.

We will be able to visit South India and understand the feeling of the people of those areas. It will be of great use to us all. Hence I support this.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I cannot support the resolution moved by Shri Prakash Vir Shastri. I have great respect and love for Shri Shastri. He has not given any convincing argument in support of his resolution. Parliament is just like a place of worship. We should not have places of worship. We need not hold session anywhere else. An hon. Member has said that South India is much advanced in the sphere of industries. It is very good. We should now try to produce good soldiers. That is the need of hour. If we hold a session in South India it will involve too much expenditure which we cannot afford at present. We like Hyderabad and Bangalore very much. They have their own importance. If we hold session at different places we will turn Parliament into a theatre. There will be demands from other places for holding sessions there. In view of all this it will not be advisible to hold session of of Parliament at a place other then New Delhi.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

वियतनाम में अमरीका द्वारा गैस का प्रयोग और उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस पर वक्तव्य दें :

"वियतनाम में अमरीका द्वारा गैस का प्रयोग किया जाना और उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया ।"

श्री नाथ पाई : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आज वैदेशिक कार्य मंत्री जो वक्तव्य दे रहे हैं हम उस का स्वागत करते हैं । परन्तु कल कुछ माननीय सदस्यों ने इसी विषय पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिये थे । वे अस्वीकार कर दिये गये थे । यह बहुत अजीब बात है कि आज स्वीकार कर लिये गये हैं । हमें इस पर आपत्ति है । कल श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था । दूसरी बात यह है कि प्रधान मंत्री ने वक्तव्य देना था परन्तु आज वैदेशिक-कार्य मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन की बात अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दूंगा ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने अन्य तटस्थ राष्ट्रों तथा अन्य देशों को इस विशेष अवसर पर अपनी राय व्यक्त करने की बात की है जैसे पहले हम मानव समाज पर आक्रमण करते रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने अपने वक्तव्य में बता दिया है कि भारत द्वारा पहल पर बेलग्रेड में बातचीत हुई है और आशा है कि तटस्थ देश वियतनाम में सम्बद्ध देशों को अपील जारी करेंगे कि वहां शांति स्थापना के लिये बातचीत आरम्भ की जाय ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं माननीय मंत्री को इस वक्तव्य पर बधाई देता हूं । इस गैस द्वारा रोग उत्पन्न हो जाते हैं । ऐसा कहा जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया अमरीका सरकार को बता दी है । यदि हां तो उस पर अमरीका सरकार ने क्या कहा है और इस बात को सदन में भी बताया जाय ।

श्री स्वर्ण सिंह : हम ने पृथक रूप से तो अमरीका सरकार को कुछ नहीं कहा है । हां यह वक्तव्य मैंने दिया है यही हमारी प्रतिक्रिया है ।

श्री ही० ना० मुखर्जी : ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने अपना मत सार्वजनिक रूप में व्यक्त किया है और फिर अमरीका सरकार को भी अपनी प्रतिक्रिया भेजी है । ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने अमरीका को अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं भेजी है । हम इस में अपना सक्रिय भाग क्यों नहीं ले रहे?

श्री स्वर्ण सिंह : ऐसी बात नहीं है । हम अपना कार्य प्रभावी रूप से कर रहे हैं । हम ने अपना मत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है । माननीय सदस्य ठीक समझे नहीं हैं । मुझे खेद है ।

Shri Kishan Pattnayak : This statement made by the Minister is on moral grounds or on keeping in view the political happenings in South-East Asia. I want to know whether any effort has been made to know contents of this poisonous gas ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम मानव को हानि पहुंचाने वाली गैस के विरुद्ध है । आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह कहां पर प्रयोग की जा रही है । क्योंकि यह मनुष्य को अशक्त बना देती है । इस लिये हम इसके प्रयोग के विरुद्ध हैं ।

Shri Madhu Limaye : There are four Governments concerned in the conflict of Vietnam. I want to know if all of them are signatories of the Geneva agreement. If any one of them is not one will our Government asks that to sign that agreement, so that such conflicts may be avoided in future.

श्री स्वर्ण सिंह: पता नहीं यह कैसे हो गया । जनेवा समझौते में गैस के प्रयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था । किसी ने यह सोचा ही नहीं था कि इस प्रकार की स्थिति भी निर्माण हो सकती है । वैसे यह बात तो माननीय सदस्य जानते ही हैं कि जनेवा सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी उस समय कहा था कि वह भी जनेवा सम्मेलन के निर्णयों का आदर करेंगे ।

Shri Madhu Limaye : I was asking about Vietnam, but honourable Minister is not giving me any information. I seek the protection of the Speaker as I have not asked this question lightly. I asked whether there is any restriction on the use of Gas. If there is some agreement to this effect then the names of the countries, who were signatories to that. I think the Minister for External Affairs, knows nothing about all these things.

श्री नाथ पाई : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम इस बारे में भारत के लोगों की भावनाओं को उच्चस्तर पर पहुंचायेंगे ? अथवा हमारा प्रयास यह रहेगा कि हम सब कुछ करें ? सरकार अपने विचार व्यक्त करने के मामले में इस दिशा में संकोच क्यों कर रही है । क्या वह यह मामला स्पष्ट करेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह: यह तो कार्यवाही करने का सुझाव है, संकोच का कोई प्रश्न नहीं है । हम लज्जित भी नहीं हो रहे । उन्होंने कोई जानकारी नहीं मांगी । वह कहते हैं कि सरकार ऐसा करे, और हमने कहा है कि विचार करेंगे ।

श्री नाथ पाई : प्रधान मंत्री इस बात का उठ कर जवाब क्यों नहीं देते ? इस मामले को प्रधान मंत्री के स्तर पर क्यों नहीं लिया जाता । हम यह नहीं चाहते कि किसी प्रकार की निन्दा की जाय, केवल हमारे विचार वहां तक पहुंचा दिये जायें कि गैस के प्रयोग से हमें परेशानी हुई है ।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मेरे सहयोगी ने यह कह दिया है कि हमें अमरीका सरकार को अपनी भावनाओं के बताये जाने में कोई आपत्ति नहीं है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने यह पता करने के लिए कोई विशिष्ट प्रयास किया कि इस गैस का वियतनाम पर क्या प्रभाव हुआ है, और सरकारों ने अपने विचार अमरीका सरकार को क्यों नहीं बताये ?

श्री स्वर्ण सिंह : गैस के प्रयोग का मामला हाल ही में हमारे नोटिस में आया, प्रधान मंत्री ने भी अपने वक्तव्य में ऐसा ही कहा है ।

श्री खाडिलकर : अतीत में तो हमने इस प्रकार के नैतिक महत्व के प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त करने से कभी संकोच नहीं किया। गत महायुद्ध में भी गैस का प्रयोग नहीं किया गया था । मेरे विचार में इसका प्रयोग प्रथम बार ही हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री खाडिलकर : एशिया के लोगों पर इस गैस का प्रथम बार प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या यह उचित नहीं कि हम भारत के लोगों तथा इस संसद् की ओर से अमरीका की सरकार से अपना रोष प्रकट करें ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस प्रकार की आलोचना बिल्कुल अनुचित है । मैंने और प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कह दिया हैकि हम अमरीका की सरकार से इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। मैं जानता हूं कि सभा इस मामले में भावुक है । मैं कल ही एक बजे वक्तव्य देने वाला था, परन्तु सदन में वक्तव्य देने से पहले मैं वक्तव्य नहीं दे सकता था ।

श्री रघुनाथ सिंह : जब हिटलर ने भी दूसरे महायुद्ध में इस गैस का प्रयोग नहीं किया तो वियतनाम में इस गैस के प्रयोग के तत्कालिक कारण क्या थे ?

श्री स्वर्ण सिंह : चाहे किसी का भी प्रश्न हो श्री मधु लिमये अपनी टांग जरूर अड़ायेंगे। मैंने पहले ही कह दिया है कि इस गैस का प्रयोग दक्षिणी वियतनाम के लोगों तथा वियत-कांग के विरुद्ध किया गया है । किन कारणों के कारण गैस का प्रयोग किया गया है मैं नहीं जानता ।

बंगलौर अथवा हैदराबाद में संसद के अधिवेशन के बारे में संकल्प--जारी

RESOLUTION *Re*: SESSION OF PARLIAMENT AT BANGALORE OR HYDERABAD--*contd.*

Shri Bade (Khargone) : I support the resolution put forward by Shri Prakash Vir Shastri. After the partition of the country when Madhya Bharat was created, the sessions of State Assembly used to be held in both of the Capitals i.e. Gwaliar and Indore. This principle was also followed in the Utter Pradesh also. Bangalore is a good place for holding the session of the Parliament. 500 members can very safely be accommodated there. Together with that I feel that the session of Parliament in the South will greatly help in the promotion of national unity. It will positively bring together

[Shri Bade]

the people of the North and the South. They will be emotionally come close to each other. It will also impel the fears of the people of the South and they will feel that they are not neglected.

As I have already stated the Assembly Hall at Bangalore is big enough to hold the session of the Parliament. There are number of M.L.A. quarters which can be used for the M.Ps. As far as the question of expenditure is concerned I think, there will not be much difference. Members coming to Delhi will go there from Bombay, Bengal and the other distant places.

This is also correct that from Defence point of view Delhi is nearer to the border. This will also solve the language problem.

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : Whenever Delhi was the capital of India, the rule of India come to an end. The History of India clearly shows that Delhi has never seen any stable administration. I am of the opinion that the point of view should be before us when we consider this Resolution. Even during the British Regime the summer capital was at Simla and the assembly used to meet both at Delhi and Simla.

I fully endorse the view put forward by some of the honourable members that a session of Parliament in the south at Bangalore or at any other place will help the cause of unity in the country. The resolution should be accepted.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जिस भावना से इस संकल्प को प्रस्तुत किया है, उसकी मैं सराहना करता हूं। परन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूं। हम गरीब देश के वासी हैं। यदि सारे भारत भर से इस प्रकार की मांग उठने लगी तो बहुत सी समस्यायें पैदा हो जायेंगी। धन की कमी भी है और आवास की भी कमी है, इसके साथ ही हम संकटकालीन स्थिति से गुजर रहे हैं। मेरे विचार में राजधानी को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Shri Sheo Narain (Bansi) : I think, Shri Raghu Nath has seen Resolution with some attention. There is no question of changing the capital. But even for the session of Parliament, I am of the opinion that it will not be in keeping with the dignity and the status of Parliament if we are to hold its sessions at different places. Let me state that there is no country of the world where the seat of the Government and of the Parliament are at different places.

Even from the other point of view, I may state that we are passing through an emergency. In this present period of emergency, we need to save every pie for the defence of the country. I think at the present movement there should not be any suggestion of this kind. I request that the mover should withdraw the resolution.

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur) : So far as the question of holding the session in Bangalore is concerned, I do not know the expenditure involved or the difficulties . But if we hold the session in Bangalore it would certainly promote the national integration, because we will get an opportunity to exchange views with the people there. Therefore I support the holding of session in Bangalore.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री के संकल्प का समर्थन करती हूं। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने सुझाव दिया है कि संसद् का एक छोटा सा अधिवेशन हैदराबाद में भी होना चाहिये। हाल ही में जब प्रधान मंत्री हैदराबाद गये थे, तो वहां के कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वागत-भाषण में प्रधान मंत्री से प्रार्थना की कि संसद् का एक अधिवेशन हैदराबाद में होना चाहिये। मैं आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से सभा को आश्वासन देती हूं कि जिन कठिनाइयों का पिछले भाषण में उल्लेख किया गया था उनको दूर करने का पूरा प्रयत्न किया जायेगा। वहां पर निजाम के बहुत बड़े बड़े भवन हैं। जो मंत्रियों तथा संसद्-सदस्यों के निवास के लिये सरकार को दे दिये जायेंगे।

हैदराबाद दक्षिण का सब से बड़ा शहर है। मैं इस सुझाव का भी स्वागत करती हूं कि एक अधिवेशन दक्षिण में कहीं और भी हो सकता है। परन्तु मुझे विश्वास है कि हैदराबाद उत्तर और दक्षिण में एकता को बढ़ाने में बहुत सफल सिद्ध होगा। दक्षिण के राज्यों में आपस में पूर्ण एकता है और वह देश की एकता भी चाहते हैं।

डा० राजेन्द्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे तो वे वर्ष में छः महीने हैदराबाद में रहा करते थे; और फिर वहां से अन्य दक्षिणी राज्यों के दौरे पर जाया करते थे। इन शब्दों से मैं इस संकल्प का समर्थन करती हूं।

श्री आ० शं० अल्वा (मंगलौर) : मैं श्री रघुनाथ सिंह से सहमत नहीं हूं कि राजधानी दिल्ली में नहीं होनी चाहिये। मेरे माननीय मित्र ने ठीक कहा है कि यदि आप दक्षिण की ओर जायेंगे तो एकता की भावना में वृद्धि होगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि उच्च अधिकारी दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहते। इस समय, जब भाषा के विषय पर इतना विवाद चल रहा है, यदि हम दक्षिण की ओर जायेंगे तो वहां के लोग भी हिन्दी सीखने का प्रयत्न करेंगे। हिन्दी भाषी लोगों को भी दक्षिण के लोगों की हिन्दी सीखने की कठिनाइयों का पता चल जायेगा।

जहां तक व्यय का सम्बन्ध है, सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्तों में कोई अन्तर नहीं आयेगा। बंगलौर में बहुत ही सुन्दर विधान सभा है जहां आप अधिवेशन कर सकते हैं।

Shri Naval Prabhakar (Delhi--Karol Bagh) : I support the Resolution of Shri Prakash Vir Shastri because Delhi is becoming politically backward day by day. Along with the increase in population of Delhi, the problems are also increasing. There is a constant demand from the people of Delhi for political rights. The reason advanced by the Government for not meeting their demand is that since Parliament is meeting in Delhi, two parliaments cannot meat at one place. Along with emotional integration, we will have one more benefit *i.e.* if Parliament meets at Bangalore it would be proved that if two Assemblies can meet in Bangalore--where there is already an Assembly, then certainly two assemblies can meet in Delhi. With these words I support that a small session of the Parliament should be held at Bangalore.

Mr. Deputy Speaker : Shri Satya Narayan Sinha.

Shri Hukam Chand Kachhavaya (Dewas) : Since it is an important issue and many people want to express their views, the time may be extended by one hour.

श्री दी० चं० शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संकल्प के लिये निर्धारित समय बढ़ा दिया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि संकल्प के लिये निर्धारित समय बढ़ा दिया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 16, विपक्ष में 53

Ayes 16, Noes 53.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

The Minister for Communications and Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha) : Sir, I respect the spirit behind this Resolution. He has advanced the same reasons which he advanced last time; I am afraid I shall also have to repeat my arguments.

It is nice to hear that by having a session there we will maintain contact with the people of that area. But we should not be swayed away by emotions.

We have examined the proposal in detail. There are certain difficulties which cannot be overcome. From the speeches, I have gathered that Mysore and Andhra Pradesh are the two contestants for holding the session in their respective States. conceding that there is a big building at Bangalore and that members can be accommodated, but what about their housing accommodation ? If we want to hold the session there in a proper way, thousands of employees will also have to be shifted. It will involve the arrangements on a very large scale.

I can give the example of Simla. I was a member of the Assembly. The exodus for Simla used to start in the month of April. But at that time there used to be 125 members and 40 members of the other House. But now there are as many as 53 Ministers and Deputy Ministera and one Department is as big as the complete government of that time. But we always condemned this exodus. If you see our speeches in the budget session you would find that we always opposed this exodus. Even if you take the case of U.K., you would find that no session of the Parliament is held either in Scotland or Wales.

It has also been suggested that it is quite easy to make arrangement of telephones. No doubt we have got lot of instruments but there is shortage of cables and there is no exchange which can stand so heavy load. We need telephones not only for the Members and Ministers but for the departments also.

Although no additional payment will have to be made to Members, the staff will have to be paid T.A. and special allowance which is always paid when he has to work in a place other than his place of duty. We will have to make arrangement for houses also.

Pt. Nehru had also suggested contact between Hindus and Muslims in U.P. on a wide scale. But the result was just the reverse. The Muslim League became stronger even at places where it was weak.

Mahatma Gandhi had started a movement to eradicate untouchability. Although untouchability has been eradicated yet casteism has become stronger. The real thing is that we must understand each other. I share the hon. Minister's feelings. But we must be practical and should not overlook the difficulties involved.

We are criticised when we talk of emergency. And if we start on this venture we will have to waste crores of rupees on housing etc. It has also been suggested that files may be lost. Minister will also find it very difficult to attend the session.

We have thought it over very seriously. When the proper time comes we will do it ?

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Deputy-Speaker, the Minister of Parliamentary Affairs, Shri Satya Narain Sinha has taken only 10 minutes to reply to this debate. But I expected some serious discussion on it. As the members from Northern India can go to their constituencies on Saturday and return on Sunday, I hope the same could be possible for members from South India. A member from Bangalore will have to remain in the plane if he goes on Saturday and returns on Sunday to attend the session.

But the Government can decide to hold a session of Parliament at Hyderabad, it would be of much use. They can transfer some of their offices to Hyderabad. By so doing it would be good to the offices located there as well as to the offices located in Delhi as they will each in turn get advantage when the respective sessions are held in Delhi or Hyderabad.

Shri Satya Narayan Sinha has tried to serve the House by giving fantastic sums of money which will be required if a Parliamentary session is held in South India. I do not entirely agree with him about financial implications involved in it. But even if he is correct, I want to emphasise that this money should not stand in the way as its benefit would be immense. It will bring the integration of the country. Hence a small session of Parliament may be held there.

Then we will know their problems in a better way and they too would realise our problems.

I want the Government to give thought to my Resolution.

संशोधन संख्या 1, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

Amendment No. 1 was by leave withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 2 was put to vote and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा की यह राय है कि प्रति वर्ष संसद् का एक सत्र बंगलौर अथवा हैदराबाद में हो"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

———

शिक्षा के ढांचे के बारे में संकल्प

RESOLUTION *RE*: STRUCTURE OF EDUCATION

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में 12 मार्च, 1965 को डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा होगी :—

"इस सभा की यह राय है कि शिक्षा में अधिक एकरूपता लाने और राष्ट्रीय एकता के हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पद्धति और शिक्षा के ढांचे को उद्देश्य-पूर्ण बनाने के लिये उसे नवीन रूप दे कर पुनर्गठित किया जाये।"

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : इस देश में शिक्षा तथा अध्यापकों की स्थिति बहुत दुःखपूर्ण है।

सरकार के सब से अधिक असफलता दो क्षेत्रों में हुई है और वह है : शिक्षा तथा आर्थिक विकास में। इन सब का मिला जुला प्रभाव हमारे लिये अहितकर होगा।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि हमारे शिक्षा मंत्री श्री मु० क० चागला ने इस दिशा में बहुत अच्छा किया है और इस बिगड़ती परिस्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया है। यह बहुत कठिन कार्य है। इसकी सफलता अथवा असफलता पर देश का भविष्य निर्भर है।

हमें देखना यह है कि शिक्षा को हम अपने योजना के कार्यों में भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं अथवा हमने इस दिशा में उसके लिये प्रयत्न किया है।

{ श्री सोनावने पीठासीन हुए
Mr. Sonavane in the Chair }

मैं शिक्षा मंत्री से ही पूछना चाहता हूं कि क्या वे समझते हैं कि शिक्षा के लिये जो रकम दी है वह बहुत ही कम नहीं है।

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि शिक्षा के ढांचे को सुधारे बिना हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति नहीं होगी। यह तभी होगा जब हम अध्यापकों की भी हालत सुधारेंगे। नगर में डाकिया का वेतन, वहां के प्राथमिक शिक्षा की पाठशाला के अध्यापक से अधिक होता है। यह हमारे लिये शरम की बात है। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने यह कहने की कृपा की कि वह 50 प्रतिशत व्यय केन्द्र की ओर से देने को तैयार हैं ताकि वे अपने अध्यापकों की दशा सुधार सकें।

यह सच है कि हमारे शिक्षा के ढांचे में माध्यमिक स्तर की शिक्षा की कड़ी सब से कमजोर है । इसके बारे में हमने क्या किया है ? अभी तक तो कुछ किया नहीं है । बहुत संख्या में विद्यार्थी असफल होते हैं ।

पढ़े लिखों में बेरोजगारी निरन्तर बढ़ती जा रही है । इसके अतिरिक्त पढ़ाई का स्तर भी गिरता जा रहा है । हमें चाहिये कि इस दिशा में जो निर्णय न कर सकने की भावना है वह समाप्त होनी चाहिये ।

मंत्री महोदय अखिल भारतीय शिक्षा सेवा स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे भारत के राष्ट्रपति को विश्वविद्यालयों के "विजिटर" की शक्तियों से शीघ्र ही दिलवा पावेंगे । सपरू समिति ने भी इस ओर कुछ कहा है । मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं ।

हमें शिक्षा को केवल धनी तथा शक्तिशाली लोगों के ही हाथ में खेलने वाली कठपुतली नहीं बनाना है । मुझे दुःख है कि राजस्थान में सरकार माध्यमिक शिक्षा बढ़ाने पर रोक लगा रही है क्योंकि उनका कहना है कि वे इसका व्यय सहन नहीं कर सकते ।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय हमें यह आश्वासन दें कि राष्ट्रीय कालेज खोलेंगे जिस से शिक्षा का स्तर ऊंचा हो ।

समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इस समय के शिक्षा मंत्री जोकि स्पष्ट रूप से शिक्षा के ढांचे को सुधारने के बारे में कह चुके हैं । पहले के शिक्षा मंत्रियों की भांति निर्णय लेने में असमर्थता की भावना के पास नहीं होंगे । मैं चाहता हूं कि वे हमें बतायें कि वे इस ढांचे में उज्जवलता लाने की दिशा में क्या कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री रणंजय सिंह (मुसाफिरखाना) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रीनारायण दास: (दरभंगा) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद (नालंदा) : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी का संशोधन नियम बाह्य है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कैसे नियम बाह्य है जबकि इसे पहले ही स्वीकार कर लिया गया है ।

सभापति महोदय : इसमें बहुत से प्रश्न उठाये गये हैं और यह काफी लम्बा है ।

Shri Shrinarayan Das (Darbhanga) : The resolution presented by Dr. L.M. Singhvi gives a good opportunty to discuss our educational system. When the Britishers were ruling here, certain educational systems were also in vogue and as general system, Shantiniketan system etc. But in spite of all their efforts we could not evolve a system which could answer all our requirements in the field.

[Shri Shrinarayan Das]

Many educational Commissions have been appointed from time to time. There was Radhakrishan Commission and many reforms have been brought about as a result thereof. Thereafter also efforts have been made through such educational Commissions to bring uniformity in educational standards and emotional integration of the people. But I am of the opinion that so far we have not been able to adopt an educational policy which might have remedied all the ills of the country. The hon. member by bringing about this resolution has drawn our attention to the defects in our primary, higher secondary and university education systems. He has also thrown light on the lot of the teachers.

A new Education Commission has been appointed by the Education Minister which will go into all these questions and submit its report which will be considered by the government. I, therefore, suggest that in the light of that we may await the report of that Commission. If necessary, this resolution may also be included in the terms of reference of that Commission.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : मैं डा० सिंघवी के संकल्प का स्वागत करता हूं। शिक्षा एक ऐसा विषय है कि जिस में बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है । इस में बहुत सुधार की आवश्यकता है । हमारे देश के गांवों में शिक्षा की पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां पर बच्चे आजकल भी स्कूल में नहीं जाते। इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । इस के अतिरिक्त अध्यापकों की सेवा शर्तों और वेतनों में भी सुधार की बहुत आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये ।

शिक्षा प्रसार के बिना हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता । हम इस क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। हमें अपने स्कूलों और कालिजों में नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी जारी करनी चाहिये। गुजरात राज्य के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां की सरकार ने अंग्रेजी का अध्ययन आठवीं कक्षा से आरम्भ कराया है जब कि वहां के लोग इसे पांचवीं कक्षा से चाहते हैं। मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मतभेद को समाप्त करायें । हमारे विश्वविद्यालयों में जो दीक्षान्त समारोह होते हैं उन में भारतीयता की झलक होनी चाहिये। हमें पश्चिमी प्रणालियों का परित्याग कर देना चाहिये ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के 17 वर्ष पश्चात् तक हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं किया गया है । आज प्रगति का युग है । हमें अपने देश की शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन करना होगा। आज हमारे देश में ही नहीं राज्यों में भी शिक्षा के माध्यम भिन्न 2 हैं। इस ओर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है । हमारे शिक्षा मंत्री ने बहुत सी समितियां समाप्त कर दी हैं। यह एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। अध्यापकों पर आरोप लगाया जाता है कि वे अनुशासनहीनता के कार्य करते हैं । मेरे विचार में यह आरोप बिल्कुल बिना आधार के हैं। उन्हें तो विद्यार्थियों के सामने अनशासन का अच्छा उदाहरण दिखाना होता है । हमारे अध्यापकों की बहुत सी समस्यायें हैं। बड़े बड़े नगरों में कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है । इस से बेचारे अध्यापकों को बहुत कठिनाई होती है ।

आजकल शिक्षा की दुकानें बहुत अधिक संख्या में खुलती जा रही हैं। यह लोग निजी रूप में आरम्भ कर लेते हैं। इन में शिक्षा का स्तर ठीक होता है । सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। स्कूलों और कालेजों में मनोरंजन की चीजें भी उपलब्ध की जानी चाहियें। जर्मनी में विद्यार्थियों की रूचि देखने के लिये एक वर्ष का [illegible] चालू किया गया है यह स्कूल को शिक्षा के पश्चात् होता है। इस से विद्यार्थियों को उचित काम में लगाने में बहुत सहायता मिलती है । हमें भी यहां पर इसी प्रकार की प्रणाली चालू करनी चाहिये ।

Shri Bade (Khargone) **:** Sir, I welcome the Resolution moved by Dr. Singhvi. Education should enlighten all. Our present educational system is faulty. Our chaldren are not getting proper education. It is very costly. A poor man cannot afford to give good education to his children. In Madhya Pradesh conditions are all the more deplorable. The pay scales of teachers should be increased. They are very poorly paid.

Education should inculcate a sense of nationalism in the minds of students. It should build their character. The text books for schools and colleges should also be prepared after paying proper attention to these things.

Now a days children are taught a large number of subjects. It is not condusive for developing the faculties of a child. Then it is very costly for a man with poor means. I would request the hon. Minister to pay attention to this matter.

Our examination system should be revised We should not consult foreign experts in the sphere of education. We have our own peculiar problems here. Foreigners cannot understand our problems. I would request that special attention should be paid to the children of poor sections of society. The education should instil a sense of responsibility nd confidence in students. Poor students should be provided books free of cost.

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं डा० सिंघवी का बहुत मान करता हूं। उन के द्वारा प्रस्तुत किये गये इस संकल्प में बहुत अच्छी भावनायें निहित और मैं इस की सराहना करता हूं। परन्तु मैं डा० सिंघवी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने इस संकल्प पर जोर न दें। सरकार ने शिक्षा आयोग की स्थापना कर दी है और वह शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है । सरकार इस संकल्प में उठाये गये सभी प्रश्नों पर विचार करेगी।

यहां पर प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई है । यह ठीक है कि स्थिति संतोषजनक नहीं है । परन्तु यदि हम तथ्यों को देखें तो पता चलेगा। आज पांच करोड़ बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इन के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं कि सब सुविधायें उपलब्ध हों। हम शिक्षा को उत्पादन वाली बनाना चाहते हैं । हम विद्यार्थियों में हस्तकला का काम करने की रूचि उत्पन्न करना चाहते हैं । हम ने पाठ्य पुस्तकों के बारे में एक समिति गठित की है । पूरे देश के आधार पर पुस्तकें तैयार की जायेंगी और सभी राज्यों को भेजी जायेंगी । हम शिक्षा के महत्व को समझते हैं और इस का स्तर उंचा ले जाने के बारे में सभी उपाय किये जा रहे हैं। खेद की बात है कि जब कभी सरकार से मितव्ययता की बात होती है तो शिक्षा के लिये निर्धारित धनराशि में कटौती कर दी जाती है ।

[श्री मु० क० चागला]

जहां तक अध्यापकों के वेतन का सम्बन्ध है मैं ने पहले भी कहा है कि उन के वेतन कम हैं। हम ने राज्य सरकारों को कहा है कि हम इस बारे में 50 प्रतिशत खर्चा उठाने को तैयार हैं। हम ने अध्यापकों का स्तर ऊंचा करने के लिये बहुत से कदम उठाये हैं। जैसे उन को राष्ट्रीय पुरस्कार दिये जाते हैं। अगले साल के मार्च महीने में शिक्षा आयोग की रिपोर्ट मिलने की आशा है । मैं आश्वासन देता हूं कि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जायेगा ।

यह मांग की गई है कि हमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह एक माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना करनी चाहिये। मैं ने इस सम्बन्ध में विधि मंत्रालय से सलाह की है । यह संविधानिक नहीं है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा राज्य सूची का विषय है। इस के लिये संविधान में संशोधन करना होगा। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में यह तय हुआ था कि केन्द्रीय सरकार को योजनायें चालू करनी चाहिये और राज्य सरकारें उन को कार्यरूप देंगी। हम ने विज्ञान की शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में कार्यक्रम तैयार किया है । विज्ञान की शिक्षा को हम विशेष महत्व देते हैं। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि शिक्षा का विषय संविधान की समवर्ती सूची में लाया जाय। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उच्च शिक्षा इस सूची में लायी जाय। इस की सिफारिश सप्रू समिति ने भी की है । इस बात पर केवल एक राज्य अर्थात् पंजाब ने सहमति प्रकट की है। हम शीघ्र ही भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना करने वाले हैं। इस बारे राज्य सभा में एक संकल्प प्रस्तुत हो चुका है । एक सुझाव था कि हमें कुछ राष्ट्रीय कालेज स्थापित करने चाहियें। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि हमारे बहुत से कालिज बहुत शोचनीय स्थिति में हैं और कुछ अच्छे भी हैं। हम ने निर्णय किया है सभी कॉलिजों की हालत सुधारी जाय। हम अपने दीक्षान्त समारोह में आवश्यक परिवर्तन ला रहे हैं। कुछ दिन हुए वर्धा में ऐसा समारोह हुआ था। उस में मैं ने भाषण दिया था। वहां पर भारतीयता की झलक देखने को मिली थी क्योंकि पश्चिमी तरीकों का अनुसरण नहीं किया गया था। फिर इस विषय में विश्वविद्यालय स्वायत्त भी तो है ।

हमें अपनी योजनायें बनाते समय अपने देश के विद्यार्थियों की अत्याधिक संख्या का ध्यान रखना होता है। यह ठीक है विद्यार्थियों को प्रशिक्षण भी मिलना चाहिये परन्तु इस की बहुत अधिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस संकल्प पर चर्चा बहुत रोचक रही है। यहां पर जो बातें कही गई हैं उन पर पूरा ध्यान दिया जायगा। और यहां की सभा की कार्यवाही वृत्तान्त की एक प्रति शिक्षा आयोग को भी भेजी जायगी ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्री चागला की बातों में आशावादी झलक दिखायी पड़ती है । मुझे मंत्री महोदय की बात से पूरा संतोष नहीं हुआ है । शिक्षा के विषय में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों में दायित्व बंटा हुआ है अतः वांछनीय प्रगति नहीं हो रही है। एक के पास धन नहीं दूसरे के पास अधिकार नहीं है । इसी प्रकार अध्यापकों के वेतन के सम्बन्ध में भी गतिरोध चल रहा है। यह समस्यायें समस्त देश की समस्यायें हैं।

मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और उपयोगी सुझाव दिये हैं। अब में सभा की अनुमति से अपने संकल्प को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : संशोधन भी वापिस लिये जा रहे हैं।

संशोधन संख्या 1, 4, 5 और 6 सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

Amendment Nos. 1, 4, 5 and 6 were by leave withdrawn.

सभा संकल्प की अनुमति से, वापिस लिया गया।

The Resolution was by leave, withdrawn.

कलकत्ता नगर क्षेत्र के विकास के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : DEVELOPMENT OF CALCUTTA METRO POLITAN AREA

श्री हीरेन मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस सभा की यह राय है कि कलकत्ता नगर क्षेत्र के विकास के लिये एक व्यापक एवं स्वयंपूर्ण योजना को चौथी योजना में प्राथमिकता दी जाये।

सभापति महोदय : समय हो चुका है। आप अपना भाषण अगले अवसर पर जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार 29 मार्च, 1965/चैत्र 8 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, March 29, 1965/Chaitra 8, 1887 (Saka)

GMGIPND—LS III—652 (Ai) LS— 15-7-65—600.